खण्ड-367, अंक-6
गुरूवार, 23 चैत्र, शक संवत् 1906
(12 अप्रैल, 1984 ई0)

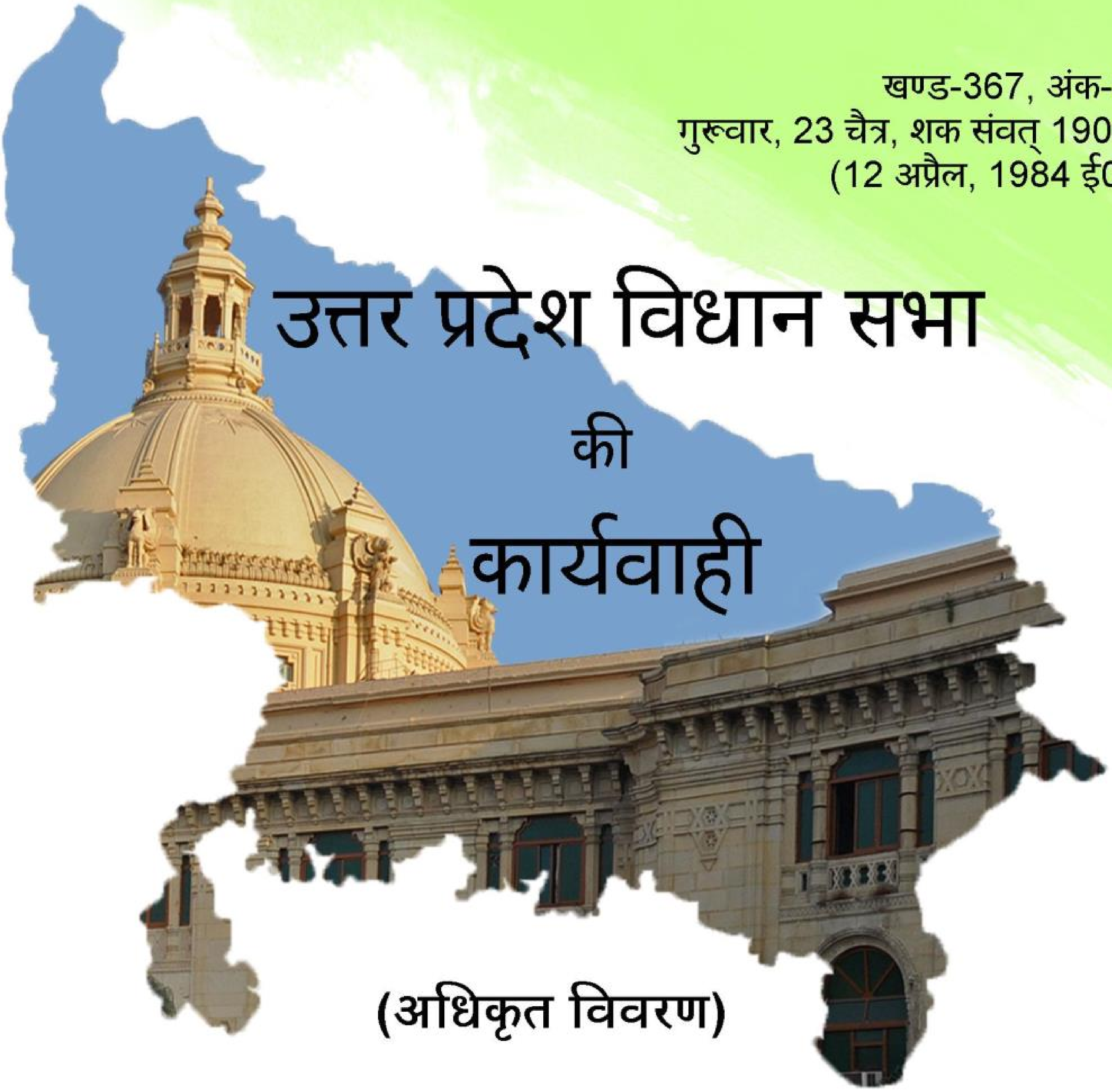

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1--4
प्रश्नोत्तर ..	5--44
तारांकित प्रश्न संख्या 9 (नत्थी घ) का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	44--45
दरियाबाद, जिला बस्ती में आग लगने से हुई क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45
हल्द्वानी स्थित सुदर्शन फाइनेन्स कारपोरेशन एवं सुदर्शन इंवेस्टमेन्ट कारपोरेशन द्वारा करोड़ों की ठगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45
मथुरा में बाबा कहे जाने वाले भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	46
बी0 आर0 डी0 पी0 जी0 कालेज, देवरिया के कार्यकारी प्राचार्य द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46--47
यू0 पी0 पाट्रीज, बस्ती के मालिकों द्वारा उत्पादन कार्य रोकने तथा मजदूरी न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
जिला परिषद् जालौन के वैक्सीनेटरों को मुख्य कार्य से हटा कर दूसरा कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
विधान सभा क्षेत्र उत्तरौला, जिला गोन्डा में कई घरों के जलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
मुरादाबाद में हेड कान्सटेबिल श्री रवीश पाल सिंह द्वारा की गयी आत्म हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
सहारनपुर लखनऊ के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रही विधायिकाओं के सामानों को लूट लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48--49
सुल्तानपुर में नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित दूकानों के गलत आवंटन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	49
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	49--50
अलवर (राजस्थान) की फर्म मेसर्स प्रकाश प्लवराइजिंग मिल्स द्वारा कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति विषयक दिनांक 22 मार्च, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद भी दवा आपूर्ति करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	50--55

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री शंकर सिंह की नियम 301 की सूचना पर एक माह बाद भी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	55—56
श्रीमती आशा गुप्ता अधीक्षिका 'महिला' संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव का स्थानान्तरण न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	57—58
फैजाबाद में कम्युनिस्ट प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज की घटना की न्यायिक जांच में विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	58
खाद्य मन्त्री द्वारा गेहूं के क्रय केन्द्र चालू होने के सम्बन्ध में सदन में की गयी गलत बयानी पर औचित्य का प्रश्न ..	58—60
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	60
श्री यदुनाथ सिंह की विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	60—61
श्री आर० के० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, मेरठ के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	61
कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये निर्वाचन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के निरस्त किए जाने की सूचना ..	61—62
गेहूं के खरीद केन्द्रों में अभी तक बोरों की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	62
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	62—69
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के औचित्य के प्रश्न की गलत ब्रीफिंग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	69
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	69—87
अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग (स्वीकृत) ..	87—108
जनपद मुजफ्फरनगर के ईसापुर टील गांव को हरियाणा की पुलिस द्वारा घेरने तथा फसल काटे जाने के सम्बन्ध में चर्चा ..	108—116
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	116—123
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	123
जनपद लखनऊ में नगराम की पुलिस द्वारा चमन लाल नामक युवक की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	123—129

विषय	पृष्ठ-संख्या
नीलगांव (सीतापुर) में राजा श्री भानु प्रताप सिंह की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	.. 129--134
ग्राम राऊतपार, जिला देवरिया में पुलिस द्वारा तथा कथित लूट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	.. 134--135
नत्थी	.. 137--139

विधान सभा दर्शन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 12 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--339

अकबर हुसैन,, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन श्री (बिजनौर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिल अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 प्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशो राम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रौगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री, (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झंगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार श्री, (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीपनारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री उर्फ लाल बाबू (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बढबन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह "खुर्जवाला" श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)

भल्ल दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन शक्यवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भोखालाल, श्री (उन्नाव)
भूप सिंह केन श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पांडेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पांडेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर सिंह, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नवी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पांडेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)

राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वरनाथ चौबे, श्री (बस्ती)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज,' श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पांडेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेम चन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--गन्ना विकास मन्त्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा नगर विकास एवं आवास राज्य मन्त्री श्री अरुण कुमार भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 12 अप्रैल, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पहाड़ों में वृक्ष काटने सम्बन्धी शासन की नीति

*1.—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ों में कृषकों की कृषि योग्य निजी भूमि पर खड़े वृक्ष जिनसे फसल कुप्रभावित होती है, को काटने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन की स्पष्ट नीति क्या है ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 द्वारा निजी भूमि पर खड़े वृक्षों का संरक्षण एवं पातन नियन्त्रित है। यदि कोई निजी भूमि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है तो कृषकों की कृषि योग्य ऐसी निजी भूमि पर खड़े वृक्ष जिनसे फसल कुप्रभावित होती है, को उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 तथा 6 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करके काटा जा सकता है तथा 27 प्रजातियों के वृक्षों को काटने हेतु किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल जिले की पहाड़ी पट्टियां और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मसूरी नगरपालिका के क्षेत्र (परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र शामिल नहीं है) में निजी भूमि पर स्थित किसी भी वृक्ष के ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ निषेध प्रजातियों को छोड़कर किसी प्रजाति का एक वृक्ष एक परिवार द्वारा वर्ष में एक बार सक्षम प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर काटा जा सकता है बशर्ते कि काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर दो वृक्ष लगाने एवं उनकी देखभाल करने का वचन प्रश्नगत परिवार द्वारा दिया जाय।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि जरूरत के अनुसार वृक्ष काटना हो तो सक्षम प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर वृक्ष काटे जा सकते हैं, तो इसमें सूचना देना काफी है या अनुमति भी लेना जरूरी है।

श्री लोकपति—

सिर्फ सूचना देना काफी है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, आपने मुझसे नहीं पूछा और उत्तर दे दिया।

श्री लोकपति—

मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपके नियम हैं इसमें आम आदमी को जानकारी नहीं है कि कौन से पेड़ निषेध हैं, जैसा अभी आपने कहा, तो कौन से पेड़ों को काट सकते हैं ? क्या प्रक्रिया है अनुमति लेने की, इसकी जानकारी उनको नहीं है। अगर वह नियमानुसार काटना चाहते हैं तो उन्हें काफी चक्कर मारना पड़ता है। तो क्या मंत्री जी ऐसा करने की कृपा करेंगे कि ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर सबको सूचना नियमों के बारे में दे दी जाए ? दूसरी बात वह प्राधिकारी कौन है जिससे अनुमति लेनी होगी ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, कई बार पेड़ों की सूचना आकाशवाणी से दी जा चुकी है। बिका

खंडों पर इन सूचनाओं को भेजा जा चुका है। एस0 डी0 एम0 हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी है, इनकी अनुमति ली जा सकती है।

श्री बिहारीलाल--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने कहा था और तत्कालीन मंत्री जी से तिवारी जी थे उन्होंने भी कहा था, पर्वतीय क्षेत्र हो या किसी और क्षेत्र में हों, उनमें से यदि ब्लाक के अन्तर्गत पेड़ आ जाएं तो उसको काटा जा सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ब्लाक के अन्तर्गत पेड़ काट सकते हैं तो क्या शहर के अन्दर भी यह बात लागू होगी? मान्यवर, ब्लाक के अन्दर, जैसा आपने कहा, या शहर के अन्दर कुछ लगाना चाहता है या कोई मशीन लगाना चाहता है शहर के अन्दर और जमीन पर पेड़ आ जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी उन शहर वालों को भी उसको काटने की इजाजत देंगे, या यह व्यवस्था केवल ब्लाक स्तर पर ही है?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जिस वृक्ष से खेती कुप्रभावित हो, उन वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में यह प्रश्न है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

श्रीमन्, यह देखते हुए कि चीड़ के पेड़ किसानों की खेती के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होते हैं। चीड़ के पेड़ों से पत्तियां लगातार गिरती रहती हैं, उनके गिरने के कारण खेत के अन्दर जो पौधे होते हैं, खत्म हो जाते हैं और उन पत्तियों की खाद भी नहीं बनती। उसके नीचे कुबुंला पैदा होता है। उसके लिए यह पेड़ एक तरह से शरण स्थल होते हैं। इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि काश्तकारों की निजी कृषि योग्य भूमि पर, जो चीड़ के पेड़ खड़े हैं, उनको काटने में मंत्री जी के विभाग के लोग परेशान नहीं करेंगे?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, हर हरे पेड़ काटने पर रोक है और मैंने अभी माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा कि अगर किसी पेड़ से किसी के कुप्रभावित होने की आशंका है, उस पेड़ को काटने की आज्ञा है। आप उसको सूचना देकर काट लें और उसके एवज में दो अन्य पेड़, जिनसे कुप्रभाव न पड़ता हो, लगा दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 27 प्रजातियों के वृक्षों को काटने हेतु किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लिखा है कि निजी भूमि पर स्थित किसी भी वृक्ष के ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ निषेध प्रजातियों को छोड़कर किसी प्रजाति का एक वृक्ष एक परिवार द्वारा वर्ष में एक बार सक्षम प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर काटा जा सकता है। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वे 27 प्रजातियां क्या हैं जिनमें अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है और क्या यह पर्वतीय क्षेत्र में लगी हैं।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, ये 27 वृक्ष हैं अगस्त, अरुण, जंगलजलेबी, पलाश आदि आदि।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, पहाड़ों में लोग खेती करते हैं, वहां पर सीढ़ीदार खेत होते हैं। हम लोग स्वयं बहुत से पेड़ घास के लिए या अन्य अनेक कार्यों के लिए लगाते थे, लेकिन जब से केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और शासन का निर्णय हुआ कि कृषकों को निजी कार्यों के लिए काटने के लिए भी शासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, तो मेरी जानकारी है छोटे-मोटे पौधे लोग उखाड़ रहे हैं। अगर पर्यावरण की दृष्टि से आप चाहते हैं कि हमारे यहां ज्यादा पेड़ रहें तो क्या सरकार ऐसे पेड़ों को जिनको कृषकों

की आवश्यकता होती है, उन पेड़ों को काटने की इजाजत देंगे। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो पहाड़ों में खेतों के अन्दर जो पेड़ दिखायी पड़ रहे हैं, वह भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि पेड़ों को लोग जरूर काटेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उन कृषकों को अपनी आवश्यकताओं के लिए जो उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं और काटना चाहते हैं और बिना आपकी इजाजत के नहीं काटे जा सकते, तो क्या उनको काटने की इजाजत देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, बिना इजाजत नहीं काटे जा सकते और इसलिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का रहना आवश्यक है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में दो अधिनियम हैं। पहला, वन-वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 है और दूसरा, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 जो केन्द्रीय अधिनियम है। फलस्वरूप जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 है, इसकी वजह से, जिन प्रजातियों को आपने काटने के बारे में कहा है, उनको भी गांव वाले नहीं काट सकते हैं। अगर गांव वाले उसे काटते हैं तो वन विभाग के अधिकारी उसे दण्डित करते हैं और उन्होंने दन्डित करना आरम्भ भी कर दिया है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि वह पर्वतीय अंचल के वन अधिकारियों को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि ये दोनों अधिनियम अलग-अलग हैं। इसलिए चारा, जलाने के लिए लकड़ी और भवन आदि बनाने के लिए लकड़ी तथा गांव वालों की जो आवश्यकतायें हैं और जो जंगल विभाग से उनको हकूक दिये जाते थे, इन सभी को दिलाने हेतु वह विभाग द्वारा इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, निजी आवश्यकता के लिए वन विभाग द्वारा अलग-अलग स्थान पर डिपो खोल दिए गये हैं ताकि भारत सरकार द्वारा, जो अधिनियम लागू किया गया है, उससे उनको कोई कठिनाई न हो।

इस्माइलगंज, पानीगांव तथा चमरौखा (लखनऊ) ग्रामों की आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

**2—श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ शहर की सीमा पर स्थित ग्राम इस्माइलगंज, पानीगांव, चमरौखा आदि गांवों की भूमि को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ ने अधिग्रहीत करके कब्जा ले लिया है तथा जिसका मुआवजा आजकल किसानों को बांटा जा रहा है तथा हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों, अनपढ़ किसानों से 5 से लेकर 15 परसेंट की घूस ली जा रही है ? क्या सरकार तत्काल यह आदेश करेगी कि इन गांवों के किसानों का मुआवजा बन कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में इन गांवों में बांटा जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं आवास राज्य मन्त्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

आवास विकास परिषद् के भूमि अर्जन की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा की जाती है, जो राजस्व

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री श्याम लाल वाजपेयी की रुचि पर लिया गया।

विभाग के अन्तर्गत, जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करते हैं। भूमि का कब्जा, आवास विकास परिषद् को भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिया जाता है और सम्बन्धित भूमि का मुआवजा, भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा ही, धनराशि आवास विकास परिषद् से प्राप्त करके, निर्धारित प्रक्रियानुसार बांटा जाता है।

जिला अधिकारी लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार इन्दिरा नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत नम्बरी मौजा, इस्माइलगंज की अर्जित भूमि का अभी निर्णय दिनांक 2-3-1984 को घोषित किया गया है, जिसमें पानीगांव व चमरौखा गांव भी आते हैं। अधिगृहीत भूमि का अभिनिर्णय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किया गया। अर्जित भूमि के अभिनिर्णय में अग्रिम भुगतान की धनराशि को कम करके रुपया 2,52,74,485.78 पैसा दिनांक 2-3-1984 को घोषित किया गया। घोषित प्रतिकर के मांग के आधार पर, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा 50 लाख रुपया दिनांक 20-3-1984 को उपलब्ध कराया गया, जिसका भुगतान दिनांक 26-3-1984 को कर दिया गया है। मुआवजे का भुगतान खाते के क्रमानुसार किया गया है, निश्चित तिथि पर जो कृषक उपस्थित हुये, उन्हें भुगतान कर दिया गया है। चूंकि, क्रम से भुगतान की प्रक्रिया अपनायी गयी, अतः किसी के साथ पक्षपात करने का प्रश्न नहीं उठता है।

गांवों में जाकर मुआवजा बांटने की प्रथा अभी तक नहीं रही है। यदि मुआवजा बांटने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच की जायेगी।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान मुआवजा बांटने की वर्तमान प्रक्रिया की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जो लखनऊ नगर में भूमि अध्याप्ति अधिकारी का कार्यालय है, हैदरगढ़ तहसील बाराबंकी भी इसकी परिधि में आता है। मान्यवर, जैसे ही वहां किसान आता है, वहां 5-7 वकीलों और वहां के बाबुओं का एक गिरोह है, जो हरिजन अनपढ़ होते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, वह उनसे मनचाही तरीके से घूस की बात करता है और अपना कमीशन तय करता है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, प्रश्न कर रहा हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान प्रक्रिया है, जिसमें कि किसान को लूटा जा रहा है और आपके भूमि अध्याप्ति कार्यालय के बाबू लखपति बनते जा रहे हैं, तो क्या इस प्रक्रिया को सरल करने के लिये इस पर विचार करेंगे कि जब भी ऐसे गांवों का मुआवजा बांटें, तो उसमें ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय विधायक को सम्मिलित कर लिया जायेगा, ताकि जो इस तरह से गरीब हरिजन अनपढ़ों का शोषण हो रहा है, वह न होने पाये?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और शासन को भी यदि वहां के क्षेत्रीय विधायक या ग्राम प्रधान ऐसे समय पर उपस्थित रहना चाहते हैं, तो वह आ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप इनके मूल प्रश्न को देखने की कृपा करें। प्रश्न में जो मुख्य मुद्दा उठाया गया था, माननीय मन्त्री जी ने उसका उत्तर तो दिया नहीं। इसमें शिकायत की थी कि हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों, अनपढ़ किसानों से 5 से

लेकर 15 परसेन्ट की घूस ली जा रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह प्रश्न उनके पास पहुंचा, तो इस शिकायत की जांच शासन के द्वारा किससे करायी गयी और क्या तथ्य प्रकाश में आये ? दूसरी बात यह चाहता हूं कि जब कोई भी काश्तकार पैसा लेने के लिये जाता है, तो यह मेरी जानकारी में है, और मैं खुद मौके पर भी गया हूं। उसमें सत्यापन कराया जाता है कि यह व्यक्ति वही है या नहीं। यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी तक पैसा बटवाया है, उन पैसा लेने वालों का सत्यापन किससे कराया है, उसकी पुष्टि किसने की है, ग्राम प्रधान ने या किसी वकील या बाबू लोगों ने ? दो सवाल इसमें मेरे हैं एक तो यह कि जो शिकायत की गयी कि 5 से 15 परसेन्ट की घूस ली जा रही है, इसकी किससे जांच करायी गयी और क्या तथ्य प्रकाश में आये और दूसरे सत्यापन की बाबत पुष्टि किसने-किसने की है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, यह जो माननीय सदस्य ने कहा कि 5 से 15 परसेन्ट की घूस ली जा रही है, तो इसकी कोई जानकारी शासन को नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं, ताकि इस मामले की भली प्रकार से जांच इत्यादि हो सके।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

जनपद पीलीभीत में फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में फार्मेसिस्टों को 20-20 साल तक लगातार काम करने पर भी कन्फर्म नहीं किया गया है, जब कि कन्फर्म पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

जन-स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद पीलीभीत में कोई भी फार्मेसिस्ट ऐसा नहीं है जिसकी सेवाएं 20 वर्ष की हो चुकी हों और उसका स्थायीकरण न किया गया हो। जनपद पीलीभीत में फार्मेसिस्टों के कुल 31 पद हैं। इनमें से 2 अस्थायी तथा 29 स्थायी पद हैं। 7 स्थायी पद रिक्त हैं। शेष स्थायी पदों के विरुद्ध 18 फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण किया जा चुका है। 3 फार्मेसिस्ट जनपद पीलीभीत में कुछ ही समय पूर्व आए हैं। उनके अभिलेख उपलब्ध हो जाने के उपरान्त स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एक फार्मेसिस्ट, जिनका सेवा काल 3 वर्ष से कम है, अभी स्थायीकरण का पात्र नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उत्तर में बताया है कि 18 फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण किया जा चुका है, तो उनका स्थायीकरण कब किया गया ?

श्री लोकपति--

यह तो एक प्रक्रिया है, प्रतिवर्ष होता रहता है। तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद, स्थायीकरण होता रहता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वह बिना फाइल देखे ही, हवा में बात कह गये। मान्यवर, आप स्वयं देखें, मामला कितना गम्भीर है, जिसकी ओर, मैंने प्रश्न के माध्यम से

शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। मान्यवर, यदि शासन इसकी गम्भीरता को समझता होता, तो इससे कर्मचारियों का बड़ा भला होता और शासन बदनाम होने से भी बचता। मैं आपका मान्यवर, संरक्षण इसमें चाहता हूं। जिस समय सवाल की सूचना दी थी उस समय मेरी सही जानकारी है कि 20-20 साल के लोग वहां पड़े हुए थे। मेरा सवाल मिलने के बाद 18 का कन्फर्मेशन हुआ। इसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं यह जानना चाहता था कि उनका कन्फर्मेशन कब हुआ। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 3 पद रिक्त पड़े हुए हैं और आपके पास आदमी भी हैं, इनका कन्फर्मेशन कब तक हो जायगा ? आपने कहा कि नये-नये आये हैं। जब यह आये हैं तो इनकी चरित्र पंजिका भी आ जानी चाहिये। अगर नहीं आयी तो ढिलाई है। जो 3 बचे रह गये हैं, उनका नियमानुसार नियमितीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री लोकपति--

एक अक्टूबर, 1983 का है, एक 19 मार्च, 1984 का है, एक 5 मार्च, 1984 में आये हैं, एक 28-7-82 में आये हैं। पहले तीन के अभिलेख आये नहीं हैं, एक की सेवा तीन वर्ष से कम की है, बाकी जिनकी सेवा 3 वर्ष से ऊपर की है अभिलेख आते ही कर दिये जायेंगे।

श्री रियाज अहमद--

20-20 साल से एक ही स्थान पर जो कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हें हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

ऐसा तो कोई है नहीं।

श्री रियाज अहमद--

मेरी निश्चित जानकारी है कि पीलीभीत के अस्पताल में 20-20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा, अगर आपको जानकारी है तो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जहां तीन के बारे में बताया कि अभी नये-नये आये हैं, एक साल से अधिक समय दो लोगों को हो रहा है। जैसी जानकारी दी, यह कहीं और भी सर्विस करते होंगे, तो फिर ट्रांसफर के साथ-साथ सर्विस बुक न आने का क्या कारण है ? यदि सर्विस बुक आ गयी होती तो नियमानुसार नियमितीकरण हो चुका होता। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है कि सर्विस बुक आ जाय और नियमितीकरण हो जाय ?

श्री लोकपति--

सर्विस बुक मंगायी गयी है। गुप्त जी का यह सुझाव अच्छा है कि जिस-जिस अधिकारी के ट्रांसफर होते रहे हैं, सर्विस बुक जाती रहे, इसका पालन कराऊंगा।

पर्वतीय अंचलों में एम0 बी0 बी0 एस0 चिकित्सकों की नियुक्ति

*2--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल के 1980 से 1983 तक के 200 (दो सौ) एम0बी0 बी0 एस0 चिकित्सकों की आज तक नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय जिलों में अस्पतालों में डाक्टरों की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

पर्वतीय क्षेत्रों से केवल पर्वतीय क्षेत्र के एम0 बी0 बी0 एस0 पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना विधिक दृष्टि से संभव नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुये प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग (साधारण ग्रेड) के अन्तर्गत पर्वतीय उप संवर्ग का गठन 16-3-1981 को किया गया । लोक सेवा आयोग द्वारा इस संवर्ग के लिये सितम्बर, 1982 में 358 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था । लोक सेवा आयोग को 584 पदों हेतु चयन के लिये अभियाचन भेज गये हैं । इस बीच रिक्तियों को यथासम्भव तदर्थ रूप से भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार यह मसला इस सदन में मेरे द्वारा और अन्य हमारे पर्वतीय अंचल के विधायकों द्वारा उठाया गया । अभी भी माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि चिकित्सक सभी अस्पतालों में भेज दिये जायेंगे । पर्वतीय अंचल के जो चिकित्सक हैं, उनसे आपने अनुबन्ध कर रखा है 5 सालों तक सेवा करने का, तो उनको अभी तक नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

जो पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्सक हैं, उसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के चिकित्सक होते हैं, माननीय सदस्य किनके बारे में जानना चाहते हैं ?

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

हमारी जानकारी है कि 1980 से अब तक ऐसे डाक्टर्स मौजूद हैं जो डायरेक्टर के यहां और माननीय मंत्री जी के यहां रोजाना चक्कर लग रहे हैं कि उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया जाए और हम भी आपसे कहते हैं कि वहां की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें नियुक्त कर दिया जाए और इनसे आपने 5 साल तक का अनुबन्ध भी करा रखा है कि सरकारी अस्पतालों में सेवा करनी होगी, तो इस सिलसिले में हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति अब तक आप द्वारा किन कारणों से पर्वतीय अंचल में नहीं हो सकी और क्या अब विचार करने जा रहे हैं ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्नों में दो प्रश्न मेरे समझ में आए । एक तो वह जानना चाहते हैं कि डाक्टरों के चयन करने की प्रक्रिया क्या है तो इसका उत्तर यह है कि उनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और लोक सेवा आयोग ने अभी 600 डाक्टरों का पुनर्प्रकाशन किया है अगर उनमें से दो सौ लोग ऐसे हैं जो पर्वतीय अंचल में सेवा करना चाहते हैं तो उस पर भी विचार किया जायेगा । और दूसरा प्रश्न जो विष्ट जी ने किया है वह यह कि जिन डाक्टरों ने एम0 बी0 बी0 एस0 पास कर लिया है और जिन्हें यह बान्ड भरवा लिया जाता है कि यदि आवश्यकता होगी तो पहले 5 सालों तक सरकारी सेवा करनी होगी, तो जिन लोगों ने ऐसे अनुबन्ध भरे हैं, उनको अभी तक सेवा में क्यों नहीं लिया गया है, तो यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों की समस्या बहुत पहले से है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग (साधारण ग्रेड) के अन्तर्गत पर्वतीय उप संवर्ग का गठन 16-3-1981 को किया गया है और लोक सेवा आयोग द्वारा इस संवर्ग के लिए सितम्बर, 1982 में 358 अभ्यर्थियों का चयन

किया गया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 358 में से अब तक कितने लोगों को कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया है और यदि इनमें से कुछ लोगों को कार्यभार ग्रहण करवा भी दिया गया है तो उन्हें स्थायी करने की कार्यवाही क्या आप करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

इन 358 में से 266 लोगों को चयनित कर लिया गया है और जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है उसका उत्तर मैंने अभी दिया है कि शासन के अन्दर यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, डाक्टरों की कमी न केवल पहाड़ों पर है बल्कि हर जगह है। इस बात को देखते हुए लोक सेवा आयोग द्वारा जिन 600 पदों का चयन किया गया है, उनकी नियुक्ति न करने के अब तक क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, लोक सेवा आयोग द्वारा 15 सौ पुरुष और 600 महिला डाक्टर्स का चयन कर लिया गया है और जैसे-जैसे उनका वेरीफिकेशन होता जा रहा है, उनकी नियुक्ति होती जा रही है।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, अभी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

मैं अब आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

पहाड़ों पर डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, नेता लोग, आप इन्हें समझाइये।

श्री हुकुम सिंह--

वह अपने आप ही जा रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

पहाड़ों पर डाक्टर नहीं हैं, मैं इस पर सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये।)

*3--श्री अजीत सिंह सेठी--

[8वें सोमवार में नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद जौनपुर की साधन सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण

*1--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि माह नवम्बर, दिसम्बर, 1983 एवं

जनवरी, 1984 में जनपद जौनपुर की अधिकांश साधन सहकारी समितियों ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं किया? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

माह नवम्बर, दिसम्बर, 1983 तथा जनवरी, 1984 में जनपद जौनपुर की अधिकांश साधन सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं में कौन-कौन सी वस्तुएं आती हैं और क्या इन महीनों में उक्त सभी आवश्यक वस्तुओं का बितरण साधन सहकारी समितियों द्वारा किया गया ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, आवश्यक वस्तुओं में चीनी, तेल तथा कपड़ा आदि यह सभी चीजें आती हैं।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि क्या इस अवधि में यह सभी वस्तुएं साधन सहकारी समिति द्वारा वितरित की गयी? मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि चीनी के अलावा इस अवधि में अन्य कोई भी आवश्यक वस्तु साधन सहकारी समिति द्वारा वितरित नहीं की गयी है। चीनी के अलावा और कौन-कौन सी वस्तुएं इन साधन सहकारी समितियों के द्वारा वितरित की गयी हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, मैंने बता दिया कि चीनी, तेल यह सब सामग्रियां साधन सहकारी समितियों के द्वारा वितरित की जाती हैं। यदि माननीय सदस्य को कहीं के बारे में कुछ कहना है तो बतला दें, उसे देख लेंगे।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह बतला देना चाहता हूं कि ऐसी भी साधन सहकारी समितियां हैं जौनपुर में, जो पिछले एक वर्ष से और कोई भी आवश्यक वस्तु नहीं उठा रही हैं। यदि हैं, तो वहां तत्काल आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिये आप कौन सी आवश्यक व्यवस्था करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

कुछ साधन सहकारी समितियां ऐसी हैं कि वहां के सचिव निलम्बित होने के कारण से या उनके कहीं चले जाने के कारण ठीक से बितरण नहीं हो रहा है। लेकिन उसे किसान साधन सहकारी समिति से संबंधित कर दिया गया है और काम हो रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों का मूल्य निर्धारण

*2—श्री अकबाल हुसैन—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण जो मकान बनाता है उनके मूल्य निर्धारण का आधार क्या है ? उसकी लागत प्रति स्क्वायर फीट कितनी है और वह कितने मूल्य पर दिया जाता है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो भवन बनाये जाते हैं उनके मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित किये जाते हैं :

(1) भवन निर्माण की लागत,
(2) अधिष्ठान व्यय (10 प्रतिशत की दर से),

(3) अनुरक्षण व्यय (2 प्रतिशत की दर से),

(4) व्याज (निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि से निर्माण समाप्त होने की तिथि के आधे समय का तथा निर्माण समाप्त होने की अगली तिथि से आवंटन तक (पूर्ण अवधि का) उस व्याज दर से, जिस पर ऋण लिया गया है),

(5) लाभांश,

(6) भूमि का मूल्य,

(7) पट्टे के किराये की वसूली हेतु प्रबन्ध व्यय–2 प्रतिशत की दर से (भूमि के मूल्य पर)

भवन की लागत प्रति वर्ग फुट निर्मित होने वाले भवन की गुणा विशिष्टियों पर निर्भर करती है। जिन विभिन्न प्रकार के भवनों का मूल्य निर्धारण किया जा चुका है या वर्तमान में किया जा रहा है, उनकी लागत सामान्यतया लगभग 100 रु0 प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के आ रही है। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भवन आवंटित किये गये हैं उनका मूल्य भवनों की श्रेणी के अनुसार अलग–अलग है।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन भवनों की सम्भवतः लागत 100 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र की आती है तो उसका जो आप आवंटन करते हैं तो उसकी दर निर्मित क्षेत्र की प्रति वर्ग फीट कितनी है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह सामान्यतः 100 रुपये प्रति वर्ग फिट आता है लेकिन जब आवंटन किया जाता है, तो 125 रुपये प्रति वर्ग फिट के लगभग आता है।

श्री अकबाल हुसैन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में हानि लाभ के आधार पर भवन तैयार किए जाते हैं, इनकी लागत 100 रुपये प्रति वर्ग फिट आती है तो 125 रुपये प्रति वर्ग फिट लेने का क्या औचित्य है ? इससे विकास प्राधिकरण को लाभ होता है। लागत 100 रुपये है और आवंटन के समय 125 रुपये ले रहे हैं, तो ऐसा करने का क्या औचित्य है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, यह जो दुर्बल और निम्न आय के लोग हैं, उनसे नहीं लिया जाता है। जो ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ नहीं लिया जाता है, उसका समीकरण तय करने के लिए यह लिया जाता है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्राध्यापक पी0 सी0 जैन के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा, भ्रष्टाचार की जांच

*1—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 पी0 सी0 जैन जो कभी राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे, के विरुद्ध आरोपित कतिपय भ्रष्टाचार के मामलों में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई। यदि हां, तो सतर्कता विभाग ने उनके विरुद्ध किन–किन आरोपों को सत्य सिद्ध पाया और उनकी रोशनी में में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह—

श्री पी0 सी0 जैन, तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विरुद्ध की गयी सतर्कता जांच में, यह पाया गया कि उन्होंने एक औषधि की आपूर्ति-आदेश निर्गत करने में, उन्हें प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण किया।

श्री जैन मार्च, 1983 में सेवानिवृत्त हो गये हैं। नियमानुसार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह बड़ी विडम्बना की बात है कि जिन अधिकारियों को आर्थिक मामलों में सतर्कता की जांच के बाद दंडित किया जाना होता है, उनके लिये ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है कि वह स्वतः सेवानिवृत्त हो जायं और तब वह शासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात हो जाती है कि उस पर कोई कार्यवाही की जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री पी0 सी0 जैन, आयुर्वेदिक कालेज के जो प्रधानाचार्य थे उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की कौन-कौन सी शिकायतें थीं? और जब सतर्कता विभाग की रिपोर्ट आयी तो उसमें कौन-कौन से आरोप सिद्ध पाये गये?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य को आपातकालीन स्थिति में 2 हजार रुपये की दवा खरीदने का अधिकार है। सम्बन्धित प्रधानाचार्य ने 8,400 रुपये की दवा खरीदी जिसमें 6,400 रुपये की दवा खरीदना उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विजीलेन्स में यह मामला गया। उसकी रिपोर्ट आयी कि इनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जाय। रिपोर्ट आने के पहले ही वह रिटायर हो गये। अब रिपोर्ट आ गयी है उनकी ग्रेच्युटी आदि कुछ होगी तो 6,400 रुपये रोक लिया जायेगा और विभाग कार्यवाही करेगा।

गढ़वाल जल संस्थान के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान

*2—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4866/9-3-82/126 डब्लू0/01, दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 द्वारा गढ़वाल जल संस्थान के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के समकक्ष देने हेतु आदेश पारित किये हैं जब कि अभी तक उक्त कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश जल निगम के अनुरूप वेतनमान दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

गढ़वाल जल संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जो शासनादेश संख्या 4866/9-3-82/126-डब्लू0-81, दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 जारी किया गया था, उसका कार्यान्वयन किया जा चुका है। परिणामस्वरूप उस शासनादेश में जिन पदों का उल्लेख था उनके पदधारकों को मार्च, 1984 का वेतन पुनरीक्षित वेतनमानों में दिया गया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि उनको जो पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया है वह स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के बराबर दिया गया है जब कि अभी तक उक्त कर्मचारियों को जल निगम के कर्मचारियों के बराबर दिया जा रहा है। मैंने यह साफ पूछा था कि जल संस्थान के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्थानीय निकायों के समकक्ष क्यों दिया गया है? इसका जवाब नहीं आया। मान्यवर, गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम यह जो दो विभाग हैं इनमें जल निगम कर्मचारियों का वेतनमान ऊंचा है और आपने पुनरीक्षित वेतनमान गढ़वाल जल संस्थान के कर्मचारियों को स्थानीय निकायों के बराबर दे दिया जब कि पहले जल निगम के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान मिलता था। जल निगम और जल संस्थान दोनों के कर्मचारियों का काम एक नेचर का है और

दोनों एक परिस्थिति में काम करते हैं। शासन की नीति भी यही है कि समान कार्य और समान परिस्थिति में काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन मिलना चाहिये तो उनको आपने कम वेतनमान क्यों दिया ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, जो हमारे जल संस्थान हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, वे स्थानीय निकायों की परिधि में आते हैं, उसके हिसाब से यह दिया गया है। यह जरूर है कि वहाँ कर्मचारियों को जल निगम के बराबर वेतन देने के लिए शासन को लिखा गया था लेकिन शासन ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो जल संस्थान हैं उनके कर्मचारियों को स्थानीय निकायों के समान वेतन दिया जाता है। इसलिए गढ़वाल जल संस्थान के कर्मचारियों को भी वही दिया गया

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा यह सरकार लगातार बजट के समय अपनी पीठ ठोकती है, यह कह कर कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण कर रहे हैं, उसके लिए यहां पर बजट भी ले लिया। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जब शासन की यह नीति है, जिसको बजट के समय माननीय वित्त मन्त्री जी ने बार-बार इस आदरणीय सदन के सम्मुख कहा है कि हम जल संस्थान और जल निगम को एक करना चाहते हैं और जब हमने प्रश्न किया एक क्यों नहीं करते हैं तो बताया गया कि उस पर विचार कर रहे हैं। आपके सचिव उस पर विचार करें या न करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम दोनों एक परिस्थितियों में काम करते हैं एक जल निगम निर्माण करता है और जल संस्थान उसका अनुरक्षण करता है। तो क्या शासन अपनी नीति के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन के वायदे को पूरा करते हुए गढ़वाल जल संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को जल निगम के समान वेतन देने की कृपा करेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एकरूपता लाने के लिए पिछले दिनों इसी सत्र में ऐक्ट में संशोधन किया गया था और वह हो गया है। उसी के आधार पर शासन कार्य कर रहा है।

सचिवालय डिस्पेन्सरी में इन्जेक्शन लगाने से कार्मिक सचिव शाखा के सहायक स्व0 रहीमुद्दीन सिद्दीकी की मृत्यु

*3--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि 1 सितम्बर, 1983 को सचिवालय डिस्पेन्सरी में एक अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इन्जेक्शन लगाने से कार्मिक सचिव शाखा के एक सहायक स्व0 रहीमुद्दीन सिद्दीकी की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जांच किन-किन स्रोतों से करायी गयी तथा प्रत्येक स्रोत के जांच परिणाम क्या हैं ? उक्त डिस्पेन्सरी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह--

कार्मिक सचिव शाखा के सहायक श्री रहीमुद्दीन सिद्दीकी की मृत्यु सचिवालय प्रांगण में दिनांक 1 सितम्बर, 1983 को हुई थी। मृत्यु के कारणों की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

इस मामले की प्रशासनिक जांच भी उप मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा कराई गई। जांच आख्याओं में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित

कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति उदासीन होना पाया गया। उक्त डिस्पेन्सरी के तदर्थ रूप से प्रोन्नत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर स्थानान्तरित कर दिया गया, इन्जेक्शन हेतु तैनात फार्मेसिस्ट तथा हेड फार्मेसिस्ट को निलम्बित कर दिया गया तथा एक चिकित्साधिकारी एवं एक फार्मेसिस्ट को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैंने अपने प्रश्न में इन्जेक्शन का हवाला दिया था, जिसका उत्तर दिया कि मौत इन्जेक्शन लगने से हुई। मैं माननीय मन्त्री जी से इस बात की जानकारी चाहता हूं कि यह इन्जेक्शन अनअथोराइज्ड आदमी ने लगाया था, जो राधा ड्रग हाउस से आया था। उसने इन्जेक्शन लगाया तो क्या इसकी जानकारी अभी तक हो गयी है या नहीं ? क्योंकि इस मामले को 6 महीने हो गये हैं ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं आया। विसरा जांच के लिए भेजा गया है, उसके आने के बाद ही निर्धारण हो सकेगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी अपने डिस्क्रिशनरी फंड से या किसी और फंड से उस सिद्दीकी के परिवार वालों को कुछ आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, हर सरकारी कर्मचारी इन्श्योर्ड है, इसलिये उसको पैसा मिल गया होगा।

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*5--श्री सत्यपाल सिंह--

[8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मथुरा, वृन्दावन में यमुना नदी में प्रदूषित जल का शुद्धिकरण

*6--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि मथुरा वृन्दावन में जमुना नदी का जल साड़ियों की धुलाई, गन्दे नाले एवं फैक्टरियों के अशुद्ध जल के कारण बहुत प्रदूषित हो गया है और यह जल यात्रियों के स्नान व आचमन योग्य नहीं रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन पवित्र यमुना जल के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रभावी योजना बनायेगा ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां।

जी हां।

इस विषय में निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :--

(1) नगर पालिका, मथुरा द्वारा उपनियम बनाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा साड़ी उद्योग पर यह प्रतिबन्ध रहेगा कि वे अपना दूषित जल किसी भी दशा में यमुना में न गिरने दें,

(2) उक्त उद्योगों के दूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उ० प्र० हथकरघा विकास निगम की सहायता से एक संयुक्त संयंत्र की योजना विचाराधीन है, तथा

(3) उ० प्र० जल निगम के माध्यम से तीन चरणों में एक वृहत् योजना प्रस्तावित है जिसमें प्रथम चरण में गन्दे पानी को डाइवर्ट कर सीवेज फार्म तक पहुंचाने एवं सीवेज फार्म का विकास कार्य

सम्मिलित है । द्वितीय चरण म बचे हुए क्षेत्र में सीवर लाइनों के बिछाने एवं बायो गैस सयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है तथा तृतीय चरण में सम्पूर्ण ट्रीटमेंट का कार्य प्रस्तावित है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर में जो कार्यवाही उन्होंने बताई है, वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जल्दी ही कार्यवाही पूरी कर लेंगे । चूंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण आयल रिफायनरी, मथुरा के कारण है और वहां ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है । दूसरी चीजों के बारे में शीघ्र ही कार्यवाही पूरी करेंगे ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इस समय बहुत से तीर्थ यात्री मथुरा वृन्दावन में आये हैं और वहां जमुना में गंदा पानी है, इसके अलावा पानी कम रह गया है जिससे यात्रियों को स्नान व पूजा करने में दिक्कत हो रही है । इसलिए क्या मन्त्री जी अपने प्रयासों से जो दिल्ली में ताजे वाला बांध है, जहां पानी रोक लिया जाता है, उसमें से अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में पानी छुड़वाने का प्रयास करेंगे ताकि प्रदूषण बह जाये और लोग स्नान कर सकें ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, ताजे वाला बांध से पानी नहीं दिया जाता है । पानी कम होता है तो गंगा से 100 क्यूसेक पानी डलवा दिया जाता है । अभी वह स्थिति नहीं आई है, यदि आयेगी तो पानी डलवा दिया जायेगा ।

गुप्ता पेट्रोलियम, हरदोई को विकलांगता के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया गया कथित लाइसेन्स

*7--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री को जानकारी है कि गुप्ता पेट्रोलियम, हरदोई को शासन ने मिट्टी के तेल का लाइसेन्स वर्ष 1983 में दिया ? क्या यह सत्य है कि यह लाइसेन्स विकलांगता के आधार पर फर्जी प्रमाण-पत्र पर दिया गया जबकि इसके मालिक विकलांग नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके लिए, कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री (श्री जैराज गौतम)--

जी हां, मेसर्स गुप्ता पेट्रोलियम, हरदोई को जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा मिट्टी तेल के एजेन्ट (थोक विक्रेता) का लाइसेन्स वर्ष 1983 में दिया गया था । मिट्टी तेल के एजेन्ट का लाइसेन्स दिये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि आवेदक को किसी तेल कम्पनी ने अपना डीलर नियुक्त किया हो । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ने प्रश्नगत फर्म को हरदोई में अपना डीलर नियुक्त करने की सूचना जिलाधिकारी, हरदोई को दी थी जिसके आधार पर उक्त फर्म को मिट्टी तेल के एजेन्ट का उक्त लाइसेन्स दिया गया । जिलाधिकारी को इसकी सूचना नहीं है कि उन्हें तेल कम्पनी ने विकलांगता के आधार पर अपना डीलर नियुक्त किया है । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 से जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि मेसर्स गुप्ता पेट्रोलियम, हरदोई को उन्होंने विकलांगता के लिए आरक्षित डीलरशिप की श्रेणी में हरदोई में अपना डीलर नियुक्त किया था जिसके लिए उक्त फर्म के मालिक ने विकलांग होने का डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था और उक्त प्रमाणपत्र के फर्जी होने की उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता ।

(श्री श्याम लाल बाजपेयी द्वारा किसी माननीय मन्त्री से खड़े होकर बात करने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी, नीचे बैठकर बात कीजिए ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, अगर आप मेरे प्रश्न और उत्तर को देखें तो मुझे मन्त्री जी की योग्यता पर शक होने लगा है, मेरे प्रश्न का दूसरा पैरा है कि क्या यह सत्य है कि यह लाइसेन्स विकलांगता के आधार पर फर्जी प्रमाण-पत्र पर दिया गया जबकि इसके मालिक विकलांग नहीं हैं । मन्त्री जी जवाब यह देते हैं कि जिलाधिकारी को इसकी सूचना नहीं है, क्योंकि उन्हें तेल कम्पनी ने विकलांगता के आधार पर अपना डीलर नियुक्त किया है, और यह आगे कहते हैं कि उक्त फर्म के मालिक ने विकलांग होने का डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था और उक्त प्रमाण-पत्र के फर्जी होने की उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । श्रीमन्, 1-2-84 को मैंने प्रश्न डाला था, तब से ढाई महीने हो गए हैं और मंत्री जी कहते हैं कि जिलाधिकारी को कोई शिकायत ही नहीं मिली कि वह फर्जी प्रमाण-पत्र है या नहीं, जबकि मेरा प्रश्न स्पष्ट संकेत इस ओर रहा है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिलाधिकारी ने उक्त विकलांगता के फर्जी प्रमाण-पत्र की कोई जांच कराई ? यदि कराई तो उसकी रिपोर्ट क्या है और यदि नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन, माननीय सदस्य ने हमारे ऊपर कुछ आक्षेप किया है, मैं समझता हूं यह उनकी योग्यता का प्रमाण-पत्र है । इसका जो लाइसेन्स है वह जिलाधिकारी देता है । वह सबसे पहले कम्पनी में अप्लाई करता है, उस अप्लाई करने पर वहां पर उनका बोर्ड है वह उस पर विचार करता है और जब वह तय करके जिलाधिकारी को भेज देगा कि यह हमारा पात्र है, डीलर है, तब जाकर जिलाधिकारी उसको लाइसेन्स देगा । जिस वक्त कम्पनी ने उसकी डीलरशिप का प्रमाण-पत्र भेजा, उस समय जिलाधिकारी को यह सूचना नहीं थी कि यह विकलांगता के आधार पर है या नहीं, वह विकलांग है या नहीं ! बाद में जब सूचना मंगवायी गई तो जानकारी मिली कि विकलांग होने के आधार पर उनको डीलर करार दिया गया था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मंत्री जी कहते हैं कि जब कम्पनी ने लिखकर दिया कि उनको विकलांगता के आधार पर दिया गया तो यह मालूम हुआ और आगे अपने जवाब में यह कहते हैं कि जिलाधिकारी को इसकी कोई शिकायत नहीं मिली । मेरा स्पष्ट आरोप है, जब मैंने प्रश्न डाला था और शिकायत की थी--मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा यदि मेरा आरोप गलत साबित हो, वह इस बात की जांच करा लें, वह व्यक्ति बिलकुल ठीक है और उसने फर्जी प्रमाण पत्र देकर लाइसेंस प्राप्त कर लिया तो मेरी निश्चित जानकारी के आधार पर क्या मंत्री जी कोई बोर्ड गठित करके उसमें अपने डाक्टरों और अधिकारियों को बिठाकर, इस बात की जांच करायेंगे कि वह विकलांग है या नहीं ? और यदि नहीं है तो क्या वह उचित कार्यवाही करके मुझे सूचित करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जब माननीय सदस्य का प्रश्न आया तो कम्पनी से जानकारी की गयी कि क्या उन्होंने उसे विकलांगता के आधार पर अपना डीलर करार दिया था । वहां से सूचना मंगवायी गयी, वहां से कम्पनी ने इसका उत्तर भेजने में देर की, बाद में जब मंगवाया गया तो उन्होंने जानकारी दी और उस प्रमाण पत्र की फोटो

भी दी। अब कम्पनी उसकी जांच करवाये। मेरे पास सार्टीफिकेट की कापी भी है कि वह विकलांग है।

श्री अध्यक्ष--

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह इस्तीफा दे देंगे, तो क्या आपके लिए सम्भव है कि आप इस पर दुबारा दिखवा लें और किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करा लें कि वह विकलांग हैं या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उसकी जांच करा लेंगे, लेकिन लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कम्पनी को लिखना पड़ेगा। इसकी मैं जांच करा लूंगा कि वह विकलांग है या नहीं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे इसकी जांच कब तक करा लेंगे और क्या जांच से मुझे भी अवगत करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हम मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसकी जांच करवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, इसमें एक डाक्टर से फर्जी सर्टिफिकेट दिया, ऐसा आभास होता है। तो जांच में अगर यह पाया गया कि डाक्टर से फर्जी सर्टिफिकेट दिया है तो क्या मंत्री जी उस डाक्टर के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जांच में अगर डाक्टर के खिलाफ कोई बात पायी गयी तो यदि वह सरकारी डाक्टर हुआ तो हेल्थ मिनिस्टर को लिखेंगे, प्राइवेट हुआ तो उसका दूसरा उपचार किया जायेगा।

जी0 एस0 वी0 मेडिकल कालेज, कानपुर में एम0 एस0 में प्रवेश दिये जाने में कथित अनियमितता

*8--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--
(अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 एस0 वी0 मेडिकल कालेज, कानपुर में मई, 1982 में हाउस जाब के वितरण के कारण एम0 एस0 में प्रवेश में दिये जानें में अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया है ? क्या यह सही है कि उक्त हाउस जाब का वितरण शासन की अधिसूचना संख्या 8147/सैक/14/पाँच-250-82, दिनांक, 15-12-1982 तथा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पत्रांक एम0 ई0 1/82/3417, दिनांक 3-5-1982 के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, परन्तु कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी। हाउस आफिसर/रेजिडेंट्स आदि के पदों पर नियुक्तियां राजाज्ञा संख्या-12543 से01/पाँच-क-111/76, दिनांक 29 दिसम्बर, 1977 के अनुसार मेरिट के आधार पर ही की जाती हैं। शासकीय अधिसूचना संख्या-8147 से0 14/पांच-250/82, दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 उपरोक्त नियुक्तियों से सम्बन्धित नहीं है। निदेशक का कोई अन्य आदेश इन नियुक्तियों पर लागू नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति, टोडी-फतेहपुर, झांसी में लाखों रुपये के घपले के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

*9--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति टोडी-फतेहपुर (जनपद झांसी) में लाखों रुपये के घपले के सम्बन्ध में 30-6-83 को प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र मिला है ? यदि हां, तो उक्त मामले में दोषी व्यक्ति कौन हैं ? क्या विभाग द्वारा पुलिस में कोई प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी है तथा शासन द्वारा अभी तक क्या कानूनी कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरे प्रश्न को देखने का कष्ट करें । इसमें एक तो यह पूछा है कि क्या 30-6-83 को प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र मिला है, इसमें मान्यवर, क्या जांच करायी जा रही है ? एक पूछा है कि कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं, तीसरी बात यह पूछी है कि विभाग द्वारा पुलिस में कोई प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी और चौथी बात यह पूछी है कि अभी तक क्या कानूनी कार्यवाही की गयी, इसमें किस चीज की सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री बच्चा पाठक--

माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर पूरी सूचना आने के बाद ही दिया जा सकेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्न में 4 बिन्दु हैं, किस बिन्दु की सूचना एकत्र की जा रही है, और किस-किस बिन्दु की सूचना आ गयी ? क्या प्रार्थना-पत्र मिला है, इसकी भी सूचना नहीं है ?

श्री बच्चा पाठक--

प्रार्थना पत्र मिला है और बातों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

डाक्टर विक्रम सिंह, अध्यक्ष, जनता पार्टी, गाजियाबाद का नगर में सेक्टर 23 के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

*10--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नवम्बर/दिसम्बर, 1983, में डाक्टर विक्रम सिंह, अध्यक्ष, जनता पार्टी, गाजियाबाद का एक पत्र इस आशय का मिला है कि उक्त नगर के सेक्टर-23, रामनगर में 1200 क्वार्टर बनाए गये हैं वे सभी ध्वस्त हो रहे हैं ? शिकायती पत्र में यह मांग की गयी है कि जब तक उच्चस्तरीय जांच न हो ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि बिना उच्चस्तरीय टेक्निकल जांच के भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

एक ज्ञापन तथा मांग पत्र दिनांक 23-11-1983 प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य मांगों के अलावा सेक्टर-23 के तीन मंजिले एक कमरे वाले भवनों में कुछ खराबियों का उल्लेख किया गया था । न तो सेक्टर-23 कालोनी का नाम रामनगर है और न ही रामनगर के 1200 मकानों के ध्वस्त होने का उल्लेख उक्त ज्ञापन तथा मांग-पत्र में था । उक्त ज्ञापन एवं मांग-पत्र में पेमेंट के बारे में यह मांग की गई थी कि ठेकेदारों का पेमेन्ट व जमानत के रुपये काम ठीक किये बगैर न दिये जायें । माह अगस्त, 1983 के बाद ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पत्र तो उन्होंने गायब करा दिया है । मैं प्र। की बात कर रहा हूं, मंत्री जी ज्ञापन की बात कर रहे हैं । मैं जानना चाहता

हूं कि क्या कोई पत्र डाक्टर विक्रम सिंह का उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें स्पष्ट आरोप लगाये गये हैं कि सेक्टर 23 में, गाजियाबाद में जो 12 सौ मकान बनाये गये हैं, वह ध्वस्त हो रहे हैं। उसकी टेक्निकल जांच कराये बगैर ठेकेदार को भुगतान न किया जाय। क्या इस आशय का कोई पत्र मिला है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मुझे ज्ञापन पत्र मिला है, ठाकुर विक्रम सिंह से जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मंत्री जी ने वह पत्र गायब करा दिया है या गायब कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मैंने प्रश्न दिया तो 12 सौ मकानों की चर्चा उसमें थी। मेरा प्रश्न मिलने के बाद क्या मंत्री जी ने सेक्टर 23 में जो 12 सौ मकान बने हैं, उनकी जांच करायी कि यदि बने हैं तो उनकी स्थिति क्या है, ध्वस्त हो रहे हैं या नहीं ? जांच किस अधिकारी से करायी गयी, कब करायी गयी और जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि 12 सौ मकान तो अभी बने ही नहीं हैं। केवल 672 मकान बने हैं।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम चक्रपानपुर में एलोपैथिक पुरुष चिकित्सालय की स्थापना

*11--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ग्राम चक्रपानपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वीकृति शासन द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो उस पर डाक्टर, स्टाफ तथा औषधि की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ? विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री हरि सिंह--

जनपद आजमगढ़ के ग्राम चक्रपानपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है किन्तु वहां एक एलोपैथिक पुरुष चिकित्सालय स्थापित किए जाने के आदेश दिनांक 23-3-84 को जारी किए गये हैं। डाक्टर, स्टाफ तथा औषधि की व्यवस्था भी शीघ्रता के आधार पर की जा रही है।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानकारी करना चाहता हूं कि उक्त स्थल पर पिछली 9 अप्रैल को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गये थे। वहां पर डाक्टर की व्यवस्था नहीं है और वार्ड ब्वाय तथा कम्पाउन्डर से काम कराया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी तत्काल वहां पर डाक्टर की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, अतिशीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

उ0 प्र0 जल निगम में अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति एवं आरक्षण कोटा की पूर्ति

*12--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 31-12-83 को उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग ने अपने विभाग में जिन 25 अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दी है, क्या उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 6 अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति आरक्षित थी ? यदि हां, तो क्या कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उत्तर प्रदेश जल निगम में दिनांक 31-12-83 को 23 अवर अभियन्ता एवं 2 संगणक की सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नतियां की गई थीं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 8 व 1 पद आरक्षित थे।

अनुसूचित जाति के केवल एक अवर अभियंता को उपयुक्त पाया गया जिसकी प्रोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर कर दी गयी है। पात्रता क्षेत्र में आने वाले अनसूचित जाति/जनजाति के कोई भी अन्य अभ्यर्थी, प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया इस कारण आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा सका।

श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कैसे यह सरकार हरिजन विरोधी है इसलिए हरिजनों का कोटा किसी भी स्तर पर पूरा नहीं हुआ है मैं जानना चाहता हूं कि 31-12-83 को 23 अवर अभियंताओं एवं संगणक को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गयी। तो उस समय कितने अनुसूचित जाति के लोग कार्यरत थे और कितनी अवधि से कार्यरत थे, जो पात्रता की सूची में आते थे। इनका कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, अनुसूचित जाति के केवल 5 अभ्यर्थी ही, जो प्रोन्नति की प्रक्रिया है, उसके तहत आते थे।

श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि केवल 5 अभ्यर्थी ही इस परिधि में आते थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जब 5 लोग पदोन्नति की पात्रता में आते थे तो उनको पदोन्नति न देने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जो प्रोन्नति का आधार दिया गया है, उसमें खासतौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष जो छूट है, उसमें वरीयता-क्रम जो है, 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर होती है और मेरिट लिस्ट होती है। तो वरीयता सूची के अनुसार तो वह 10 वर्ष की सेवा में आ जाते थे, लेकिन मेरिट में वे नहीं आये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जब वह पात्रता सूची में आ गये, तो उसके बाद कौन सी कमी रह गयी, जिसके कारण आरक्षण पूरा नहीं किया गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, प्रोन्नति की जो लिस्ट बनती है, उससे 10 वर्ष की सेवा में तो वह आते हैं, लेकिन जो मेरिट का आधार है, उसमें नहीं आये।

श्री अध्यक्ष—

मैं शासन को आदेश देता हूं कि इस मामले में शासन पुनः विचार करे और देखे कि इनके साथ क्यों ज्यादती हो रही है।

नगरों की संगठित विकास योजना के कार्यान्वयन व नियन्त्रण हेतु नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन

*13—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने 22 नगरपालिकाओं में संगठित विकास योजना (आई० डी० एस० एम० टी०) दोनों के संयुक्त सहयोग से ऋण देकर कार्यान्वित करने

की योजना को अंतिम रूप दे दिया है ? यदि हां, तो क्या इसके कार्यान्वयन व नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर शासन द्वारा गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति में जन प्रतिनिधियों व नागरिकों को नामित किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के कार्यान्वयन व नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर शासन द्वारा गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति में जन प्रतिनिधियों व नागरिकों को नामित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त समिति के गठन के आदेशों में नगरपालिका के निर्वाचित अध्यक्ष और दो निर्वाचित सदस्यों को नामित किए जाने का प्राविधान है जबकि इस समय नगरपालिका में कोई निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उद्देश्य था करने का वही समाप्त कर दिया मन्त्री जी ने अपने उत्तर से । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने कारण बताया कि क्यों नहीं जनप्रतिनिधि को इसमें नामित किया गया, कारण यह बताया कि चूंकि नगरपालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आवश्यकता है इस अनुश्रवण तथा समन्वय समिति में, क्योंकि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी देख-रेख की जाय, जांच-पड़ताल की जाय, इसलिए उसमें जन-प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है । तो मैं मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह जनप्रतिनिधिओं की कोई कमेटी या सब-कमेटी, जिसमें तीन प्रतिनिधि हों और उसमें सम्भव हो सके विधायक हों, इस पर विचार करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, समिति के अन्दर प्राविधान तो था ही कि जनप्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष और दो सदस्य हों, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा विधायकों के लिए विचार किया जाय, यह जो 22-23 नगर आते हैं, उनके संबंध में क्षेत्रीय विधायकों को शामिल करने पर विचार किया जायगा ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने विधायक को शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा, जो छोटे और मध्यम नगरों में प्रशासक, कलेक्टर हैं, उन्हीं बोर्डों में विधायक और अन्य दो नागरिक नामित सदस्यों को शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, अभी तो इस पर कोई विचार नहीं किया गया, क्योंकि शासन की दृष्टि है कि शीघ्र चुनाव कराये जायं ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मंत्री जी प्रश्न की महत्ता को समझने की कृपा करें । आप इस बात को बहुत दिनों से कह रहे हैं कि चुनाव शीघ्र कराने की कोशिश कर रहे हैं । यह सभी को मालूम है कि नगरपालिका और जिला परिषद् के चुनाव निकट भविष्य में नहीं हो रहे हैं । मान लीजिए हो भी जायं अगली जून, जुलाई, सितम्बर तक, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा । शासन को तीन सदस्यों की समिति बनाने में क्या आपत्ति है ? क्यों नहीं मन्त्री जी इसको कह देते हैं, करोड़ों रुपया विकास के लिये दिया जा रहा है, उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है ।

श्री अरुण कुमार सिंह--

अनुश्रवण समिति जब बनायेंगे, तो जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उस पर विचार किया जायेगा ।

उ0 प्र0 भूमि विकास बैंक लि0 के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने हेतु पारित प्रस्ताव

*14--श्री गौरी शंकर भैय्या--(अनुपस्थित)

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 के संचालक मंडल ने दिनांक 11-4-79 को बैंक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव के आधे भाग को ही लागू करने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी प्रस्ताव को पूर्णरूपेण लागू करने का आदेश विभाग को देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

दिनांक 11-4-79 को उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल द्वारा महंगाई भत्ते के संबध में पारित प्रस्ताव निम्नवत् है--

(1) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 152% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाय । तृतीय श्रेणी तथा उसके ऊपर संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को 114 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाय, जिसकी न्यूनतम धनराशि 380 रुपये तथा अधिकतम धनराशि 570 रुपये मासिक हो । अब तक मिल रहे सभी प्रकार के महंगाई भत्ते, अन्तरिम सहायता तथा पूरक महंगाई भत्ता इसमें समायोजित हो जायेगा । इसे 1 जुलाई, 1978 से लागू किया जाय ।

(2) जुलाई, 1978 के पश्चात भूमि विकास बैंक लि0 के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में उसी दर पर वृद्धि की जाय जिस दर पर अन्य बैंक के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में उक्त तिथि के बाद वृद्धि हो ।

उपरोक्त प्रस्ताव के प्रथम भाग को दिनांक 5 जून, 1980 से कार्यान्वित किया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति निबन्धक द्वारा बाद में प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव के शेष आधे भाग को निबन्धक ने अस्वीकार कर दिया ।

बैंक प्रशासक द्वारा पूरे प्रकरण पर पुनः विचार करने के उपरान्त राज्य कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिए दिनांक 11 अगस्त, 1981 को दूसरा संकल्प पारित किया गया, जिसे निबन्धक की स्वीकृति के पश्चात कार्यान्वित कर दिया गया । अतः अब दिनांक 11-4-79 के प्रस्ताव के शेष आधे भाग को लागू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उप अधीक्षक, पुलिस, विशेष अनुसंधान शाखा, लखनऊ द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध गबन की जांच

*15--श्री भीखालाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उप अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता लखनऊ क्षेत्र ने अर्धशासकीय पत्र संख्या एस0 आई0 जी0-लखनऊ ए0-2/83, दिनांक 14 नवम्बर, 1983 द्वारा श्री जे0 के0 शर्मा, सामान्य प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई की संस्तुति की है कि पत्र में उल्लिखित चौदह अधिकारियों व कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध गबन के मामले अदालत में भेजे गये हैं, को तत्काल निलम्बित किया जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी निलम्बित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, आप प्रश्न को देखें । यह 24 जनवरी को सरकार के पास भेजा गया । प्रश्न यह था कि पुलिस

अधीक्षक, सहकारिता सेल ने सामान्य प्रबन्धक हरदोई को एक पत्र लिखा, 14 अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम लिखा कि इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है इनको निलम्बित कर दिया जाय। इसका जवाब केवल इतना था कि किया गया या नहीं किया गया। ढाई महीने हो गया सरकार इतनी सूचना नहीं दे पा रही है। यह उनको बचाना चाहते हैं। अब तक सूचना न एकत्रित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

अधिकारी को बचाने का कोई सवाल नहीं है। सूचना शीघ्र मंगवा लूंगा।

श्री भीखालाल—

नियमानुकूल 15 दिन के अन्दर आयेगा। इसका जवाब अगले सप्ताह में दिला दें, क्योंकि उसके बाद सत्र समाप्त हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—]

सहकारिता मंत्री जी तैयार हैं आप ?

श्री बच्चा पाठक—

शीघ्र मंगवा लूंगा।

उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक संघ के अध्यक्ष का मांग पत्र एवं क्रमिक अनशन किए जाने की सूचना

*16—श्री बलबीर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-12-83 को उ0 प्र0 परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक संघ के अध्यक्ष श्री एम0 एस0 फारूकी तथा अन्य दो सदस्यों द्वारा कोई मांग-पत्र सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 को दिया गया और उसमें मांगों को स्वीकार न करने पर दिनांक 20-1-81 से क्रमिक अनशन करने की भी सूचना दी गई है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां। प्रश्नगत मांग-पत्र में मांगें निम्नवत् हैं :—

1—230-385 रु0 के वेतनमान के अन्य कर्मचारियों की भांति निम्न वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को बहु उद्देशीय कार्यकर्ता योजना में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पदों पर समायोजित करते हुये 470-735 रु0 का वेतनमान दिया जाय।

2—वेतनमान 300-500 रु0 के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को 515-860 रु0 का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय।

3—परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को स्थायी किया जाय।

विचारोपरान्त उक्त प्रथम दो मांगों को स्वीकार किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के 33 प्रतिशत पद स्थायी घोषित किए जा चुके हैं। इन पदों पर कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के आदेश राज्य परिवार कल्याण अधिकारी को दिए गए हैं।

उ0 प्र0 जल निगम, पौड़ी शाखा के अधिशासी अभियन्ता श्री वी0 के0 कथूरिया द्वारा किये गये धन के अपव्यय के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*17—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 जल

तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

निगम, पौड़ी शाखा के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री वी0 के0 कथूरिया के प्रति सरकारी धन के अपव्यय के सम्बन्ध में दिनांक 4-8-83 को अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को संबोधित शिकायती-पत्र सरकार को मिला है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर सरकार द्वारा किस अधिकारी के माध्यम से जांच करवाई गई है और जांच के परिणाम क्या हैं ?

पंचायतीराज एवं ग्राम्य तथा नगर विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां, प्रश्नगत मामले में प्रारम्भिक जांच अधीक्षण अभियन्ता, अस्थायी निर्माण मण्डल, पौड़ी से कराई गई थी। प्रारम्भिक जांच में आये तथ्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

*18--श्रीमती गौरी देवी--

[दिनांक 22-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित।]

जनपद चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में सहकारी बैंकों में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*19--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में सहकारी बैंकों में जो तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित किये जाने के बजाय किन कारणों से सेवा से अलग किया जा रहा है ?

श्री बच्चा पाठक--

चमोली जिला सहकारी बैंक लि0, में रिक्त पदों पर बैंक द्वारा तदर्थ नियुक्तियां की जाती रही हैं, किन्तु नियमित चयन करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल को है। सेवा मण्डल से बैंक में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों के स्थान पर नियमित चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु प्राप्त हो चुकी है। अतः बैंक द्वारा तदर्थ कर्मचारियों के स्थान पर नियमित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाना है, जिसके कारण तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जायेंगी।

जिला सहकारी बैंक लि0, गढ़वाल (कोटद्वार) में रिक्त पदों पर बैंक द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गयीं, किन्तु नियमित चयन का अधिकार सेवा मण्डल को होने के कारण अगस्त, 1982 में तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किये गये, जिसके विरुद्ध इन तदर्थ कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

साधन सहकारी समिति लि0, कलाखुरी, बुलन्दशहर के प्रशासक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*20--श्री छत्तर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के चार विधायकों के द्वारा साधन सहकारी समिति लि0, कलाखुरी, विकास खण्ड अरनिया के प्रशासक के विरुद्ध माह नवम्बर, 1983 में जो आरोप लगाये गये थे, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने उसकी जांच किसके द्वारा कराई ? जांच का क्या परिणाम रहा तथा जांच अधिकारी द्वारा इंगित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

श्री शोभा राम शर्मा, विकास अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0,

बुलन्दशहर से तथा श्री डी0 पी0 वार्ष्णेय, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, बुलन्दशहर से जांच कराई गई। शिकायती-पत्र में इंगित व्यक्ति दोषी नहीं पाये गये। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

[नियम 40 के अन्तर्गत माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न।]

जल निगम में हरिजन अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ताओं की संख्या तथा आरक्षण के आधार पर उनकी पदोन्नति

*1--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कितने अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ता दिनांक 31 जनवरी, 1984 को कार्यरत हैं और उनमें कितने हरिजन हैं? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर आरक्षण के अनुसार पदोन्नति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह--

प्रश्नगत अवधि में 215 अधिशासी अभियन्ता एवं 48 अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत थे। अधिशासी अभियन्ता में से 7 अधिशासी अभियन्ता हरिजन हैं और अधीक्षण अभियन्ताओं में से कोई हरिजन नहीं है। जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली, 1978 में निहित प्राविधानों के अनुसार समय-समय पर अधिशासी अभियन्ता के पदों पर केवल पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभियन्ताओं के नामों पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया और उपयुक्त पाये गये अभियन्ताओं की पदोन्नति की गई।

इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता के पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1983 के चयन में केवल 2 अधिशासी अभियंता पात्रता क्षेत्र में आते थे जिनके नामों पर विचार किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

नत्थी (ङ), यह श्री भीखालाल जी का प्रश्न है।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, यह तो विषय सूची में है

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य को आश्वासन दिया है कि उनका प्रश्न आ जायेगा।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मैं मान्यवर समझा नहीं हूं। आप कौन सा सवाल कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप नत्थी (ङ) देखिए। श्री भीखा लाल का प्रश्न है। यह प्रश्न स्थगित किया था और आज के लिए लगा है।

श्री अरुण कुमार सिंह--

ठीक है, मान्यवर।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास सम्बन्धित फाइल नहीं है तो क्या वह मेरे सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स का उत्तर दे सकेंगे?

श्री अध्यक्ष--

अगर नहीं दे सकेंगे, तो स्थगित कर दूंगा। आप प्रश्न पूछे।

श्री भीखलाल --

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में तीन बातें बतायी हैं कि 215 अधिशासी अभियन्ता हैं जिनमें 18 प्रतिशत के हिसाब से 39 हरिजन होने चाहिए। 48 अधीक्षण अभियन्ता हैं तो उनमें 9 हरिजन होने चाहिए लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि नियमानुसार जो

पात्रता सूची में आते हैं उनकी एक सूची बना ली जाती है। आपने बताया कि सन् 1983 में अधीक्षण अभियन्ता का चयन हुआ था लेकिन अधिशासी अभियन्ताओं के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पात्रता सूची आपके नियमानुसार बनती है उसका आधार क्या है ? अधिशासी अभियन्ताओं का पहले कब चयन हुआ था, कितने अभ्यर्थी पात्रता सूची में थे और कितने लिये गये ?

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री जी से) क्या आपको पत्रावली मिल गयी है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां, मान्यवर, मैं उसे देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, यह कोई उत्तर नहीं है कि मैं देख रहा हूं। यह क्या बात हुई।

(मंत्री द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने पर)

इस प्रश्न को मैं 16 तारीख के लिये स्थानान्तरित करता हूं। यह प्रश्न इसी स्थान पर पुनः आयेगा।

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जनपद के दुद्धी क्षेत्र को टाउन एरिया बनाया जाना

1--श्री विजय सिंह--

प्रथम सत्र 1984 के 1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद के दुद्धी टाउन एरिया को टाउन एरिया किस आधार पर बनाया गया जब कि उसकी आबादी निर्धारित आबादी से बहुत कम थी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मार्च, 1983 के पूर्व सामान्यतः प्रदेश की उसी ग्राम सभा को टाउन एरिया घोषित किया जाता था जिसकी आबादी 5,000 तथा वार्षिक आय 5,000 रुपये से अधिक होती थी। चूंकि दुद्धी क्षेत्र उपरोक्त अर्हताओं को पूरी करता था। अतः फरवरी, 1978 में उसे टाउन एरिया बनाया गया था।

2-3--श्री राम आसरे वर्मा--

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित]

श्री बी0 डी0 शर्मा, सदस्य, सचल दल, लखनऊ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गयी जांच

4--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 डी0 शर्मा, सदस्य, सचल दल, लखनऊ, जुलाई, 1982 से मार्च, 1983 तक कुल कितनी बार कब-कब इटवा बाजार, तहसील डुमरियागंज, तेतरी बाजार, तहसील नौगढ़, बढ़नी बाजार, तहसील डुमरियागंज, सोहरतगढ़ बाजार, रुधौली बाजार तथा बांसी बाजार में जांच करने हेतु गये और इन्होंने किसके-किसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि विकास बैंक शाखा, नगीना, जिला बिजनौर द्वारा फर्जी इंजिन बेचे जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र

5--श्री यम्मन सिंह गहलौत--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 14-2-84 जिसके साथ श्री परशादी सिंह, निवासी ग्राम अमाननगर

उर्फ हरायवाला, पो0 रहड़, जिला बिजनौर का प्रार्थना-पत्र संलग्न था जिसमें उन्होंने भूमि विकास बैंक शाखा, नगीना, जिला बिजनौर द्वारा फर्जी इंजिन बेचे जाने के मामले की जांच कराने की मांग की थी, सहकारिता मन्त्री को मिला ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

सम्बन्धित प्रकरण पर दिनांक 14-2-83 का शिकायती-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था । शिकायती-पत्र की जांच के सम्बन्ध में पाया गया कि श्री परशादी सिंह को 7,500 रुपये का ऋण बोरिंग एवं डीजल पम्पसेट हेतु भूमि विकास बैंक शाखा, नगीना, जिला बिजनौर द्वारा स्वीकृत किया गया था । इसमें 4,000 रुपया श्री परशादी सिंह को बैंक द्वारा नकद भुगतान किया गया और 3,500 रुपये का भुगतान श्री परशादी सिंह ने चेक का पृष्ठांकन कर डीजल पम्पसेट के मूल्य हेतु मेसर्स किसान मशीनरी स्टोर, अफजलगढ़, नगीना, जिला बिजनौर को कराया । श्री परशादी सिंह को पम्पसेट प्राप्त नहीं हुआ । जांच में पाया गया कि इस कार्यवाही में पम्पसेट विक्रेता एवं निर्माता फर्म के साथ-साथ श्री बलराम सिंह, गन्ना सुपरवाइजर, श्री महमूद हुसैन, जूनियर इंजीनियर गन्ना विभाग तथा भूमि विकास बैंक के शाखा प्रबन्धक दोषी हैं । विक्रेता एवं निर्माता फर्म से व्यवसाय बन्द कर दिये गये तथा उनकी बैंक में जमा जमानत से 3,500 रुपये एवं तारीख देय ब्याज वसूल करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं । शाखा प्रबन्धक की मृत्यु हो चुकी है एवं गन्ना विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु भूमि विकास बैंक ने गन्ना विभाग को सूचित कर दिया है ।

राजधानी (लखनऊ) तथा महानगरों में बहुमंजिले भवनों में अध्यासन (आकूपेशन) से पूर्व फायर ब्रिगेड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना

6--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 2रे गुरुवार के प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में निहित महत्व एवं लोकहित को देखते हुए तत्काल ऐसी सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था पूर्ण होने का सार्टिफिकेट अनिवार्य करने सम्बन्धी आदेश तुरन्त पारित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । ऐसे आदेश पारित कर दिये गये हैं ।

सी0 एम0 ओ0, सहारनपुर की जांच हेतु राज्य परिवार कल्याण अधिकारी का पत्र

7--श्री राम स्वरूप निम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवार कल्याण अधिकारी ने अपने पत्र सं0 प0 क0/3/बह/83/7330-57, दिनांक 2-9-83 को सी0 एम0 ओ0, सहारनपुर की जांच हेतु कोई पत्र लिखा था, जिसकी जांच रिपोर्ट सी0 एम0 ओ0 सहारनपुर ने अपने पत्र सं0 प0 क0/प्रशा0/स्थापना/84, दिनांक 7-2-84 को अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी को भेजी है ? जिसमें नियुक्ति पत्र नं0 0-81-82, दिनांक 21-4-82 तथा ज्वाइनिंग, दिनांक 24-4-82 को अनियमित नियुक्ति स्वीकार किया है ? यदि हां तो नियुक्ति अधिकारी एवं सम्बन्धि,

लिपिक के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

राज्य परिवार कल्याण अधिकारी का प्रश्नगत पत्र, दिनांक 2-9-83 समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा संयुक्त निदेशक (मलेरिया) को सम्बोधित था। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर को जांच हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। इसके उत्तर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर ने अपने कार्यिक पत्र, दिनांक 7-2-84 में एक परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति दिनांक 21-4-82 को स्वीकार की है। मामले में अभी जांच हो रही है।

लखनऊ जनपद के मौजा भिलावां की भूमि पर श्रीमती शान्ती त्रिपाठी के फर्जी कब्जे की जांच तथा कृत कार्यवाही

8--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के मौजा भिलावां की भूमि संख्या 778 व 692 जिस पर तहसील लखनऊ द्वारा शान्ती त्रिपाठी पुत्री रुद्र प्रसाद त्रिपाठी के नाम से परगनाधिकारी के दिनांक 25-4-81 के निर्णय के अनुसार फर्जी तौर पर खाते खतौनी में दर्ज किया गया था जैसा कि निर्णय पर उक्त कब्जे क्यों नहीं हटाये गये तथा नगर-महापालिका व तहसील लखनऊ में फर्जी खाता कायम करने वालों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमती शान्ती त्रिपाठी द्वारा परगनाधिकारी के आदेश, दिनांक 25-4-81 के विरुद्ध अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल के न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत कर दिया गया। उस न्यायालय ने परगनाधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया तथा दिनांक 8-3-1984 को उक्त रिवीजन राजस्व परिषद् को संदर्भित कर दिया।

नगर महापालिका द्वारा भी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी/209 के अन्तर्गत वाद दायर किया जा चुका है, जो सम्बन्धित न्यायालयों में विचाराधीन है।

चूंकि विवाद राजस्व परिषद् और सक्षम न्यायालय के विचाराधीन है अतः अन्य कोई कार्यवाही सम्प्रति सम्भव नहीं है।

श्रीमती लीलावती कक्कड़, महानगर, लखनऊ के प्लाट के निर्माण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

9--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लीलावती कक्कड़, निवासी सी-414, सेक्टर बी, महानगर, लखनऊ ने उक्त प्लाट पर दो बार अनधिकृत निर्माण किया और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों बार उनका अनधिकृत निर्माण शमनित कर दिया गया और उनका भवन चित्र परमिट न0 490, दिनांक 16-1-84 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया किन्तु नियमानुसार दूसरी बार शमनित करने का शुल्क पांच गुना न लेकर एक गुना ही लिया गया ? यदि हां, तो विकास प्राधिकरण की क्षति के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। श्रीमती लीलावती कक्कड़ द्वारा महानगर के कथित प्लाट पर केवल एक बार ही अनधिकृत निर्माण किया गया जिसे शमनित करते हुए भवन चित्र परमिट नं0 490 दिनांक 16-1-84 द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के खाद्य एवं रसद विभाग के पूर्ति कर्मचारियों का निलम्बन एवं उनकी बहाली

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद के 10 पूर्ति निरीक्षकों को कोयला के बेनामी लाइसेंस में सांठ-गांठ के आरोप में 27 सितम्बर, 1982 को निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिन 5 पूर्ति निरीक्षकों पर गम्भीर आरोप थे उन्हें जुलाई एवं अक्तूबर, 1983 में बहाल किया जा चुका है? यदि हां, तो शेष 5 पूर्ति निरीक्षकों को अब तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं, प्रश्नगत प्रकरण में निलम्बित कर्मचारियों में चार पूर्ति निरीक्षक, पांच पूर्ति लिपिक तथा एक प्रधान लिपिक थे। वैभागिक कार्यवाही के निस्तारण के पश्चात् सभी कर्मचारी अब सेवा में बहाल किये जा चुके हैं।

लखनऊ स्थित प्रतिभा सिनेमा द्वारा उसके भवन चित्र प्रतिबन्ध शर्त का उल्लंघन तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उनका अभियोजन

11—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि दरबारी लाल शर्मा मार्ग लखनऊ स्थित प्रतिभा सिनेमा का भवन चित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया था कि वह दरबारी लाल शर्मा मार्ग की तरफ खुलने वाले फाटक केवल इमरजेंसी में ही खोलेंगे किन्तु वह इस शर्त का उल्लंघन करके दरबारी लाल शर्मा मार्ग के फाटकों को बराबर खुला रखते हैं और लखनऊ मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र में सिनेमा भवन तथा बैंक आदि व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उनका अभियोजन किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। प्रतिभा सिनेमा का भवन मानचित्र कथित शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था। शर्त का उल्लंघन करने पर उन्हें इमरजेन्सी गेट बन्द रखने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। सिनेमा भवन की स्वीकृति आवासीय क्षेत्र में ही दी गयी है जहां तक बैंक के भवन के व्यावसायिक उपयोग का प्रश्न है अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा सिनेमा मालिकों को नोटिस दे दी गयी है।

श्रीमती ऊषा कौशल, श्रीमती मीनावती अग्रवाल व आहूजा के भवनों के मानचित्र

12—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री प्रथम सत्र 84 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 66, 67 एवं 68 के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती ऊषा कौशल, श्रीमती मीनावती अग्रवाल व श्री आहूजा के विरुद्ध महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के विरुद्ध व्यावसायिक उपयोग करने के कारण उनका अभियोजन भी किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमती ऊषा कौशल, श्रीमती मीनावती अग्रवाल व श्री आहूजा के भवन मानचित्र महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुसार ही स्वीकृत किये गये हैं अतएव अभियोजन की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

लालबाग, लखनऊ क्षेत्र के भू-उपयोग महायोजना में निर्धारण का प्रस्ताव

13--श्री केदारनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालबाग लखनऊ क्षेत्र का भू-उपयोग अभी तक महायोजना में निर्धारित नहीं हुआ और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को अपने पत्र सं0 215/28 एल0 डी0 ए0, दिनांक 23 जनवरी, 1984 द्वारा यह लिखा है कि इस क्षेत्र के भू-उपयोग का गुण अवगुण के आधार पर विचार कर निर्धारित किया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं, लालबाग, लखनऊ क्षेत्र का भू-उपयोग महायोजना में कम्यूनिटी फैसिलिटीज हेतु आरक्षित है । अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा शासन को प्रेषित पत्र के साथ प्राप्त प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

राजकीय चिकित्सालय, महुला, आजमगढ़ का भवन

14--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, महुला (आजमगढ़) कब खोला गया तथा उसका भवन बनना कब तक प्रस्तावित है ? इतनी लम्बी अवधि तक बिना किसी किराये के किसी भवन का प्रयोग का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति--

राजकीय चिकित्सालय, महुला (आजमगढ़) वर्ष 1977 से निःशुल्क प्राप्त भवन में कार्यरत है । सरकारी भवन का निर्माण कराया जाना तभी सम्भव हो सकेगा जब जिला नियोजन समिति इसके लिए प्रस्ताव पारित कर जिला प्लान से धन का आवंटन करे और भूमि भी उपलब्ध हो जाये । भवन इसी शर्त पर चिकित्सालय खोलने हेतु दिया गया था कि जब तक सरकारी भवन नहीं बन जाता है भवन का किराया नहीं लिया जायेगा ।

सहकारी संघ, अनजान शहीद, आजमगढ़ के भवनों पर अनधिकृत कब्जा

15--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 130 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ अनजान शहीद में आजमगढ़ के विभिन्न भवनों पर जिन लोगों का अनधिकृत कब्जा है उनसे कब तक खाली करा लिया जायेगा ? बकाये किराये की वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री चन्द्रिका सिंह, सुपरवाइजर, दीदारगंज, आजमगढ़ को निर्वाह भत्ता

16--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 161 के

उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय में वाद कब प्रस्तुत किया गया है तथा क्या न्यायालय का निर्वाह भत्ता न देने के सम्बन्ध में कोई आदेश है ? यदि नहीं तो निर्वाह भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि विकास बैंक शाखा रामसनेही घाट, बाराबंकी द्वारा श्री मोहम्मद उमर को फर्जी खतौनी पर कर्जा दिया जाना

17--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक की शाखा रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी द्वारा श्री मोहम्मद उमर पुत्र अब्दुल हक, निवासी कस्बा इचौली, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी को ऋण के रूप में वर्ष 81-82 में भारी रकम स्वीकृत की गयी जबकि उसके पास सिक्योरिटी के रूप में मात्र भूमि नम्बरी 1085/S 4:12 स्थित ग्राम कस्बा इचौली, तहसील रामसनेही घाट ही थी और फर्जी खतौनी पर कर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित तथ्यों की जांच करा कर दोषी अधिकारी को दण्डित कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

संदर्भित प्रकरण की जांच करा ली गयी है । सम्बन्धित दोषी फील्ड आफिसर श्री गोपाल कृष्ण, जो एक अन्य मामले में पहले से निलम्बित हैं, के विरुद्ध अधिनगत मामले में भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी उन्नाव द्वारा ग्राम नेवालगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के मोहम्मद अहमद की चक्की पर छापा मारा जाना

18--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-1-82 को खाद्य एवं पूर्ति विभाग, उन्नाव के अधिकारीगण ने ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के मोहम्मद अहमद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फूर की चक्की पर छापा मार कर माल उठा ले गये ? यदि हां, तो उक्त माल कहां और किसके संरक्षण में दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ? इसके कौन कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? माल की सूची क्या है, कृपया यह भी बताने का कष्ट करें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुपरवाइजर जनपद अल्मोड़ा का निलम्बन तथा उन्हें जीवन यापन भत्ता दिये जाने की मांग

19--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी सुपरवाइजर जनपद अल्मोड़ा (श्री मनोहरदत्त बिष्ट) का वर्ष 1972 से निलम्बन किया गया है ? यदि हां तो, क्या उन्हें जीवन-यापन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित निर्बल आय वर्ग के क्वार्टर के आवंटन में पायी गयी शिकायत एवं उसकी जांच

20—श्री राजपाल सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्वार्टर सं0 ई-111-804, 805, 806 तथा 807 ऐसे व्यक्तियों को आवंटित किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है जिनके परिवार की आय निर्बल वर्गों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है ? यदि हां, तो किस तिथि को तथा इस शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी यदि जांच नहीं हुई, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

शिकायत दिनांक 1-9-79 को प्राप्त हुई। इसकी जांच दिनांक 21-1-80 को कर अधीक्षक द्वारा कराई गयी थी।

श्री डी0 पी0 गोयल, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण के हायर पर्चेज के मकान में फ्रंट सेट बैंक निर्माण पर आपत्ति एवं उसका अभियोजन

21—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि श्री डी0 पी0 गोयल, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हायर पर्चेज पर लिए हुए मकान न0 एल-111/41, सेक्टर डी0, अलीगंज, हाउसिंग स्कीम, लखनऊ में एक मानचित्र परमिट नं0 800-ए, दिनांक 7 मार्च, 1981 इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत कराया कि वे फ्रंट सेट बैंक में कोई निर्माण नहीं करेंगे किन्तु उक्त प्रतिबन्ध की परवाह न करते हुए फ्रंट सेट बैंक में अनधिकृत निर्माण कर लिया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हायर पर्चेज के मकान में किन परिस्थितियों में निर्माण की अनुज्ञा दी गयी और अनधिकृत निर्माण के लिए उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उनका अभियोजन करने का आदेश प्रदान करने कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

परन्तु हायर परचेज के भवनों के अनुबन्धों में परिवर्तन/परिवर्धन के लिए विकास प्राधिकरण की स्वीकृति लेने का प्राविधान है।

जी नहीं।

अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है वरन् हायर परचेज के मकान के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण से परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकृति प्राप्त करके फ्रंट सेट बैंक में कन्टीलिवर प्रोजेक्शन का निर्माण किया गया है।

यूनानी उप निदेशक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

22—श्री खैरुल बशर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 जनवरी, 1982 को यूनानी उप निदेशक के पद का जी0 ओ0 हो जाने के पश्चात् आज तक रिक्त क्यों पड़ा है ? भविष्य में इस पद पर यूनानी स्नातक की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री लोकपति—

इस पद को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

राजकीय तकमीलुत्तीब कालेज, लखनऊ और राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से छात्रों के प्रवेश का विवरण

23--श्री खैरुल बशर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय तकमीलुत्तीब कालेज, लखनऊ और राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सी0 पी0 एम0 टी0 के माध्यम से 1981 में मात्र 4 छात्र और सन् 1982 में मात्र 3 छात्र और 1983 में मात्र 6 छात्रों का प्रवेश हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कालेजों में छात्रों के प्रवेश हेतु शासन क्या प्रक्रिया अपना रहा है ?

श्री लोकपति--

राजकीय तक-मिल-उत-तिब कालेज, लखनऊ और राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सी0 पी0 एम0 टी0 के माध्यम से छात्रों के प्रवेश का विवरण निम्नलिखित है :--

वर्ष 1981	..	8
वर्ष 1982	..	8
वर्ष 1983	..	12

कदाचित् इतने कम छात्रों के प्रवेश का कारण उर्दू, अरबी तथा फारसी भाषा के ज्ञान की कमी है। इसलिए वर्तमान सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा प्रणाली में इस सीमा तक संशोधन किया गया है कि वर्ष 1984 से संस्कृत, उर्दू, अरबी तथा फारसी के प्रश्न-पत्र हटा दिये गये हैं। परन्तु अभ्यर्थी के लिये इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में किसी एक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

राजकीय तकमीलुत्तीब कालेज, लखनऊ में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति

24--श्री खैरुल बशर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय तकमीलुत्तीब कालेज, लखनऊ में प्राचार्य के पद पर किसी यूनानी स्नातक की नियुक्ति कब तक सम्भव है ?

श्री लोकपति--

राजकीय तकमिल-उत-तिब कालेज, लखनऊ में प्राचार्य के पद पर नियमित चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इस पद पर तदर्थ नियुक्ति शासन के विचाराधीन है।

यूनानी छात्र यूनानी पद्धति के विकास, रोगी वाहन, एक्सरे प्लान्ट, ई0 सी0 जी0 आदि के लिये सरकार से व्यवस्था की मांग

25--श्री खैरुल बशर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनानी छात्र, यूनानी पद्धति के विकास, रोगी वाहन, एक्सरे प्लान्ट, ई0 सी0 जी0 आदि के लिये सरकार को दिनांक 14 फरवरी, 1983 को स्नातकोत्तर शिक्षा (एम0 डी0, एम0 एस0) की व्यवस्था के लिये मांग-पत्र प्रेषित कर चुके हैं और क्रमिक अनशन दिनांक 2 फरवरी, 1983 से 7 मार्च, 1983 तक विधान सभा के सामने कर चुके हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री लोकपति--

जी हां।

अखिल उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी छात्र संघ के मांग पत्र दिनांक 14 फरवरी, 1983 की प्रतिलिपि संलग्न है।

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज इलाहाबाद एवं राजकीय तक-मिल-उत-तिब कालेज, लखनऊ में एक्सरे मशीन

करने हेतु गत वर्ष आवश्यक धनराशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों हेतु रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) क्रय करने हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

अन्य मांगों के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 137 पर।)

आयुर्वेद जिला अस्पताल एवं यूनानी कक्ष स्थापित किये जाने में वित्तीय संसाधनों का अभाव

26—श्री खैरुल बशर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1983 और 1984 से पहले जो 23 आयुर्वेद जिला अस्पताल खोले जा चुके हैं उनमें 14 मार्च, 1983 को मन्त्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार यूनानी कक्ष स्थापित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह सम्भव नहीं हो सका।

27—श्री यदुनाथ सिंह—

[9वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में डेंटल हाईजिनिस्ट के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण भत्ते दिये जाने की मांग

श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में डेंटल हाईजिनिस्ट की ट्रेनिंग कर रहे 10 प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग एलाउन्स देने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्रशिक्षण भत्ते का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

29—श्री बनवारी राम—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

जनपद वाराणसी में नगरपालिका भदोही के कर्मचारियों को अंशदान दिये जाने की मांग

30—श्री बनवारी राम—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में नगरपालिका, भदोही के 32 कर्मचारी जो 10 वर्ष से कार्यरत हैं, ऐसे कर्मचारी अभी तक पद सृजन के अभाव में स्थायी नहीं हो पाये हैं और न शासन द्वारा अंशदान ही प्राप्त हो रहा है ? क्या अंशदान, उक्त कर्मचारियों को देने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

डाक्टर के0 सी0 गुप्ता, एम0 ओ0, लक्ष्मीपुर, गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

31—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा 1984 के प्रथम सत्र के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के सम्बन्ध में जांच अधिकारी कौन था तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति—

जांच अधिकारी डा0 के0 सी0 गोविल, मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर थे।

आरोप सिद्ध नहीं हुए।

पतिराजी देवी विधवा श्री लक्ष्मी विश्वकर्मा (मृतक), सचिव, सहकारी समिति, चकलाल चन्द, विकास खण्ड हरैया, आजमगढ़ के बकाये वेतन व बीमा धनराशि का भुगतान

32—श्री राजकुमार राय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें पतिराजी देवी विधवा लक्ष्मी विश्वकर्मा (मृतक), सचिव, सहकारी समिति चकलाल चन्द, विकास खण्ड हरैया, जिला आजमगढ़ का पत्र दिनांक 30-1-84 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-2-84 के साथ स्वर्गीय लक्ष्मी विश्वकर्मा के 3 माह के बकाया वेतन व बीमा की धनराशि अदा (भुगतान) किए जाने हेतु मिला था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

श्री लक्ष्मी विश्वकर्मा का निधन दिनांक 9-5-82 को जिला अस्पताल, आजमगढ़ में हुआ था। उन्हें माह जुलाई, 1981 से मार्च, 1982 तक 265 रु0 प्रति माह की दर से एवं माह अप्रैल, 1982 का वेतन मु0 275 रु0 कुल 2,925 रु0 का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 1-5-82 से 9-5-82 तक का भी वेतन मु0 82·75 पैसा जिला सहकारी बैंक शाखा, हरैया द्वारा उनके बचत खाते में ट्रान्सफर कर दिया गया है क्योंकि वेतन नकद भुगतान न कर सम्बन्धित कर्मचारी के बचत खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

स्व0 श्री विश्वकर्मा के सामूहिक बीमा के भुगतान हेतु मु0 12,000 रु0 की स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 3-2-83 को भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा, वाराणसी को प्रेषित किया गया था, जिसपर उन्होंने 14-12-83 को मु0 10,000 रु0 का ही डिस्चार्ज बाउचर सचिव, प्रशासनिक कमेटी, आजमगढ़ को हस्ताक्षर हेतु भेजा, जो त्रुटिपूर्ण था। फलस्वरूप दिनांक 13-3-84 को पुनः 12,000 रु0 का डिस्चार्ज बाउचर भेजने हेतु मांग की गई है। इस सम्बन्ध में कई स्मरण-पत्र भी दिये गये, परन्तु उत्तर लम्बित रहा है। अब व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया गया है। डिस्चार्ज बाउचर प्राप्त होने के उपरान्त बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

नगरमहापालिका, वाराणसी द्वारा बी0 एच0 सी0 की खरीद

33—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी ने 82-83 में दस परसेंट व पचास परसेंट की बी0 एच0 सी0 कितने मात्रा में कहां से खरीदा है?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

34—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दस परसेंट की बी0 एच0 सी0 का भाव एक रुपया तीस पैसा के0 जी0 एवं पचास फीसदी का भाव 6·50 रु0 के0 जी0 है और उसको नगर महापालिका ने क्रमशः तीन रुपया तीस पैसा एवं तेरह रु0 पचास पैसा के हिसाब से खरीदा है? यदि हां, तो उद्योग निदेशक के क्रय अनुबन्ध से उपरोक्त खरीदारी की गई है कि नहीं?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा म0 न0 के0 44/34 मु0 विश्वेसरगंज वाराणसी की मरम्मत का आदेश

35—श्री ऊवल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि म0 न0 के0 44/34, मु0 विश्वेसरगंज, शहर वाराणसी के मरम्मत हेतु विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने मरम्मत कराने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मरम्मत न कराकर उक्त मकान के अन्दर-अन्दर बाजार (कटरा) का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 50 से 60 प्रतिशत दूकानें निकाली जा रही हैं ? क्या यह सही है कि कटरा के लिए कोई नक्शा पास नहीं हुआ है ? इसकी जांच की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

उक्त मकान में दुकानों के पीछे 4 कमरों का अनधिकृत निर्माण कराया गया है जिसके विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

जनपद उन्नाव में शिवगंज ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि

36—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में शिवगंज ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और अब कब तक पूरा हो जायेगा और ग्रामीणों को पीने के लिए कब से शुद्ध पेयजल प्राप्त होने लगेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद उन्नाव में शिवगंज ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य माह नवम्बर, 1980 में प्रारंभ किया गया था। अपर जलाशय के कार्य को छोड़कर सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं । केवल एक नलकूप पर विद्युत संयोजन किया जाना बाकी है । यह कार्य भी जून, 1984 तक पूर्ण होने की आशा है ।

आशा है कि कार्यों की टेस्टिंग आदि के उपरान्त अगस्त, 1984 से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जावेगा ।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया मुंडेरा बाजार के फर्जी राशन कार्डों की जांच की मांग

37—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया मुंडेरा बाजार में आज से लगभग 10 साल पूर्व बने राशन कार्डों में अधिकांश फटकर नष्ट हो गये या गायब हो गये और बीच में कभी बदले भी नहीं गये जिसके फलस्वरूप बची चीनी, चावल व सूजी आदि को बचाकर पूर्ति निरीक्षक बराबर धन कमा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस पर जांच कराकर दोषी व्यक्ति दंडित किया जायेगा और शीघ्र नए कार्ड बनवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ब्लाक पिण्डरा में कुंओं के सूखने से पेयजल की व्यवस्था

38—श्री ऊवल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी में स्थान मंगारी, नेवादा एवं ओदार, बाबतपुर एवं रसूलपुर तथा ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में

कठिरांव कुवार, दांदूपुर, कुंडी, ताड़ी, नेवादा तथा पूरा रघुनाथपुर (बाबतपुर) के क्षेत्र में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है और कुयें सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल (पेयजल) लगाने की योजना बना रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्न में इंगित ग्रामों में से केवल ब्लाक बड़ागांव के दांदूपुर तथा नेवादा ग्राम 1972 की सूची के अनुसार समस्याग्रस्त श्रेणी में आते हैं। इन ग्रामों में तथा कुंडी ग्राम में डच कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप के माध्यम से पेयजल की स्थायी व्यवस्था 1983 से ही कराई जा चुकी है। शेष ग्राम 1972 की सूची में सम्मिलित न होने के कारण उनमें, शासन की वर्तमान नीति के अनुसार, कोई पेयजल योजना नहीं ली गई है।

सूखे की स्थिति में ग्रामों में अस्थायी पेयजल व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा करायी जायेगी।

प्रत्येक राज्य कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने तक मकान देने की योजना

39--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक राज्य कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने तक मकान देने की योजना के अन्तर्गत किसने लोगों को मकान आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस योजना के अन्तर्गत अब तक किसी राज्य कर्मचारी को मकान आवंटित नहीं किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति तक आवास पाने के इच्छुक कर्मचारियों से विकल्प मांगे जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु प्रशासकीय व्यवस्था की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में लगाये गये हैण्ड पम्पों के भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

4--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राहत कार्यों के अधीन लगाये गये हैण्ड पम्पों में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक एवं जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक, श्री रविन्द्रनाथ तिवारी ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 7-9-81 तथा दिनांक 22-9-81 को पत्र लिखकर शिकायत की थी, जो परगनाधिकारी, अकबरपुर तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), श्री हरी राम की जांच में सत्य पायी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायती-पत्रों और जांच रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, शिकायती पत्रों पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की जांच में ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जा चुका है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। बतायी गयी स्थिति में जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

इन्दिरा नगर ग्राम बस्तौली, लखनऊ में खसरा नं0 93 की भूमि पर कब्जे का विवरण

41--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, ग्राम बस्तौली, लखनऊ में खसरा नं0 93 में कितनी भूमि है ? इसमें से कितनी अर्जित की गयी और कितने पर हाउसिंग बोर्ड ने

कब्जा किया है और कितनी भूमि पर 11 व्यक्तियों का कब्जा है ? क्या इन सबके पास इस खसरा की रजिस्ट्री है ? अगर नहीं है, तो किस प्रकार इनका इस गाटा में कब्जा है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? इसका अन्तिम निस्तारण 10 साल में न हो पाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इन्दिरा नगर, ग्राम बस्तौली, लखनऊ खसरा नं0 93 के निम्न विवरण हैं--

कुल क्षेत्रफल	129 बीघा 19 बिस्वा
कब्जा प्राप्त क्षेत्रफल	129 बीघा 7 बिस्वा
अवशेष भूमि	12 बिस्वा

कुल भूमि पर एक मात्र श्री फखरुल हसन द्वारा अनधिकृत कब्जा पाया गया है जिसका न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । अवशेष भूमि अर्जन से मुक्त है ।

लखनऊ जनपद के स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के नवीन वेतन निर्धारण सम्बन्धी एरियर का भुगतान

42--श्री पुरन चन्द्र--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में लखनऊ जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं में से अधिकांश को उनके नवीन निर्धारण सम्बन्धी एरियर का भुगतान अभी (जनवरी, 1984) तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

जनपद लखनऊ के विभिन्न केन्द्रों पर कुल 34 स्वास्थ्य निरीक्षिकायें कार्यरत हैं, जिनमें से 9 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के नवीन वेतन निर्धारण सम्बन्धी एरियर का भुगतान कर दिया गया है ।

शेष स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का कतिपय आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त एरियर का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

सांडी नगरपालिका, जनपद हरदोई के सदर बाजार नजूल प्लाट के पुनः पट्टे न करने सम्बन्धी पत्रों पर कृत कार्यवाही

48--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सांडी नगरपालिका, जनपद हरदोई के सदर बाजार नजूल प्लाट 1289/1290 के पुनः पट्टे न करने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार गुप्त, एडवोकेट का प्रार्थना-पत्र (शपथ-पत्र के साथ) श्री राम आसरे वर्मा के पत्र के साथ दिनांक 19-1-84 तथा सचिव, नगर विकास को 20-1-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

मामले में आयुक्त, लखनऊ मंडल के माध्यम से जांच करई गई । पूर्व पट्टदारों के पक्ष में पुनः पट्टे करने का कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है ।

वाराणसी शहर के पक्के महाल तथा पूरे शहर में पेयजल की आपूर्ति का अभाव

44--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28-6-83 से 7-7-83 तक वाराणसी शहर के पक्के महाल तथा पूरे शहर में पेयजल की आपूर्ति को

से नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्या खराबी थी तथा उसको ठीक न करने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । वाराणसी शहर के पक्के महाल तथा पूरे शहर में दिनांक 28-6-83 से 7-7-83 तक शहर के अधिकांश नलकूप विद्युत् अपूर्ति में व्यवधान तथा वोल्टेज की कमी होने के कारण प्रभावित रहे जिसके कारण प्रश्नगत क्षेत्रों में पानी के दबाव में कमी आ गयी। इसके फलस्वरूप समुचित जलापूर्ति न हो सकी । विद्युत् अपूर्ति सामान्य होने पर जलापूर्ति में भी सुधार हो गया ।

हरतीरथ तालाब, विश्वेसर गंज नगर महापालिका, वाराणसी की जमीन पर अवैध निर्माण

45--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरतीरथ तालाब विश्वेसर गंज, नगर महापालिका, वाराणसी की जमीन के ऊपर अवैध रूप से दो मकान एक होटल दो माह में बनाया गया, और कुछ चबूतरे तथा उसके अन्य दुकान राम लीला के नाम पर अवैध निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो नगर महापालिका वाराणसी द्वारा अन्य निर्माण रोकने की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर बैलगाड़ी रोकने और ठहराने के लिए स्थान बनाना विचाराधीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

सहायक अभियन्ता श्री बी० एस० उपाध्याय, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, हरदोई के विरुद्ध मुकदमा एवं विभागीय जांच

46--श्री भीखा लाल --

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री बी० एस० उपाध्याय, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, हरदोई के विरुद्ध मु० न० 681/83, धारा 420/468, भा० दं० विधान मुन्सिफ मजिस्ट्रेट 7, जिला हरदोई की अदालत में चल रहा है और इस मुकदमे के सम्बन्ध में श्री उपाध्याय गिरफ्तार होकर दो दिन जेल भी रह चुके हैं ? यदि हां, तो क्या श्री उपाध्याय, सहायक अभियन्ता को निलंबित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां । विभागीय जांच में श्री बी० एस० उपाध्याय के विरुद्ध 420 का कोई मामला नहीं पाया गया इसलिये उन्हें निलम्बित करने की कार्यवाही नहीं की गयी ।

सचिव, हरदोई जिला सहकारी बैंक के शिकायती-पत्र पर श्री बी० एस० उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, हरदोई के बारे में अनियमितताओं की जांच तथा परिणाम

47--श्री भीखालाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, हरदोई जिला सहकारी बैंक ने अपने पत्र सं० 174-75/डी० सी० बी०, दिनांक 23-7-1983 द्वारा मुख्य परियोजना अधिकारी, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, लखनऊ को शिकायत की कि श्री बी० एस० उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, हरदोई ने

तीन चेक काटकर प्राप्तकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर बनवाकर खुद प्रमाणित करके रुपया निकालने के लिए भेजा, जो काउन्टर पर पकड़ ली गयीं ? यदि हां, तो इन जाली कार्यवाही के लिए श्री उपाध्याय, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो, क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां । मामले में श्री ओ0 पी0 जैन, अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय से जांच करायी गयी । जांच में आरोप सही नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48--श्री भीखालाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता तथा श्री शिवपाल सिंह, विधायक व श्री हरि प्रसाद कुरील, विधायक, उन्नाव तथा श्री चन्द्रनाथ मिश्रा, प्रशासक, जिला सहकारी बैंक, उन्नाव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 2-11-1983 माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री के पत्र संख्या 6205/क्षेत्र विकास, दिनांक 11-11-1983 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें श्री बी0 एन0 उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, उन्नाव के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सन्दर्भित मामलों की जांच सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण करने के उपरान्त कराई गयी ? यदि कराई गयी, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां । प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण नहीं किया गया, किन्तु जांच श्री ओ0 पी0 जैन, अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय द्वारा कराई गई । जांच में आरोप सही नहीं पाये गये ।

श्री राधाकृष्ण, हेल्थ इन्सपेक्टर, मलेरिया, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र फाजिलनगर, देवरिया के विरुद्ध मुकदमा

49--क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि श्री राधाकृष्ण, हेल्थ इन्सपेक्टर, मलेरिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फाजिलनगर, जिला देवरिया के विरुद्ध दिनांक 20-10-1979 को थाना तुर्क पट्टी, जिला देवरिया में धारा 354 आई0 पी0 सी0 के तहत कोई मुकदमा दर्ज है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी हां । यह मुकदमा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट (द्वितीय), कसिया, जिला देवरिया के न्यायालय में विचाराधीन है । मुकदमे की अद्यतन स्थिति की जानकारी की जा रही है ।

बस्ती जिले के विभिन्न विकास खण्डों में खाद्य वितरण हेतु लाइसेन्स होल्डरों के पास कार्ड धारकों की संख्या

50--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के वि0 खं0 बढ़नी, वर्डपुर तथा नौगढ़ जोगिया तथा उसका बाजार तथा टाउन एरिया बढ़नी, सोहरतगढ़ और तेतरी बाजार में वर्ष 1982-83 में कितना-कितना मिट्टी का तेल, चावल, चीनी किस-किस लाइसेन्स होल्डरों को फुटकर बिक्री के लिए दिया गया तथा प्रत्येक लाइसेन्स होल्डरों के पास कार्ड धारकों की संख्या क्या-क्या थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्न से सम्बन्धित विवरण की सूची बहुत ही लम्बी है । अतः माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार मेरे कार्यालय कक्ष में इसे आकर देख सकते हैं ।

बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लि0, लखनऊ के सचिव द्वारा कापियों की तस्करी करके नेपाल भेजते समय पकड़ा जाना तथा कृत कार्यवाही

51—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ के सचिव (श्री सुभाष चन्द्र जैन) द्वारा दिनांक 9-2-1982 को नियन्त्रण मूल्य की 60 हजार अभ्यास पुस्तिकाएं (कापियां) चोर बाजारी द्वारा तस्करी करके नेपाल भेजी जा रही थीं ? उसे नाका थाना, लखनऊ द्वारा दिनांक 9-2-1982 को श्रीराम की ट्रांसपोर्ट कम्पनी गुरुद्वारा रोड, लखनऊ में पकड़ी गयी थीं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निलम्बित सचिव, श्री सुभाष चन्द्र जैन, उपभोक्ता सहकारी समिति लि0 को नया बाजार लखनऊ के संचालक मण्डल की सदस्यता से निलम्बित करने की मांग

52—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष चन्द्र जैन, सचिव, बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ, जो कि अभ्यास पुस्तिका काण्ड में दिनांक 20-4-1983 से सचिव के पद से निलम्बित है, अभी तक नया बाजार, लखनऊ में संचालक मण्डल के सदस्य हैं तथा कार्यवाही में बराबर भाग लेते हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उनको नया बाजार, लखनऊ के संचालक मण्डल की सदस्यता से निलम्बित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (नत्थी घ) का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का सवाल है । समय-समय पर आपने मन्त्रियों को निर्देश दिये हैं और विशेषकर सहकारिता मन्त्री को आज का मेरा प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 15 मीखालाल जी का और इस सदन में इस प्रकार के जितने प्रश्न आये हैं, मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । विधायक के पत्र से सम्बन्धित यह है । शासन को आपने निर्देश दिया है, अगर विधायक के पत्र के ऊपर कोई कार्यवाही करनी है तो विधायक की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । मन्त्री जी ने स्वीकार किया विधायक का पत्र प्राप्त हुआ, दो महीने पहले लेकिन अभी तक विधायक से किसी प्रकार की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकी है सारे मामले में लाखों के घपले की बात है । यह उजागर न हो सके, इसलिए अधिकारी सूचना एकत्रित करने कये बहाना लेते हैं और मन्त्री जी उसको मान लेते हैं । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जिनकी शिकायत हम करते हैं, उससे मेरा सम्बन्ध हो जाता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे चुनौती मिलती है कि गलत आरोप लगाया है या सही आरोप लगाया है। यह क्षेत्रीय प्रश्न बन जाता है। सहकारिता विभाग इसको टालने की कोशिश कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं।

दरियाबाद जिला बस्ती में आग लगने से हुई क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष —

आज नियम 301 की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से मैंने इसमें से 10 सूचनाओं को स्वीकार किया है। माननीय मोहम्मद नबी, माननीय कुंवर सिंह नेगी एवं माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी, माननीय कन्हैया लाल, माननीय नन्दकिशोर सिंह, माननीय रामस्वरूप वर्मा, माननीय शंकर सिंह, माननीय मसरूर जाफरी, माननीय रियासत हुसैन एवं श्री अकबर हुसैन, श्रीमती विमला राकेश तथा माननीय मुईद अहमद।

*श्री मोहम्मद नबी—

मान्यवर, दिनांक 9-4-84 को मेरे क्षेत्र के ग्राम-दरियाबाद तहसील-खलीलाबाद, बस्ती की हरिजन आबादी में आग लगने से 33 घर जलकर राख हो गये हैं। अनुसूचित जाति के 300 गरीब परिवार बेघर नंगे-भूखे तड़प-तड़प कर इस धूप व गर्मी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों को सूचना दे चुका हूं परन्तु अभी तक कोई सहायता नहीं मिल पायी है। इस गम्भीर संकट की घड़ी में तीन सौ व्यक्तियों के खाने, पहनने रहने की व्यवस्था करना अति आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हल्द्वानी स्थित सुदर्शन फाइनन्स कारपोरेशन एवं सुदर्शन इवेंटशमेन्ट कारपोरेशन द्वारा करोड़ों की ठगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, हल्द्वानी स्थित सुदर्शन फाइनेंस कारपोरेशन एवं सुदर्शन इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन की स्थानीय शाखा के कर्ता-धर्ता रात ही रात में अपना कारोबार बन्द करके भाग गये। इन दोनों संस्थाओं का प्रधान कार्यालय मद्रास में है। कम्पनी के बन्द होने की सूचना 27 मार्च, 1984 को लगी जब कुछ लोग अपनी मासिक किस्तें जमा करने कम्पनी के कार्यालय में गये, ऐसा पता चला है कि इन कम्पनियों की मुरादाबाद, सीतापुर तथा गाजियाबाद शाखाओं के पदाधिकारी भी इसी प्रकार कारोबार बन्द करके भाग चुके हैं, इस कम्पनी द्वारा करोड़ों की ठगी कर लोगों का रुपया हड़पा गया है, जिससे लोगों में भयंकर रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव हम लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से इस कम्पनी के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर जमाकर्ताओं का धन दिलवाने हेतु मांग करते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा में बाबा कहे जाने वाले भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कन्हैया लाल--

मान्यवर, मथुरा जनपद के राधापुरम् टाउन एरिया में कुछ बाबा कहे जाने वाले भ्रष्ट लोगों ने गौर धाम हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी बना करके स्थानीय किसानों की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन बहुत ही कम पैसों में अर्जित की एवं उसका आपस में बंटवारा कर लिया। अब वही भ्रष्ट बाबा लोग स्थानीय पी0 डब्लू0 डी0 एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिलकर सड़क के किनारे की पी0 डब्लू0 डी की हजारों एस्क्वायर गज भूमि एवं अड़ोग रजबहे के किनारे की लगभग आधी मील लम्बाई की पटटी को जिसका मूल्य कई लाख रुपया है, अवैधानिक रूप से कब्जा कर रहे हैं। तथा अपनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। इससे सरकारी भूमि का लाखों लाख रुपये का नुकसान तो हो रहा है। स्थानीय जनता में बहुत रोष बेचैनी एवं घबराहट व्याप्त है। अधिकारी लोग बार-बार कहने पर भी कोई कार्यवाही भ्रष्टाचारवश नहीं कर रहे हैं। किसी भी क्षण स्थिति भयावह हो सकती है।

अतः जनता तथा सरकार के धन एवं सम्पत्ति की लूट को रोकने हेतु सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए यह मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त सोसाइटी के लोगों को उस जमीन से हटाया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बी0 आर0 डी0 पी0 जी0 कालेज, देवरिया के कार्यकारी प्राचार्य द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, बी0 आर0 डी0 पी0 जी0 कालेज, देवरिया में बी0 एस-सी0 (एजी0) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 120 स्थान विश्वविद्यालय द्वारा मिला हुआ है जिसके विरुद्ध विद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य ने भारी रकम लेकर 229 छात्रों का नाम दर्ज किया। इस विद्यालय में प्रबन्ध समिति और अध्यापकों में गुटबाजी अपने चरम सीमा पर चल रही है। 16 अप्रैल, 1984 से परीक्षा होने जा रही है। विश्वविद्यालय गोरखपुर केवल 120 छात्रों को ही परीक्षा कराने को तैयार है। विद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य मनमानी तौर पर 500 से 1000 रुपया प्रति छात्र लेकर 120 छात्रों का अपने गुट के आधार पर लिस्ट भेजा है जिसमें अधिक अंक पाने वाले छात्र परीक्षा से वंचित हो गये हैं। गुटबाजी के आधार पर कम अंक पाने वाले छात्र पैसे के बल पर परीक्षा हेतु भेजी गयी सूची में अपना नाम शामिल करा लिया है। पूरे महाविद्यालय में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। 109 छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं।

अस्तु इस माननीय सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाकर माननीय शिक्षा मन्त्री से सभी 229 छात्रों को परीक्षा दिलाने की मांग करता हूं।

[× × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष --

मैंने आज्ञा नहीं दी है, एक शब्द भी नहीं लिखा जायगा । जो माननीय सदस्य सूचना पढ़ने के अतिरिक्त बोलने की कोशिश करेंगे, उनका एक शब्द भी नहीं लिखा जायगा । यह नियमों के अन्तर्गत नहीं है ।

यू0 पी0 पाट्रीज, बस्ती के मालिकों द्वारा उत्पादन कार्य रोकने तथा मजदूरी न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं निम्नांकित तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । यू0 पी0 पाट्रीज, बस्ती में न तो तालाबन्दी है न मजदूरों की हड़ताल है न फैक्ट्री बीमार है, फिर भी मजदूरों के रोजाना हाजिर रहते हुए उत्पादन कतई ठप्प है, जिससे कम्पनी को नुकसान ही नुकसान है, चूंकि मजदूर रोजाना काम पर आते हैं व उनकी हाजिरी ली जाती है, इसलिये कार्यरत मजदूरों के पक्ष में ट्रिब्युनल ने उन्हें वेतन अदा करने का फैसला दिया है । उक्त कम्पनी में 51 प्रतिशत शेयर सरकार के और 49 प्रतिशत गोरखपुर के दो व्यक्तियों के हैं । नवम्बर, 1982 से मार्च, 1984 तक का मजदूरों का वेतन फैक्ट्री पर बकाया है । 16 मार्च, 1981 से 31 अक्तूबर, 1982 तक आधा वेतन कम्पनी द्वारा दिया गया । उक्त पाट्रीज के मजदूर घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों में सरकार की अकर्मण्यता पर रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया है । अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत माननीय उद्योग मंत्री से यह मांग करता हूं कि सरकार उक्त फैक्ट्री में उत्पादन प्रारम्भ करे, स्वयं अक्षम होने पर बम्बई की बीमार मिलों की भांति केन्द्रीय सरकार द्वारा चलवाने की पुरजोर कोशिश करें ।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिला परिषद् जालौन के वैक्सीनेटरों को मुख्य कार्य से हटा कर दूसरा कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जालौन जिला परिषद् में पिछले 20-25 सालों से मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वेक्सीनेटर कार्य करते चले आ रहे हैं । इन वैक्सीनेटरों को एम0 पी0 डब्लू0, मलेरिया एवं परिवार नियोजन का कार्य भी सौंपा गया है । इनके कार्य की कोई भी शिकायत अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई । अभी हाल में जनपद के सभी जिला परिषद् वैक्सीनेटरों को उनके कार्यभार से मुक्त करके जिला परिषद का कर वसूल करने के आदेश किये गये हैं, साथ ही कर वसूल करने के लिये इनसे दो हजार नगद जमानत के रूप में जमा करने के भी आदेश किये गये हैं । जमानत का रुपया नगद न जमा करने पर वैक्सीनेटरों के वेतन से 10 प्रतिशत कटौती कर जमानत के रूप में जमा करने के आदेश हैं । इतने वर्षों से कार्य कर रहे वेक्सीनेटरों को उनके कार्य से हटा कर एक ऐसे कार्य में लगाना, जिससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, नियमों के प्रतिकूल है । वैक्सीनेटरों को 1972 से बढ़े हुए वेतन का बकाया तथा जनवरी से मार्च, 1984 तक का वेतन भी नहीं दिया गया है । अतः उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जिला गोंडा में कई घरों के जलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, जनपद गोन्डा विधान सभा क्षेत्र उतरौला में माह अप्रैल में कई ग्राम सभाओं में आग लग जाने के कारण लगभग 50 घर जले हैं। अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं दी गयी है। जिनके घर जले हैं, गरीब हैं, सर्वहारा वर्ग के हैं। जलने वाले ग्राम सभाओं के ग्राम इस प्रकार हैं (1) शिसहाना, पूरे शम्हरिया, 15 घर जले हैं, (2) नरायनपुर में लगभग एक दर्जन घर जले हैं, (3) कटरा में लगभग एक दर्जन घर जले हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि प्रति घर जलने वालों को शीघ्र 1000 रुपये का अनुदान दिया जाय तथा विधान सभा क्षेत्र उतरौला तहसील मुख्यालय होने के नाते स्थायी दमकल की व्यवस्था की जाय, क्योंकि उतरौला मुख्यालय से जिला मुख्यालय की दूरी 55 किलोमीटर है।

मुरादाबाद में हेड कान्स्टेबिल श्री रवीश पाल सिंह द्वारा की गयी आत्महत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, कुछ दिनों से जनपद मुरादाबाद के पुलिस विभाग में हरिजन तथा सवर्ण जाति के लोगों में बड़ी मात्रा में मतभेद पैदा हो गया है। दिनांक 8-4-84 को थाना हसनपुर में मालूम हुआ है कि एक हेडकान्सटेबिल रवीशपाल सिंह ने गोली मार कर आत्महत्या कर ली। मालूमात करने पर पता चला है कि एस0 ओ0, हसनपुर जो कुछ दिन पूर्व ही वहां गये हैं और रवीशपाल सिंह, हेड कान्सटेबिल को 2 वर्ष से ज्यादा थाने में हो चुके हैं। दोनों में किसी बात पर तू-तू, मैं-मैं, हो गयी, जिस पर एस0 ओ0 ने रवीश पाल सिंह को थप्पड़ मारा। इस बेइज्जती को रवीशपाल सिंह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्म-हत्या कर ली। यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ रुपयों के लेनदेन से सम्बन्धित मामला था जिस पर हेड कांसटेबिल और एस0 ओ0 में मनमुटाव था। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सहारनपुर लखनऊ के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रही विधायिकाओं के सामानों को लूट लेने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विमला राकेश--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि आजकल सहारनपुर-लखनऊ रेल मार्ग पर सहारनपुर-लखनऊ के प्रथम श्रेणी कोच में एक विशेष प्रकार के चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। उसी कोच से श्री राम सिंह सैनी, राज्य मंत्री के परिवार का सामान चोरी किया गया। श्री महाबीर सिंह राणा का भी सामान उसी कोच से चुराया गया। मैं भी जब 10/11 अप्रैल, 1984 की रात्रि में लखनऊ आ रही थी तो उसी, गिरोह ने मेरा तथा श्रीमती शकुन्तला देवी, एम0 एल0 सी0 का सामान तथा नगद रुपया लूट लिया। लगभग 20 मिनट शोर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा चिल्लाहट होती रही । बदमाश गाड़ी में सवार रहे । यदि जरा सी भी छीना झपटी होती तो कोई भी दर्दनाक घटना घट सकती थी । उपरोक्त घटनाओं से विधायकों में भय एवं आतंक व्याप्त है । इसकी जानकारी एस0 एस0 पी0 तथा एस0 पी0 को दी गई परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । प्रदेश की दिन रात बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था शासन के नियंत्रण में नहीं है । कानून और व्यवस्था के बिगड़ती स्थिति से उपरोक्त घटनाओं से किसी राजनैतिक व्यक्ति की हत्या हो सकती है ।

अतः उपरोक्त लोक महत्व की घटना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधायकों की जान व माल की सुरक्षा अविलम्ब करने की मांग करती हूं ।

सुल्तानपुर में नगरपालिका द्वारा नवनिर्मित दुकानों के गलत आवंटन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

सुल्तानपुर शहर के अस्पताल रोड पर लगभग 50 नयी दुकानों का निर्माण इसी वर्ष नगरपालिका सुल्तानपुर द्वारा कराया गया और यह दुकानें 50 वर्ष पूर्व की गुमटी के स्थान पर बनाई गयी थीं जिसके कारण उक्त दुकानों का आवन्टन की नीति केवल समस्त पुराने दुकानदार को आवंटन करने की थी, तदनुसार दुकानदारों से पक्की दूकानों के निर्माण का खर्चा भी नजराने के रूप में जमा कराकर किरायेदारी का अनुबन्ध हुआ तदनुसार तत्कालीन प्रशासक, नगर पालिका प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक के रूप में मैंने स्वयं बैठक में भाग लिया और इसी बैठक में समस्त दुकानदारों को जिनकी गुमटी पहले से मौजूद थी दूकानें आवन्टित कर दी गयी परन्तु वर्तमान प्रशासक नगर पालिका ने अनियमित तरीके से कुछ दुकानों का आवन्टन पुराने दुकानदारों के स्थान पर नये लोगों को कर दिया है जिससे कई पुराने दुकानदार नगर पालिका में नजराने की रकम जमा करने के अनुबन्ध करने के बावजूद दुकान पाने से वंचित रह गये हैं ।

बैठक के निर्णय के पश्चात् तनहा प्रशासक को आवंटन के निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नियमतः नहीं होता है ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त अनियमित आवंटन रद्द करके पुराने दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने का आदेश पारित किया जावे व पायी गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

[12 बज कर 37 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

मुझे औचित्य के प्रश्न की 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद जी की दुखहरन निषाद, थाना महराजगंज, जिला गोरखपुर की कथित हत्या के संबंध में है । वह सूचना किसी भी प्रकार से नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

सर्वश्री दिवाकर विक्रम सिंह, मोहन सिंह, कुबेर भंडारी और श्री फिरंगी प्रसाद विशारद जी की, नियम 301 के अंतर्गत कार्यवाही करने के संबंध में है । यही सूचना श्री मसरूर जाफरी की थी नियम 301 के बारे में प्राप्त हुई है,

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए यह सूचना नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

जब से माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी इस विभाग के मंत्री हुए हैं, तब से हरिजनों का वहां दमन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष.--

श्री छत्तर सिंह, श्री अकबाल हुसैन की सूचना है, जो मंत्रिमंडल में परिवर्तन के संबंध में है । मैंने नियमों को देख लिया है, नियम 300 के अन्तर्गत वही प्रश्न उठाये जा सकते हैं जो सदन के कार्य विन्यास से संबंधित हों और अध्यक्ष के संज्ञान में हों चूंकि इन सूचनाओं पर नियम 300 पर आकृष्ट नहीं होता अतः इसे मैं अस्वीकार करता हूं । इसके बाद श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री मित्रसेन, श्री विद्यासागर नौटियाल की सूचना है, जो थाना इनायतनगर के मामले में न्यायिक जांच के संबंध में है । यह मामला नियम 300 की परिधि में नहीं आता । फिर भी इस सूचना की एक प्रति, माननीय मुख्य मंत्री को, जांच और कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपनी बात संक्षेप में कहेंगे ।

(श्री कुबेर भंडारी, श्री छत्तर सिंह, श्री मसरूर जाफरी के एक साथ खड़े होकर बोलने पर ।)

आप लोग बैठें, मैं सब को नहीं सुन सकता ।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मेरा अति गम्भीर मामला है, उसको आपने अस्वीकार कर दिया है । यह अपहरण का मामला है, बाद में उसकी लाश पायी गयी ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें । मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाया है ।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे इस औचित्य के प्रश्न पर, आप माननीय किरनपाल सिंह को सुन लें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैंने 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी, मान्यवर, यह अपहरण का मामला है, बाद में इसकी लाश पायी गयी, कपड़े बरामद हुए । मान्यवर, शासन के निकम्मेपन को सुन लें, अभी तक उसमें कार्यवाही नहीं हो पायी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सबको नहीं सुनता हूं । जो नियमों के अन्तर्गत हैं और जिनमें व्यापकता है और जो सब तरीके से ठीक हैं, उन्हीं पर कार्यवाही हम करेंगे । जो बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

अलवर (राजस्थान) की फर्म मेसर्स प्रकाश प्लवराइजिंग मिल्स द्वारा कीट नाशक दवाओं की आपूर्ति विषयक दिनांक 22 मार्च, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद भी दवा आपूर्ति करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, इसी सत्र में 22-3-1984 को तारांकित प्रश्न संख्या-3 के द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह एक गंभीर मामला उठा था। उसमें शिकायत की थी कि स्वास्थ्य विभाग ने अलवर की एक फर्म मेसर्स प्रकाश प्लावराईजिंग कम्पनी से कुछ सब स्टैन्डर्ड बी0 एच0 सी0 दवा खरीदी गयी। जिसमें 50 प्रतिशत पोटेन्सी थी। जब सवालों में माननीय मंत्री जी को बताया गया कि यह सबस्टैन्डर्ड थी, तो मंत्री जी ने कहा था कि यह सब स्टैन्डर्ड नहीं थी। मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया, और लोक लेखा समिति ने भी 15-2-1984 को इसी सन्दर्भ में इसी विषय में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमे इसके संबंध में पैरा 31 से 40 तक में इसका उल्लेख है। जिसमें यह कहा गया है कि जो बी0 एच0 सी0 है, 50 प्रतिशत कीट नाशक दवा फर्म से खरीदी गयी। यह सबस्टैन्डर्ड थी। और मान्यवर, यह फर्म जो अलवर की है, इसी प्रकार के स्टैन्डर्ड की दवायें बेचती है, जो तमाम प्रदेशों में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में खरीदी जाती है।

मान्यवर, जब इस विषय पर ज्यादा शोर शराबा हुआ, तो मान्यवर, आपने, मंत्री जी ने इस पर क्षोभ व्यक्त किया था अपने जवाब के बारे में और आपने उस समय व्यवस्था दी थी कि इस प्रश्न को मैं प्रश्न समिति के सुपुर्द कर रहा जांच इत्यादि के लिये। मान्यवर, आपके उस आदेश के बाद भी कि इस मामले में आवश्यक छानबीन के लिये, इस को प्रश्न समिति के सुपुर्द कर दिया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्चस्तरीय क्रय समिति गठित की और उसकी 7-4-1984 को मीटिंग बुलाकर के उसमें यह निर्णय कर लिया कि उसी फर्म से, जिसके बारे में, आपने निर्देश दिया था, यह फर्म, जो कि ब्लेक लिस्टेड होनी चाहिये थी, जो सब-स्टैन्डर्ड दवाई बेचती है, उसी से करोड़ों रुपए की कीटनाशक दवाई फिर खरीदी जायगी। इसमें दो प्रश्न उठते हैं--एक तो जो लोक लेखा समिति इस सदन द्वारा गठित होती है, वह एक उच्च स्तरीय समिति है। यह अपनी जो रिपोर्ट प्रेषित करती है, वह एकाउन्टेन्ट जनरल की राय लेने के बाद, शासन से स्पष्टीकरण लेने के बाद, तमाम बातों की छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या उसकी रिपोर्ट को दुबारा प्रश्न और सन्दर्भ को सौंपा जाना उचित था? दूसरे, यदि यह औचित्यपूर्ण था और प्रश्न समिति को सौंप दिया तो चूंकि प्रश्न समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है, अतः उस प्रश्न के जीवित रहते हुए उसी फर्म से फिर से कीटनाशक दवाइयां खरीदने का आदेश कहां तक औचित्यपूर्ण है? इन दोनों प्रश्नों पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(श्री छत्तर सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री लल्लू सिंह चौहान तथा श्री विद्या सागर नौटियाल द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने की आज्ञा मांगने पर।)

श्री अध्यक्ष--

पद्धति यह रही है कि जिसका औचित्य का प्रश्न हो, जहां तक हो सके उसी को बोलने का अधिकार होना चाहिये, सब को नहीं। आप लोग बैठ जाइए।

(घोर व्यवधान)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री कुबेर भन्डारी--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए, मैंने कोई आज्ञा नहीं दी है। कोई शब्द लिखा नहीं जायगा।

(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप भी लोक लेखा समिति के माननीय सदस्य रहे हैं और मैं भी आपके साथ रहा हूं। उसकी प्रक्रिया से आप भिज्ञ हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट 15 फरवरी, 1984 को सदन के पटल पर आती है, 31 तारीख को उस समय के श्री माथुर, जो स्वास्थ्य निदेशक हैं, रिटायर होने वाले हैं, प्रस्तर आपत्तियां लोक लेखा समिति की लिखी जाती हैं, वर्षों तक शासन उसका निस्तारण नहीं कर रहा है। 31 तारीख को जब श्री माथुर रिटायर होने वाले थे, उस दिन उस आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया। 7 अप्रैल, को निस्तारित करके उसी ब्लैंक लिस्टेड फर्म को ठेका दिया गया, जिसकी ओर मैं तिथियों से संकेत कर रहा हूं। इसलिये जानना चाहूंगा कि इस मामले में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री का निर्णय, क्या औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है? भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामले को जानबूझकर दबाने की यह घृणित साजिश की गयी है।

यह मेरा निश्चित आरोप है कि इस भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक का इन्वाल्वमेंट है और माननीय मन्त्री जी ने जो इस सम्बन्ध में नकारात्मक उत्तर दिया और यह कहा कि औचित्य का प्रश्न नहीं इससे बनता तो वह यह कहकर भ्रष्टाचार को दबाने की चेष्टा न करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिए, यह प्रथा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं एक नया तथ्य जोड़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरे उसमें हस्ताक्षर हैं। आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको अस्वीकार किया है।

श्री लोकपति--

मान्यवर, मुझे आपने आज्ञा दी है, मैं आपके माध्यम से विरोध करना चाहता हूं जो माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

जहां तक मान्यवर, माननीय किरन पाल सिंह जी के औचित्य के प्रश्न की बात है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मोहन सिंह, श्री ओझा जी व माननीय गुप्ता जी भी विराजमान थे। माननीय गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। किसी पर कोई आक्षेप करने से पहले उसके सबूत अवश्य रखने चाहिए ताकि बात आगे साफ हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने तारीखों के साथ सबूत दिये हैं।

श्री लोकपति--

मान्यवर, 1978-79 में बी0 एच0 सी0 की खरीद हुई और इस पर मामला उठा 1981 में लोक लेखा समिति में। सन् 1981 में यह समिति बन गयी थी और साथ ही मैं यह भी बता दूं कि यह बी0 एच0 सी0 की सप्लाई भारत सरकार के माध्यम से हुई न कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। यह सप्लाई भारत सरकार ने

1978 में की थी। तो श्रीमन्, इसे भारत सरकार ने खरीदा और भारत सरकार ने ही कमेटी बनाई। सन् 1981 में जिसके एडीशनल डायरेक्टर श्री सान्याल थे, उसमें यह निर्णय हुआ कि जो ऐसे आइटम हैं, उन पर इस कमेटी में विचार किया जाए, इसलिए सारी बातें विचाराधीन हैं और जहांतक आज जो प्रश्न उठाये गये हैं औचित्य के। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार की जितनी भी खरीद होती है उसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसका ताल्लुक स्वास्थ्य मन्त्री से कुछ नहीं है।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिस दिन डाक्टर शिवानन्द नौटियाल का प्रश्न आया था उसी दिन यह बात भी सामने आयी थी कि इस बात का परीक्षण करने के लिए एक समिति बनाने के निर्देश शासन ने दिये थे, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी पढ़े गये थे, तो उसमें डा0 भल्ला का नाम भी था, जिनके विरुद्ध आरोप हैं, यह बात लोक लेखा समिति की नजर में लायी तो उनका नाम उस कमेटी में सदस्य के रूप में रक्खा गया है, तो इसका क्या औचित्य है ?

उसको छान-बीन की कमेटी में रख देने का क्या औचित्य है ? इसी के सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री लोकपति--

जो भारत सरकार ने समिति गठित की थी, यह उससे पहले की बात है, बाद की नहीं। वह उच्च स्तरीय समिति है, जहां दवाइयां खरीदने की बात है, अभी प्रोसीडिंग फाईनल नहीं हुई है, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार 4,200 मैट्रिक टन डी0 डी0 टी0 और बी0एच0सी0 की खरीद होती है जिसमें से 1800 मेट्रिक टन हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड को तथा 2000 मैट्रिक टन की खरीद के लिये जो रेट कान्ट्रेक्ट उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय से या भारत सरकार के डिसीजन के अनुसार ही खरीद होगी। अभी कोई खरीद के आदेश नहीं हुए हैं जिस फर्म का नाम माननीय किरनपाल सिंह ने तथा जिस फर्म का नाम माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने लिया है, उसको आदेश गये ही नहीं हैं इसीलिये मैंने कहा कि औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सबमिशन यह है.... (श्री फिरंगी प्रसाद विशारद और श्री कुबेर भण्डारी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

जिन प्रश्नों को मैंने अस्वीकार कर दिया है, मैं आपको चाय पिलाऊंगा आप मेरे कक्ष में आइये और मुझे समझाइये कि वह कौन से नियमों में आते हैं।

(व्यवधान)

मुझे आप लोग नियमों से सन्तुष्ट कर दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा और इजाजत दे दूंगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश जो कि सेवा-निवृत्त होने के पहले एक सार्टिफिकेट दे गये कि जो दवाइयां फार्म से परचेज की गयी है, वह गलत हैं। सदन में यह मामला आया था और आपने इसको सदन में सुन कर और इसकी गम्भीरता को देखते हुए, इसको प्रश्न समिति को सन्दर्भित किया था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसमें दो प्रश्न हैं । एक लोक लेखा समिति का निर्णय, इस पर सदन में विचार, फिर इसका निस्तारण और निस्तारण के लिये स्वास्थ्य निदेशक ने जाते-जाते, अपने जाने से पूर्व उसका निस्तारण कर दिया । आदरणीय सदन में जब यह मामला आया तो प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का आपने इसे दिया, उसका अभी कुछ निर्णय इस पर आया नहीं है और स्वास्थ्य निदेशक ने इस बीच अपना फैसला दे दिया । परचेज कमेटी ने फैसला कर दिया कि हम परचेज करेंगे । तो आपने इसे जो प्रश्न समिति को भेजा तो फिर इसका औचित्य क्या है ? प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का निर्णय तो आगे होगा और स्वास्थ्य निदेशक ने जो अपनी टिप्पणी दी है निरस्तीकरण के सम्बन्ध में उस पर आपको निर्णय देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय किरन पाल सिंह को और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को तथा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को और माननीय ओझा जी को सुना । इसमें दो बातों का जिक्र किया गया है ।

(श्री कुबेर भंडारी के खड़े होने पर ।)

आप बैठिये ना । जब हम खड़े हो कर अपना निर्णय दे रहे हों तब आपको नहीं खड़ा होना चाहिये ।

इसमें दो बातों की तरफ माननीय किरन पाल सिंह ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है ।
एक प्रश्न समिति के बारे में और दूसरा. . .

श्री कुबेर भंडारी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

भंडारी जी, आप नियमों का पालन करें । जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं । यह प्रश्न समिति के बारे में और दूसरा लोक लेखा समिति के बारे में, है । जहां तक प्रश्न समिति के बारे में है, नियमावली का नियम 269(ख) है, जिसमें है कि समिति का कार्य निम्नवत् होगा--

(क) यदि किसी प्रश्न का उत्तर शासन से समय से प्राप्त न हो अथवा प्राप्त उत्तर सन्तोषजनक न हो और अध्यक्ष ऐसा कराना समीचीन समझें तो यह उस मामले को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर सकेंगे ।

(ख) प्रश्नों के अतिरिक्त सदन में सम्बन्धित आये कोई मामला अन्य, जो नियमों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकारी में न आता हो, अध्यक्ष द्वारा उक्त समिति को विचार हेतु सन्दर्भित किया जा सकेगा। माननीय किरन पाल सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने जो प्रश्न उठाया है और स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है--दिनांक 22-3-1984 को मेसर्स प्रकाश प्लवराइजिंग मिल्स द्वारा दवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 3 को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द किया गया था, माननीय किरन पाल सिंह और गुप्ता जी आपका कहना है कि उक्त प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द किये जाने के बावजूद उक्त फर्म से दवा आपूर्ति करने से सदन की मर्यादा का अनादर होता है । आप कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी प्रश्न भेजे हैं. .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा यह मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यदि किसी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है तो नियम 269(ख) के

अन्तर्गत यह विषय प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित किया जा सकता है। नियम 269 (ख) में व्यवस्था है कि प्रश्नों के अतिरिक्त सदन में सम्बन्धित अन्य कोई मामला जो नियमों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हो, अध्यक्ष द्वारा उक्त समिति को विचार हेतु सन्दर्भित किया जा सकेगा। प्रश्न समिति का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है और मैंने जो प्रश्न समिति को भेजने का आदेश दिया है वह नियम विरुद्ध नहीं है। जहां तक लोक लेखा समिति का प्रश्न है, एक रिपोर्ट आती है सदन में प्रस्तुत होती है और उसके बाद कोई अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो यह लोक लेखा समिति को अधिकार होता है कि पुनः विचार करे और अपनी रिपोर्ट दे और सम्बन्धित अधिकारी को साक्षात्कार के लिए बुलाये, लेकिन नियमों का जो हवाला दिया है और माननीय किरन पाल सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, यह औचित्य का प्रश्न बनता नहीं है। इसलिए मैं इसको उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री शंकर सिंह की नियम 301 की सूचना पर एक माह बाद भी कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि नियम 301 में जो लोक महत्व के प्रश्न उठाये जाते हैं, आप अनुमति देते हैं और वह कार्यवाही के लिए शासन को चले जाते हैं। माननीय शंकर सिंह जी ने एक सूचना दी थी, लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हुई है, अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। यह सूचना नियम 301 के अन्तर्गत हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में था और आपने उसको मंजूर किया था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो दस अधिकारी हैं और बड़ी जाति के हैं उनको बहाल कर दिया गया और राम प्रसिद्ध जो कि एक हरिजन है और निर्दोष है। सन् 1970 से लेकर सन् 1980 तक जो अधिकारी वहां रहे वे बहाल कर दिये गये लेकिन यह जो हरिजन व्यक्ति है, इसकी कोई बात नहीं सुनी गई...

(व्यवधान)

मान्यवर, हम लोक महत्व की नियम 301 के अन्तर्गत आपको सूचनायें देते हैं और वे आपके माध्यम से शासन को जाती हैं लेकिन यह मृतक सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। इसलिये मेरा इस पर औचित्य का सवाल बनता है और इसी पर मैं व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं, आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य कुबेर भंडारी यहां पर 4 साल से सदस्य हैं, ..

(व्यवधान)

जो प्रक्रिया सम्बन्धी करण हैं उसके षष्ठम् संस्करण में करण संख्या 14(3) को आप देखें। उसमें लिखा है— 'प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो।' तो आपको यह अधिकार होगा कि नियम 301 के अन्तर्गत जो कार्यवाही की गयी है....

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, एक महीना चार दिन हो गया, कोई सूचना नहीं आयी।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दीजिये । मैं शासन से पूछूंगा कि क्या कारण है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर ।)

कृपया बैठें । अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैंने भीखा लाल जी को बुलाया है ।

(श्री कुबेर भंडारी के बोलते रहने पर ।)

कुबेर भंडारी जी, आप क्यों बोल रहे हैं ? मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैंने श्री दुखहरन निषाद का मामला नियम 301 में दिया था जो स्वीकृत रहा है । इसी क्रम में कहना चाहता हूं कि अगर कोई सदस्य कोई विशेष बात एक महीना पूर्व किसी के गुम हो जाने, उसको मारने या कत्ल करने के विषय में दे तो यदि शासन उसकी गुमशुदी की पुष्टि भी कर दे । उस व्यक्ति को मारने के विचार से उसे ले गये, उसका कत्ल हो गया और शासन उस व्यक्ति का नाम जानता भी है तब भी उसकी जान न बचा सके तो इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जो गिरती हुई स्थिति दिन प्रति दिन हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो सूचना मैंने दी थी कि उस व्यक्ति को अधिकृत रूप से ले जाया गया । गोरखपुर में सभी पत्र-पत्रिकाओं में यह बात छपी कि उसे जान से मारने के लिहाज से ले जाया गया, वह एक मजदूर था, रवि शंकर मिश्रा एक ठेकेदार था वह काम करता था..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो तथ्य आप सामने ला रहे हैं, उसे आप लिखकर दे दें. मैं उसके बारे में शासन से पूछूंगा ,

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, दुखाराम केवट....

(व्यवधान)

दो अपराधी व्यक्ति हैं ।...

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर ।)

माननीय राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, माननीय मोहन सिंह तथा माननीय भीखालाल जी आप लोग व्यवस्था के मामलों को और नियमों को निकाल दें, अन्यथा इसका पालन होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, माननीय कुबेर भंडारी जी परेशान हैं उनको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठें ।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है । माननीय छत्तर सिंह जी आप बैठें ।

श्रीमती आशा गुप्ता, अधीक्षिका, महिला, संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव का स्थानान्तरण न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री भीखालाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को 21 सितम्बर, 1983 को एक पत्र लिखा था उसमें अपने उन्नाव जनपद की अधीक्षिका, महिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रीमती डा0 आशा गुप्ता के उपेक्षापूर्ण रवैये और कार्यों में शिथिलता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। उस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया था जिसका उत्तर प्रश्न सं0 11 विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे गुरुवार के माध्यम से 1 मार्च को मुझ को दिया गया उसमें लिखा है--जी हां शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ, प्रश्नगत मामले में राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। फिर मैंने इस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न किया था जिसका स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया था कि इसकी जानकारी मुझको नहीं है कि उन्होंने 500 रु0 रिश्वत मांगी थी, यह सही है कि एक्स-रे के बाद उनका दायित्व था कि वह कापर-टी निकालती या ठीक करती, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उनको वहां से स्थानान्तरित कर निलम्बित करने के आदेश दिये गये हैं।

मान्यवर, डेढ़ महीना हो गया है अभी तक न उनका स्थानान्तरण हुआ है और न ही निलम्बन हुआ है। इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य सामने आये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह 11 अप्रैल का 'अमृत प्रभात' है इसको कुछ लाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्नाव 10 अप्रैल कौन कहता है कि मेरा तबादला उन्नाव से हुआ। मेरी जब तक मर्जी होगी मैं उन्नाव में रहूंगी। ये शब्द किसी दारोगा के नहीं वरन् उमाशंकर, संयुक्त चिकित्सालय में पिछले दस वर्षों से तैनात महिला अधीक्षिका श्रीमती आशा गुप्ता के हैं। आगे इसमें लिखा है पता चला है कि महिला अधीक्षिका आशा गुप्ता का तबादला रुकवाने में सत्ता पक्ष के एक विधायक एक भूतपूर्व मंत्री काफी रुचि दिखा रहे हैं। वह श्रीमती गुप्ता के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के कई चक्कर लगा चुके हैं। बताते हैं कि उक्त विधायक ने अपनी प्रतिष्ठा को उनके तबादले से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री श्री भीखालाल के प्रभाव में आकर तबादला कर सकते हैं तो मैं तो सत्तापक्ष का एक प्रभावशाली विधायक हूं। मेरे कहने पर तबादला रुकेगा अवश्य।

मान्यवर, हमारे उन्नाव जनपद में जितने सत्तापक्ष के विधायक हैं वे सब मुझसे प्रभावशाली हैं। मैंने तो स्वास्थ्य मंत्री पर कोई प्रभाव नहीं डाला। माननीय मंत्री जी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया और कहा कि अधीक्षिका का तबादला किया जाय और उनका निलम्बन किया जाय। लेकिन सत्ता पक्ष के प्रभावशाली लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। अन्तर यह है कि मैं भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने और भ्रष्टाचारियों को दंडित कराने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करता हूं। जो 20 सूत्री प्रोग्राम में गड़बड़ कर रहे हैं उनको बचाने में लगे हैं। यह एक गंभीर बात है उसका अभी तक तबादला नहीं किया गया जब कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, 15 अप्रैल को यह आदेश निर्गत हो जायेंगे उनका ट्रांसफर हो जायेगा उसके बाद उनका निलम्बन होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने जहां तक माननीय भीखालाल जी का सम्बन्ध है, जैसा माननीय स्वास्थ्य

मंत्री जी ने आश्वासन दिया है । लेकिन जहां तक आश्वासन की पूर्ति है नियम 300 में जो आदेश करते हैं वह होने चाहिये । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो कुछ उन्होंने कहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

फैजाबाद में कम्युनिस्ट प्रदर्शन-कारियों पर लाठीचार्ज की घटना का न्यायिक जांच में विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन में जो कुछ भी आपके द्वारा घोषणायें की जाती हैं और आपके आदेश पर माननीय मंत्रियों द्वारा जो कहा जाता है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं दिनांक 6 अप्रैल को माननीय मित्र सेन यादव जी के साथ जो घटना हुई और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के साथ जो फैजाबाद में घटना हुई उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जुडिशियल इन्क्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं। मान्यवर, आज औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट किया, आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी को भेज दिया है जिसके लिए मैं आपका अनुगृहीत हूं । लेकिन इस सदन का अपमान होता है कि न तो मंत्री जी की घोषणा का आदर होता है और न आप द्वारा मुख्य मंत्री को जो लिखा जाता है उसका आदर होता है । इसलिए मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि 6 तारीख को जो घोषणा हुई उसके आधार पर डी0 एम0 फैजाबाद को अभी तक आदेश क्यों नहीं गया कि पुलिस कार्यवाही को रोकें चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश हो गये हैं किन्तु पुलिस द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जमानत की बात कही जा रही है और पुलिस अत्याचार कर रही है । जुडिशियल इंक्वायरी के माने थे कि उसी समय से पुलिस की कार्यवाही रुक जानी चाहिये थी । इसलिए मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, यह आदेश निर्गत करा दिये गये हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी की बात है तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, इसलिए तत्काल इसकी व्यवस्था करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने आश्वासन दिया है अतः औचित्य के इस प्रश्न को अस्वीकृत करता हूं ।

खाद्य मंत्री द्वारा गेहूं के क्रय केन्द्र चालू होने के सम्बन्ध में सदन में की गयी गलत बयानी पर औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कल इस सदन में श्री हर गोविन्द वर्मा और अन्य सदस्यों द्वारा कार्य स्थगन की सूचना दी गयी थी और उसमें चर्चा के समय जब सदस्यों ने बात उठायी कि कहीं पर भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, तो खाद्य मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद सिंह ने कहा था, कल की प्रोसीडिंग के पृष्ठ 79 को देखें कि हमारे जितने क्रय केन्द्र हैं, जितने हमारे निगम के केन्द्र हैं, सब जगह खरीद शुरू है । यह कहा था । मैंने उसी समय प्रतिवाद किया था और दो केन्द्रों का नाम लेकर बताया था कि परसों ही स्वतः वहां गया था चूंकि सीतापुर में झरोखापुर में हमारी मीटिंग थी तो सीतापुर क्रय केन्द्र के सम्बन्ध में अपनी जानकारी पर कहा था, कल मैंने पुनः कहा था और फिर कह रहा हूं कि मंत्री जी ने जो कल वक्तव्य दिया था वह सत्य से परे है और मंत्री जी द्वारा जानबूझकर गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बयानी देकर, शासन की झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया गया है जिससे सदन की अवमानना हुई है। मैंने उसी समय विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दिया था, लेकिन मैं कारण नहीं समझ सका और आप आगे बढ़ गये और व्यवस्था नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष--

मौखिक आपने कहा था, क्या लिखित दिया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप विशेषाधिकार के नियमों को देख लें जिसमें लिखा है कि विशेषाधिकार हनन की सूचना तुरन्त दी जायेगी और जो घटना सदन में हुई है उसके लिए लिखित सूचना की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सदन में घटना घटी और मौखिक जिसकी सूचना दिया था, लिखित देते तो देर हो जाती और आप अग्राह्य कर देते।

श्री अध्यक्ष--

बाद में लिखकर दे देते तो क्या अस्वीकार कर देते ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियमों का बहाना लेकर यह भी हो सकता था। चूंकि तत्काल घटना यहां हुई, उसकी सूचना दे दिया तो आपको उसमें कोई व्यवस्था देनी चाहिये थी लेकिन नहीं दिया किन्तु आपने कृपापूर्वक चर्चा की अनुमति दे दिया। लेकिन चर्चा में जो बिन्दु आयेंगे वह क्रय स्थगन में जो बिन्दु हैं उसी तक चर्चा सीमित रहेगी कि क्रय केन्द्रों की व्यवस्था और बोरों की व्यवस्था हुई कि नहीं। लेकिन जो गलत बयानी है उसमें क्या होगा। इसलिए औचित्य का प्रश्न बनता है क्योंकि मंत्री जी द्वारा जानबूझकर गलत बयानी देकर शासन की झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया गया जिससे सदन की अवमानना हुई है। यदि मंत्री जी अनजाने में सचिव की सूचना पर कहते तो कारण के नियम 18 में वह आता लेकिन जानबूझकर मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है, यह करोड़ों किसानों से सम्बन्धित मामला है और सम्पूर्ण जनता को गुमराह करने की चेष्टा की गयी है तो उसका प्रतिकर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने गुप्त जी को सुना। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय 11, नियम 63 को देखें जिसमें साफ लिखा है कि-...परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सहमति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।

(व्यवधान)

कल दिनांक 11 अप्रैल, 1984 को जब माननीय खाद्य मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने विशेषाधिकार की एक मौखिक सूचना दी थी। नियम 63 के परन्तुक के अन्तर्गत यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकता है। इसमें मुख्य बात यह है कि विशेषाधिकार भंग होना--इस तथ्य को सदन के प्रकरण में निश्चित रूप से कहना कठिन हो चुका है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है। यह श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त लिखित सूचना दे सकते हैं, मौखिक सूचना पर मेरे लिए जांच पड़ताल करना सम्भव नहीं है। यदि आप लिखकर उस वक्त देते, जैसे हमेशा होता है कि लिखकर देते हैं, तो उसकी कार्यवाही देखकर मैं उस पर अपना निर्णय लेता। इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपकी व्यवस्था के बाद मेरा बोलना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

प्रदेश में कोई क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। हमारा जिला बुलन्दशहर प्रदेश का 1/7 भाग गेहूं देता है, लेकिन वहां पर एक भी क्रय केन्द्र नहीं है। मेरी बात झूठ हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तयार हूं, आपकी गलत हो तो वह इस्तीफा दे दें ..

(व्यवधान)

आलू के बारे में भी झूठ यहां बोला गया, लेकिन एक भी उसका खरीफ केन्द्र वहां नहीं मिलेगा, पी0 सी0 एफ0 कहीं खरीद नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करते रहे।)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आप लोगों को आज्ञा नहीं दी है, आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

माननीय खाद्य मंत्री जी यों तो मैंने 45 मिनट की चर्चा इस पर स्वीकार की है, लेकिन सदन यह चाहता है जैसे यह अभी सेन्टर्स चालू नहीं हुये हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो अगर आपके पास किसी प्रकार के आंकड़े हों तो आप सदन उठते समय तक जो भी लेटेस्ट आंकड़े हों, अब तक कार्यवाही की हो, उसकी जानकारी सदन में दे दें। उसके बारे में आप इस सदन को सूचित करेंगे।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास मद संख्या 4 के सम्बन्ध में कुछ निर्णय हैं जिन्हें मैं सुनाता हूं।

दिनांक 7 अप्रैल, 1983 को श्री मसरूर जाफरी ने माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है जो दिनांक 15 फरवरी, 1983 को तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या दिनांक 16/17 सितम्बर, 1982 की रात में ग्राम नेवलगंज, जिला उन्नाव के गोशाला मन्दिर के गुम्बद से हजारों रुपये के पीतल चोरी चले गये थे। प्रश्नोत्तर में शासन की ओर से बताया गया कि उपरोक्त रात्रि में कोई चोरी नहीं हुई। माननीय सदस्य के अनुसार उपरोक्त उत्तर गलत है। अपनी सूचना के साथ माननीय सदस्य ने मन्दिर की एक फोटो संलग्न किया है जिसमें देखने से ज्ञात होता है कि मन्दिर में छोटे बड़े कई गुम्बद बने हैं और उनमें कुछ पर पीतल के कलश लगे हैं तथा कुछ पर कलश नहीं हैं। माननीय सदस्य ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि पीतल के जो कलश गायब हैं वह 16/17 सितम्बर, 1982 की रात में ही गायब हुये। शासन द्वारा प्रस्तुत विवेचना रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि वह मन्दिर काफी पुराना है और उसमें कई बार चोरियां हो चुकी हैं, पर मात्र इस कथन से यह सिद्ध नहीं होती कि चोरी की कोई घटना संदर्भित तिथि को हुई अथवा माननीय मन्त्री जी द्वारा दिया गया उत्तर जानबूझ कर गलत दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस मामले में विशेषाधिकार की सूचना सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करता।

श्री यदुनाथ सिंह की विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 7 अप्रैल, 1983 को श्री यदुनाथ सिंह ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। 6 पृष्ठों

की इस सूचना को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में विशेषाधिकार की अवहेलना का आरोप किस व्यक्ति के विरुद्ध है और किस घटना के विषय से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य का कहना है कि 29 अक्तूबर, 1982 को वह रामनगर, वाराणसी में भरत मिलाप देखने गये थे तो कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने पीटना शुरू किया। दिनांक 31 अक्तूबर, 1982 को माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया। तदुपरान्त अक्तूबर–नवम्बर, 1982 को माननीय सदस्य को श्री विभूति नारायण सिंह के सामने पीटा गया। माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि वाराणसी के एम0 एस0 पी0 श्री त्रिनाथ मिश्रा, जिलाधिकारी श्री प्रशान्त कुमार तथा पुलिस अधीक्षक श्री उमाशंकर, थानाध्यक्ष श्री शिवधारी सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाये।

पूरी सूचना को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि उसमें अंकित सभी आरोप अस्पष्ट हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विशेषाधिकार अवहेलना का आरोप किस व्यक्ति के विरुद्ध है। अक्तूबर–नवम्बर, 1982 की घटना के सम्बन्ध में शिकायत अप्रैल, 1983 में की गयी है और यदि सूचना में व्यक्त सभी कथनों को सत्य भी मान लिया जाय तो विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला नहीं बनता।

वर्णित परिस्थितियों में मैं इस मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करता।

श्री आर0के0 अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, मेरठ के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री दामोदर शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को मेरठ के अधिशासी अभियन्ता, श्री आर0 के0 अग्रवाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उनके क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही थी तो 7 अगस्त, 1983 को वे श्री अग्रवाल से मिले और श्री अग्रवाल ने उनसे अभद्र व्यवहार किया जिससे वे अपमानित हुये।

अध्यक्ष पीठ से हुये अनेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी से इस सदन या किसी समिति के सदस्य के रूप में नहीं मिलते तो उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस मामले में विशेषाधिकार की सूचना एक माह विलम्ब से भी दी गयी प्रतीत होती है।

अतः इस मामले को सदन में उठाने की इजाजत देना उचित न होगा। मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये निर्वाचन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के निरस्त किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा पर सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय 11 अप्रैल, 1984 को 4 बजे अपरान्ह तक नियत था। उक्त निर्वाचन को स्थगित करने या फिलहाल निरस्त करने के लिये मुख्य सचेतक कांग्रेस दल (आई) तथा उप नेता राष्ट्रीय लोक तान्त्रिक मोर्चा के अनुरोध पर उक्त कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये निर्वाचन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निरस्त किया जाता

है। इस सम्बन्ध में नये कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जायेगी जिसके अनुसार नाम निर्देशन पत्र पुनः प्राप्त किये जायेंगे। अब तक प्राप्त नाम निर्देशन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।

गेहूं के खरीद केन्द्रों में अभी तक बोरों की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, अभी जो प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया था।

श्री अध्यक्ष--

उस पर मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, सुन लीजिये। आपने जो निर्णय दिया है उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। नियम 63 में है कि यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैंने निर्णय दे दिया है। आपको जो कुछ कहना है वह लिखकर दीजिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा हूं। पहले मेरी बात सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम 314 को देखें। अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, आप मेरी बात सुन लें। आवश्यकीय सदन के समक्ष क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने आपको विशेष जानकारी दी और विशेषाधिकार की सूचना दी थी। शासन ने अभी तक बोरों की व्यवस्था तक नहीं की है। कल सायंकाल जानकारी देने की बात की गयी थी कि मन्त्री जी सदन में वक्तव्य देंगे लेकिन श्रीमान जी वह भी नहीं हुआ। तो माननीय मन्त्री जी ने सदन को गलत सूचना दी है। सदन के प्रत्यक्ष अवमान हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और किरन पाल सिंह के प्रश्न के बारे में जो निर्णय दिया है वही निर्णय आपके बारे में है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज 14 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। एक सूचना श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की है। दूसरी सूचना श्री छत्तर सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सन्त बख्श रावत की है, तीसरी सूचना श्री गोप नाथ वर्मा की है। चौथी सूचना श्री मसरूर जाफरी की है। पांचवी सूचना श्री शंकर सिंह, श्री यमुना प्रसाद, श्री जीतेन्द्र शाह, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री सुरेन्द्र दत्त पालीवाल तथा श्री कुबेर भंडारी की है। छठीं सूचना श्री मोहन सिंह की है। सातवीं सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की है। इसके अलावा श्री सरदार सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रेवती रमण सिंह, श्री मोती लाल

देहलवी, श्री हरिवंश सहाय, श्री राधे-श्याम पटेल तथा श्री किरन पाल सिंह ने भी नियम 56 में कार्य-स्थगन की सूचनायें दी हैं।

जहां तक माननीय कुंवर सिंह नेगी की सूचना का सम्बन्ध है, यह पहले भी आयी थी, इसको पी0 यू0 सी0 के सुपुर्द कर दिया है। जहां तक श्री रेवती रमण सिंह की सूचना का सम्बन्ध है उसको 17 अप्रैल, 1984 को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की, देवरिया जिले में शासन द्वारा भरों व राजभरों की जन-संख्या गलत बताये जाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है, श्री छतर सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सन्त बख्श रावत की, थाना अतरौली, जनपद अलीगढ़ की पुलिस द्वारा ग्रामीणों को फर्जी इनकाउंटर दिखाकर मारे जाने के सम्बन्ध में है तथा श्री गोपीनाथ वर्मा की, फैजाबाद नगर के एस0 के0 विसारिया नामक अधिवक्ता की असामाजिक तत्वों द्वारा 29 मार्च, 1984 को हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। इन तीनों सूचनाओं की मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। मसरूर जाफरी को मैंने फिलहाल आज्ञा दी है अपनी बात कहने के लिये।

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में वनस्पति और मिट्टी के तेल की चोरबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। मान्यवर, एक तरफ तो 20 सूत्री कार्यक्रम में वितरण प्रणाली को चुस्त करने की बात की गयी है और दूसरी तरफ सारे प्रदेश में वनस्पति और मिट्टीके तेल की चोर बाजारी हो रही है। इस चोर बाजारी से 80 प्रतिशत गरीब जनता प्रभावित है। इस प्रकार से हो रहा है कि बड़े-बड़े जो मिल मालिकान हैं, वे 15 से 20 रुपये तक प्रति टिन अधिक लेते हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं देते और जब वह खरीद कर बढ़े दर पर लायेंगे, तो बेचेंगे। अब वनस्पति के मिल-मालिकान का यह कहना है कि मुझे सत्ता दल की राजनैतिक पार्टी को देना पड़ता है। तो एक तरफ तो बीस सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर वितरण व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की बात कही गयी है और दूसरी तरफ चोरबाजारी रोकने की बात कही गयी है और दोनों हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली दरबार में श्री श्रीपति मिश्र की सरकार के मंत्रियों ने बोली बोल कर मंत्री पद ग्रहण किया है, इसलिए इनको धनराशि बटोर कर चुनाव के लिए देना है और 5 प्रतिशत जो रिजर्व स्टाक रखा जाता है, पूर्ति कार्यालय के माध्यम से वनस्पति विक्रेताओं के यहां, वह भी आदेश समाप्त कर दिया गया है।

इसी प्रकार से मिट्टी के तेल की चोरबाजारी हो रही है। जितने स्टाक की जरूरत थी, स्टाक में कमी कर दी गयी है, तो मांग की तो कमी हुई नहीं, उधर 20 रुपया और 25 रुपया प्रति ड्रम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त 34 किलोमीटर का भारतीय तेल निगम पेट्रोल उठाने पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर देती है, जब ये व्यापारी मिट्टी का तेल उठाते हैं, इतनी ही दूरी के लिए उठाते हैं, तो 3·45 पैसा प्रति किलोमीटर लिया जाता है, यानी एक टैंकर पेट्रोल लेने में उक्त किलोमीटर से 548·80 पैसा बैठता है और जब मिट्टी का तेल लाते हैं, तो 154·50 पैसा बैठता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग माननीय सदस्य की बात नहीं सुनना चाहते हैं। आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? आप लोग बैठिये।

श्री मसरूर जाफरी--

इस हिसाब से 995·30 पैसे हर महीने एक-एक व्यापारी से पूर्ति कार्यालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेता है। इस तरह से एक लाख रुपया प्रति माह की इनकम है। यह भी चोर-बाजारी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इससे 80 प्रतिशत जनता प्रभावित है। यह काम उसी समय रुकेगा, जब पूरी तरह से मूल्य का नियंत्रण किया जाय और इसका कारण पूछा जाय कि 16 पैसा प्रति किलोमीटर पेट्रोल भारतीय निगम देता है और किन कारणों से जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय क्यों 45 पैसे प्रति किलोमीटर लेता है। जब तक इन सब चीजों की जांच नहीं होगी, तब तक चोरबाजारी नहीं रुक पायेगी। उदाहरण हेतु जिला बहराइच के कांग्रेस अध्यक्ष श्री जितेन्द्र प्रसाद गुप्त, अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, जिला बहराइच ने एक पत्र भी मुख्य मंत्री को लिखा कि बहराइच में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, परन्तु उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार दैनिक जागरण में जितेन्द्र प्रसाद गुप्त, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, बहराइच ने मिट्टी के तेल उपभोक्ताओं पर एक रुपये का अतिरिक्त भार जिला पूर्ति कार्यालय के द्वारा डाला जा रहा है, उसकी जांच की मांग की है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जिला पूर्ति कार्यालय कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय, क्योंकि यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व की सूचना है और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत है।

*खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री जैराज गौतम)—

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने अपना कार्य-स्थगन रखा है, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वनस्पति घी के मूल्य और वितरण पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह वनस्पति घी के मिल मालिकों और भारत सरकार में एक अनौपचारिक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि 217 रुपया प्रति टिन और टैक्स और अन्य व्यय को मिल कर वह बेंच सकते हैं। इसमें अगर कोई विक्रेता उससे ज्यादा भी कह कर ले लेता है, तो उस पर अमूमन को कार्यवाही नहीं होती, लेकिन इस पर विधिवत् निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दे दिये गये हैं और इस पर कन्ट्रोल करने के लिए पाम आयल और रेपसीड आयल का वितरण किया जा रहा है, ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके। जहां तक मिट्टी के तेल की बात कही गयी है, भारत सरकार से 58,855 किलोलीटर मिट्टी का तेल मिलता है, लेकिन अब की बार 1,935 किलोलीटर और कर दिया है। इस प्रकार हमारी जो मांग थी प्रदेश की 75 हजार किलोलीटर थी उसके विपरीत 60 हजार 780 किलोलीटर भारत सरकार ने दिया है।

श्री विजय सिंह राना—

सब ब्लैक हो रहा है।

श्री जैराज गौतम—

अगर कहीं माननीय सदस्य को शिकायत है, तो लिखकर दे दें, जांच कराकर कार्यवाही करूंगा। जो अतिरिक्त कोटा मिला है, यह जिलेवार वितरण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। ताकि ठीक तौर पर उसका वितरण हो सके। जहां तक शिकायत का प्रश्न है, माननीय सदस्य लिखकर दें, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

पूरे प्रदेश में यह ब्लैक हो रहा है। 80 प्रतिशत लोग प्रभावित हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने कहा कि वनस्पति घी की प्राइस कन्ट्रोल सरकार के हाथ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है, दाम बढ़ाकर बेच सकते हैं। जिलाधिकारी को नियंत्रण रखने का आदेश दे दिया। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी का पूर्व वाक्य कि बढ़ा कर बेचने पर नियंत्रित करने का अधिकार सरकार को नहीं है। जिलाधिकारी किस अधिकार के तहत उसको नियंत्रित करेगा। कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य ने कहा कि मिल मालिक 217 टीन की रसीद देते हैं और 20, 25 रुपये ओवर लेते हैं। क्या यह अपराध नहीं है, इसको नियंत्रित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जंराज गौतम--

मैंने यह कहा कि 217 रुपये टीन पर टैक्स और अन्य खर्च मिलाकर अधिक रेट पर बेच सकते हैं। साधारणतया कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। लेकिन जिलाधिकारी को निर्देश शासन ने जारी किया है कि वह अपने विवेक से निगरानी करते रहें, वह ज्यादा लाभ न ले सकें। इसको कन्ट्रोल करने के लिये रेपसीड आयल और पाम आयल का वितरण किया जा रहा है।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

साधारणतया इस पर हम कोई प्रतिबन्ध नहीं रख सकते हैं। जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह नियंत्रण रखे, भय दिखाते रहे, ताकि ऊंची कीमत पर न बेंचे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मन्त्री जी ने अभी यह कहा कि भारत सरकार का नियंत्रण है। यह कुछ कर नहीं सकते हैं। जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया कि वह नियंत्रण करते रहें। मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई कार्यवाही का अधिकार नहीं तो जिलाधिकारी उसकी देख-रेख किस अधिकार के तहत करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सुपरवाइज करने के लिये...

(व्यवधान)

ताकि ज्यादा कीमत न लें।

श्री कुबेर भन्डारी--

ऐसे मंत्रियों को हटाइये जिन्हें अपने अधिकार का ज्ञान नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री शंकर सिंह--

आज मैंने कार्य-स्थगन दिया है। वह मान्यवर, जिला जालौन के लिये नहीं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये और इस सरकार के विशेष रूप से, इससे शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। मान्यवर, अविलम्बनीय विषय है और अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। मान्यवर, दिनांक 9-4-84 को प्रातः काल जालौन जनपद डकौरा थाने में, थानाध्यक्ष उस ग्राम के निवासी ठाकुर प्रसाद यादव जिनकी आयु करीब 70 वर्ष की है, उन वयोवृद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी कार्यकर्ता को बुलाता है। मान्यवर, जैसे ही वह समाज सेवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, थाने में प्रवेश करते हैं, उन्हें दूर से देखकर थानाध्यक्ष गालियां देना शुरू करते हैं। मान्यवर, लातों, घूसों और जूतों से उनको पीटते हैं और उनके हाथ में हथकड़ियां डाल देते हैं। मान्यवर, उनको लातों और जूतों की नोक पर हवालात में बन्द किया जाता है। मान्यवर, उन वयोवृद्ध स्वतन्त्रा संग्राम सेनानी का कुसूर इतना था कि उन्होंने थानाध्यक्ष के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जबान खोली थी। मान्यवर, दफा 151 में उनका चालान किया जाता है, जब ग्रामवासी विरोध करते हैं तो मान्यवर, उनके ऊपर भी दफा 151 लगा दी जाती है। मान्यवर, जिनके ऊपर कभी छोटी से छोटी दफा में भी रिपोर्ट नहीं हुई उनके ऊपर 151 लगाकर चालान कर रहे हैं। उन्हें अपमानित कर रहे हैं यह कौन सा रवैया है। मान्यवर, एतराज करने वालों के साथ भी वही रवैया किया जाता है। मान्यवर, अ

यादव जी को साथ लेकर उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर, उन्हें उरई नगर की सड़कों पर घुमाया जाता है। और शाम को अदालत बन्द हो जाने के बाद उनको अदालत में पेश करते हैं इस तरह स्वतन्त्रता सेनानी को अपमानित किया जाता है। मान्यवर, सरकार इस तरह की कार्यवाही करवा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, अगर किसी सज्जन को बलिया में इस तरह घुमाया जाए तो तमाम लोग मिलकर मरने लगें।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यदि वह डाकू हैं, चोर हैं तो अवश्य उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। यदि नहीं हैं तो इस पर चर्चा करायी जाए। मान्यवर, आपने अनेक बार इसी सदन में सरकार को निर्देश दिए हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का सम्मान किया जाए। मान्यवर, यही सम्मान हो रहा है। मान्यवर, उनके पास ताम्र पत्र हैं, वह पेंशन पा रहे हैं। कोई जुर्म उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। मान्यवर, फिर भी उनको अपमानित किया जा रहा है। इसके पीछे राजनीति जुड़ी हुई है। मान्यवर, जो माधौगढ़ उप चुनाव से संबंधित हैं। जो इस समय रणजीत सिंह जूदेव गृह राज्य मन्त्री हैं। वह सब कर्ता धर्ता हैं। वह माधौगढ़ उप चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के संचालक थे। मान्यवर, विधान परिषद् नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव पर इन्हीं के इशारे पर बन्दूक रखी गई। अब यह गृह राज्य मन्त्री बन गये। मान्यवर, यह उरई विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और इसके अन्तर्गत डकौरा थाना आता है। मान्यवर, उरई क्षेत्र में थानाध्यक्ष को क्षेत्र उनके अनुकूल करने की जिम्मेदारी सौंपे हुए हैं। पुलिस निरंकुश होती जा रही है। आज स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के साथ इस तरीके का सुलूक किया जा रहा है आज प्रदेश के जितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं मान्यवर, उनके मन में भारी रोष है। उस जनपद की जनता में भारी रोष है, अतः यह एक विलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। हम लोगों की मांग है कि तत्काल उस दोषी दरोगा को निलम्बित किया जाय और डी0 आई0 जी0 उसकी जांच करे। मान्यवर, इस सदन में इससे महत्वपूर्ण दूसरी बात और नहीं हो सकती। इसमें सरकार की तरफ से इस सदन में आश्वासन दिया जाय कि वह दरोगा निलम्बित होगा।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन् हमारे पास इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना नहीं है। जिस तरह की बात माननीय सदस्य ने कही, अगर इस तरह की बात हुई होती तो हमारे पास सूचना अवश्य आती। फिर भी माननीय सदस्य की भावनाओं को देखते हुये हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप सहमत हैं या नहीं यह तो अब मैं निर्णय दूंगा, उसके बाद ज्ञात हो सकेगा। मेरा निर्णय तो आप सुन लें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं जो जानकारी देना चाहता हूं, उसको आप सुनेंगे नहीं तो निर्णय कैसे देंगे। माननीय मन्त्री जी ने छोटी सी बात कह दी लेकिन मान्यवर, उसमें इनके गृह राज्य मन्त्री का प्रेशर पड़ा है। माननीय शंकर सिंह ने एक बात कही और संसदीय कार्य मन्त्री जी ने वक्तव्य के लिए कह दिया कि अगर कोई बात हुई होती, कोई घटना हुई होती तो जानकारी मिल जाती। मान्यवर, यह बुन्देलखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, तो मान्यवर, मेरी बात सुन लें, ताकि माननीय मन्त्री जी उसका उत्तर दे सकें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं बाद में निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने एक महत्वपूर्ण सूचना कार्य स्थगन के जरिये से दी है, जिससे पूरे प्रदेश का माथा शर्म से झुक जाता है। यह बहुत अफसोस की बात है कि आज पूरे प्रदेश में, आज से कुछ दिन पहले माननीय मन्त्री जी स्वयं चिंता प्रकट कर रही थीं कि दहेज की बलिवेदी पर सैकड़ों लड़कियां बलि हो गयीं आज पूरे प्रदेश में यह बलि हो रही है। मैंने जो सूचना दी है, उसमें वह इस माने में गम्भीर है कि इस प्रदेश के एक राज्य मन्त्री इस प्रदेश के गृह सचिव और इस प्रदेश के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग इस घटना पर पर्दा डालने का षडयंत्र कर रहे हैं और केस समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस दी है, जिसका उद्धरण जो 10-4 84 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है, इसके 2-4 वाक्य पढ़ना चाहता हूं--

दि सुप्रीम कोर्ट टुडे आस्कड दि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड दि उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट टु एक्सप्लेन व्हाई इट शुड नाट हियर ए पिटीशन एलेगिंग दैट दि यूपी होम मिनिस्टर, रामचन्द्र टकरू, एम0 एल0 ए0 गुलाब सेहरा एन्ड जर्नलिस्ट दोसी लाल आफ आगरा मेनोज्ड टु हर्श अथ दि डेथ काज्ड बाई पोरिंग एसिड आफ सिक्स-मन्थ प्रेग्नेन्स अन्जू-खन्डेलवाल (22) इन आगरा'

इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका स्वीकार की है कि आगरा की रहने वाली 22 वर्षीया अंजू खंडेलवाल के ऊपर उनके सास-ससुर ने एसिड डालकर, उसकी हत्या कर दी। आगरा के हरिपर्वत थाने में एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी, लेकिन एक मन्त्री उत्तर प्रदेश के व गृह सचिव आदि के दबाव में उनकी ठीक से दवा नहीं हो पायी। उनको सिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया। इस मामले की पुलिस तफसीश इसलिए नहीं कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर एक मन्त्री और गृह सचिव का दबाव पड़ रहा है। एक महिला को उसके सास-ससुर एसिड छिड़क कर जला देते हैं और इतने बड़े गम्भीर मामले को दबाने के लिए एक मन्त्री और इस प्रदेश का गृह सचिव पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इसमें एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी शामिल है। आज इस प्रदेश की सारी महिलाओं का विश्वास इस प्रशासन से उठ गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करवा दें।

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, इस तरह की घटनायें निश्चित ही निन्दनीय होती हैं। इसकी सूचना मैं मंगवा रहा हूं। माननीय श्री मोहन सिंह जी ने यह सूचना 12 तारीख को दी है। इसकी सूचना आने पर मैं आपको अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक मसरूर जाफरी की सूचना का संबंध है मैंने इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

सर्वश्री शंकर सिंह, जमुना प्रसाद, जीतेन्द्र शाह और राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की सूचना के विषय को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

जहां तक श्री मोहन सिंह जी की सूचना का संबंध है, यह न्यायालय में लम्बित है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं। नियम 56 के अन्तर्गत और जो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं, मैं उन सभी को अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री सुरेश दत्त पालीवाल--

मान्यवर, आज मुझे यह सुन कर बड़ा दुख हुआ जब माननीय मन्त्री जी ने इस आदरणीय सदन के समक्ष यह कहा कि इस घटना की मुझे जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आज आप इस पर निर्णय नहीं लेते हैं और उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिलाते हैं तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज वहां जनता में पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता समझेगी कि जब एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस इस प्रकार की कार्यवाही कर सकती है और जिसके बारे में सरकार सूचना के लिए डिनाई करती है, तो निश्चित ही वहां के लोगों में गुस्सा पैदा होता चला जायेगा और आपकी पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जायेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आज ही आदेश करें कि वह दरोगा निलम्बित हो। तभी हम इस आदरणीय सदन पर विश्वास रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस गम्भीर मामले पर यहां पर चर्चा होनी अवश्य चाहिये।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक गम्भीर मामले की ओर माननीय श्री शंकर सिंह जी ने शासन का ध्यान आकृष्ट करवाया और उस बिन्दु पर बुन्देलखंड के सभी माननीय सदस्यों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। एक स्वतन्त्रता सेनानी के साथ किस तरह से थानेदार ने दुर्व्यवहार किया और शासन को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री जी को हम बाध्य भी नहीं कर पायेंगे कि वह इस पर वक्तव्य दें। लेकिन, माननीय मंत्री जी इतना कर सकते हैं, माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास संचार के साधन बहुत ही तीव्र हैं, अविलम्ब इसकी सूचना मंगा सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जब 10 बजे नोटिस इसकी मिल गयी, वक्तव्य के लिये जो आपने स्वीकार किया है, उसकी एक प्रति उसके पास चली गयी, जो गृह विभाग में चली गयी होगी। कुछ न कुछ सूचना तो अब तक गृह विभाग में आ गयी होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं आपने इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, अच्छा हो कि इस पर आप चर्चा करा दें?

दूसरे, माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह है कि आज शाम तक जो भी सूचना हो सदन उठने से पूर्व उससे इस सदन को अवगत करा दें। तीसरे, जो माननीय सदस्यों की भावना है, उसके अनुसार एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का अपमान हुआ और पूरे प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी इससे अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने वाले थानाध्यक्ष को आज वहां से हटाने की घोषणा कर दें। बाकी वक्तव्य के समय यदि कोई प्राइमाफेसी सन्देह सिद्ध हो गयी तो उसमें निलम्बन या जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही हो, वह कर दीजिएगा।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का अपमान है और माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं।

श्री लोकपति--

मैं खुद एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूं। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की भावनाओं को आप नहीं जानते तो उनकी पेंशन तक बन्द करा दी है। आज उनका स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का बर्द हो रहा है। मान्यवर, वे इज्जतदार हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मसरूर जाफरी--

आप ही ने तो उनकी इज्जत उतरवा दी ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, माननीय मसरूर जाफरी जी इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, उससे कोई लाभ नहीं है ।

मान्यवर, सोमवार के दिन जब सदन बैठेगा, तो इस पर विस्तार में जानकारी सदन को दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मैं इसको चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं ।

(मद संख्या 8 लेने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के औचित्य के प्रश्न की गलत ब्रीफिंग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, जिस समय आप मेरे एक औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था दे रहे थे, तो उसकी बाबत कहना चाहूंगा कि आपको जो ब्रीफिंग करके मिला है, उसमें कुछ गलती हो गयी है । जो आपने पढ़ा है, वह कार्यवाही में अंकित हो गया, इसलिए मैं उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें आपने यह कह दिया कि "मेरा कहना है कि उक्त प्रश्न को एवं संदर्भ समिति" को सुपुर्द करने से सदन की अवमानना हुई है । मान्यवर, यह तो कार्यवाही में अंकित हो जायेगा । मान्यवर, जिन्होंने आपको ब्रीफ करके दिया है, उन्होंने इसमें गलती कर दी है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि कार्य स्थगन में जो सूचना दी है वह है कि प्रश्न समिति को सुपुर्द करने के बाद भी शासन ने उस ब्लैक लिस्टेड फर्म के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उसको फिर से आर्डर दे दिया है, इससे सदन की अवमानना हुई है । मान्यवर, आपसे अनुरोध है, कि इस प्रकार से आप कार्यवाही को शुद्ध करवा लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देख लूंगा ।

(समय 1 बजकर 59 मिनट)

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) (क्रमागत)†

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे माननीय कृषि मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश के जनमानस को जगाने के लिये, उनके जीवन की रक्षा के लिये और उनके पालन पोषण के लिये, हर दिशा में कृषि का महत्व है । संयोग से मान्यवर, कृषि विभाग एक ऐसे मंत्री के हाथों में सौंपा गया है, जो सीधे कृषि से जुड़े हुए हैं और उसी समाज की रक्षा करने के लिये उनके हाथों में यह विभाग सौंपा गया है । मान्यवर, कृषि के जगत में, जो ख्याति माननीय मंत्री जी के द्वारा अर्जित करायी गयी है, जो इसकी तरक्की हुई है, उसकी सराहना करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पैदावार इस साल 1983-84 में हुई है वह अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 11 अप्रैल, 1984 की कार्यवाही से ।

आप में एक मायने रखती है। मान्यवर, कुछ हमारे सम्मानित साथी कल बोल रहे थे उन्होंने यह चर्चा किया था कि कि आलू की पैदावार इतनी

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए।)

हुई है कि उसका निर्यात नहीं हो रही है उसका आयात या निर्यात नहीं हो पा रहा है, आलू को रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिससे वह सड़ रहा है। सम्भवतः कटौती का प्रस्ताव बाबू मोहन सिंह जी ने रखा है। एक तरफ तो उनकी इच्छा है कि हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश के किसानों का उत्थान किया जाय और दूसरी तरफ कटौती का प्रस्ताव रखकर, मैं जानता हूं कि जिस भावना के अन्तर्गत उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, विरोधी पक्ष में होने के कारण नैतिकता के आधार पर सरकार की आलोचना करना उनका कर्तव्य है, इसलिये रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कृषि के उत्थान में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो चार चांद लगाये हैं, वह भी कुछ मायने रखते हैं।

इसके साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात है, आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बीज तराई निगम है, पूर्वांचल के किसानों को हजारों-हजारों एकड़ के लिये गेहूं का बीज वितरित किया गया था। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लखनऊ से पूर्व देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, इन तमाम जनपदों में हजारों-हजारों क्विं0 गेहूं का बीज दिया गया था, लेकिन कहीं भी वह जमा नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस अधिकारी को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिये, जिसने ऐसा किया है। उन मासूम और गरीब किसानों ने उस बीज को लेकर खेतों में डाल और खाद खरीदकर सिंचाई की व्यवस्था करके 12 बजे और 1 बजे रात को खेत को सींचा, लेकिन उसके खेत में बीज नहीं जमा, उनको कितनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा? निश्चित रूप से वह अधिकारी सजा का भागी है और उसको सजा मिलना चाहिये, जो किसानों की किस्मत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आलू की समस्या है, यह बात सही है, लेकिन यह भी सही है कि जब लाखों क्विंटल आलू की पैदावार होगी तो रखने की समस्या तो पैदा होगी ही। मैं कहना चाहूंगा कि आलू की पैदावार विगत वर्षों से ज्यादा हुई है। कोल्ड स्टोरेज में रखने की समस्या जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेन्ट सेक्टर हो, जहां कहीं भी शीतगृह हैं, वहां निश्चित रूप से लोग शरारत कर रहे हैं। इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए कि कैसे व्यवस्था की जाय।

मण्डी समितियों की बात है, ऐसा नहीं कि मण्डी समितियों के अन्दर तरक्की नहीं हुई, निश्चित रूप से तरक्की हुई है। जो स्थिति आज से 4 वर्ष पूर्व थी, उसमें इतना परिवर्तन हुआ है कि किसान और व्यापारियों को उससे बड़ी राहत हुई है। मण्डी समिति में जो अधिकारी रखे गये हैं, उसमें एक-दो तो जरूर शरीफ हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जिनसे लोगों को धोका पहुंच रहा है। माननीय मन्त्री जी, आपके रहते हुए उत्तर प्रदेश की जनता आपसे आकांक्षा करती है कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी हो तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपका ध्यान पंतनगर यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाना चाहूंगा। इसमें शक नहीं कि हमारे कृषि जगत में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को एक नयी चेतना, एक नयी जागृति प्रदान की है, वे तारीफ के काबिल हैं, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो इतनी गड़बड़ कर रहे हैं कि वहां के मजदूरों, कृषकों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें गलत बीज की सप्लाई कर रहे हैं।

बीज तराई निगम में एक मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर चौहान को रखा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैसे मन्त्री के रहते हुए [× × ×] इस विभागों में रहने का हक नहीं है। निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि जिन किसानों ने उस बीज का प्रयोग किया था, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ उसने किया है।

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

वह अधिकारी इस समय कहां है?

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

यही तराई बीज निगम में होंगे शायद लखनऊ या और कहीं, यह मुझे ठीक पता नहीं है, नाम उनका चौहान है।

श्री अधिष्ठाता--

आप किसी अधिकारी के खिलाफ जब आरोप लगा रहे हैं और माननीय मन्त्री जी उनके बारे में जानकारी चाह रहे हैं, अगर उनको पूरी जानकारी हो जाये तो वह कार्यवाही भी करेंगे जैसा आप चाहते हैं कि उनके प्रति कार्यवाही हो। तो आप उनका पूरा नाम व पता बतायें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, क्या किसी अधिकारी को बेईमान शब्द से घोषित किया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विक्रम जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है सदन में वह सही है, किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसका वह उत्तर यहां दे नहीं सकते हैं, मैं उस हिस्से को कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, आपका निर्णय सर आंखों पर वैसे यहां इस प्रकार की बातें रोज होती रहती हैं। जहां तक कृषि उत्थान की बात है मैं भी कहता हूं कि कृषि जगत में काफी तरक्की हुई है इस प्रदेश में। मान्यवर, मैं मण्डी समितियों की बात कह रहा था। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने जनपद देवरिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां तीन मण्डी समितियां हैं बराज, सिवरही और देवरिया। सिवरही मण्डी समिति मान्यवर, बिहार और उत्तर प्रदेश के बार्डर पर है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर अधिकारियों द्वारा कार्य-सुचारू रूप से देखे जाने के लिए कोई मण्डी भवन नहीं है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि मण्डी भवन बनाने की अविलम्ब व्यवस्था करने की कृपा की जाये जिससे वहां के व्यापारियों का सुलभता से कार्य चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि के बजट पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार हूं। श्रीमन्, यह विभाग तो बहुत बड़ा है, इसलिये यह विषय भी बहुत बड़ा है। इसके सारे मुद्दों पर तो बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि इतना वक्त नहीं है केवल कुछ मुद्दों पर ही कुछ बातें कहना चाहूंगा। उसमें सबसे पहली बात यह कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग इस प्रदेश का अपंग विभाग है और इनका विभाग टिड्डों के बल पर चल रहा है और माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्त्री जी दूसरे विभागों के पैरों पर चलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें यह कितने सफल हो जायेंगे यह स्वयं देखने की बात है और जो भी योजनाएं यह चला रहे हैं और जिस गति से चला रहे हैं, उससे यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि यह सारी चीजें किसानों तक पहुंच भी सकेंगी या नहीं। इस प्रदेश में यह सोचा गया था कि ग्रामों से सम्बन्धित जितने भी समस्यायें हैं, उनका निदान एक ही योजना के तहत कराया जाए, लेकिन यह भी सम्भव नहीं हो पा रहा है और इतने दिनों से यह योजना चल रही है और ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा आज तक कितने मामलों में इस प्रकार से रुचि ली गई, जिस प्रकार से योजना बनी है, इनके रुचि न लेने के क्या कारण हैं? इसका कारण यह है कि जितनी भी योजनाएं हैं वह सही ढंग से गांवों तक पहुंच नहीं रही हैं, लेकिन आंकड़े जरूर कुछ अच्छा बता रहे हैं। पहले इन आंकड़ों की सांख्यिकी जो होती थी फिर कुछ ठीक थी, परन्तु अब तो निदेशक के अधीन जाने लगी है, जिससे आंकड़ों में बड़ा फेर-बदल हो रहा है। इससे सही आंकड़े आपके सामने नहीं आ रहे हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के समय बीज पर काफी बल दिया था। मैं भी यह समझता हूं कि जब तक सही ढंग के बीज आप किसानों को नहीं देते हैं तब तक आप चाहे कितनी खेत में खाद डाल दें, पानी दे दें लेकिन पैदावार में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। लेकिन बीज की सप्लाई में भारी विषमता है। क्या तराई बीज निगम हो या एन0 एस0 सी0 हो यह एजेन्सियां आपकी बीज के वितरण की हैं क्या आप उनसे समस्त बीज की आवश्यकता जितनी यहां पर है, उसे पूरा करा लेंगे?

आपने स्वयं अपने भाषण में कहा है जो कि मान्यवर, आपकी प्रोसीडिंग के पेज 84 पर है कि साढ़े तीन लाख टन आपको बीज की आवश्यकता है। पिछले वर्ष के लिये आपने 4.43 लाख क्विन्टल की आवश्यकता बतलाई थी तो मान्यवर, इसमें बहुत अधिक विषमता हो गई। आपने कृषि फार्मों से भी बीज को बांटने की प्रक्रिया आरम्भ की है। लेकिन मेरा अनुमान है कि आपके पास जो एजेन्सियां हैं बीज पैदा करने की या बीज को वितरण करने की तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन और डिमान्ड के बीच में गैप है और इस गैप को आप पूरा नहीं कर पायेंगे।

इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जैसे गन्ना में होता है प्राइमरी नर्सरी, सेकेन्डरी नर्सरी उसके बाद तीसरी स्टेज आती है, जब बीज किसानों को वितरित किया जाता है। इसी प्रकार से खाद्यान्न में भी जो बीडर्स हैं और जो फाउन्डेशन सीड आता है, ठीक है कि आप उनको देंगे लेकिन तराई बीज निगम द्वारा प्राइमरी बीज का उत्पादन आप करा लें फिर एक और श्रेणी के अलावा सेकेन्डरी बीज उत्पादन करवें, फिर आप उसे किसानों को वितरित करावें।

इसके लिये एक सुझाव और देना चाहूंगा कि तराई बीज निगम और एन0 एस0 सी0 जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके अलावा पूरे डिवीजन में इसे किसानों में डिप्टी डाइरेक्टर के माध्यम से, उसे आप चुन लें और उनकी एक श्रेणी बना लें और जो आपके पास बीज उपलब्ध है, उनसे भी आप अपने कृषि फार्म को करावें यानी बीज को पैदा करावें और बीज पैदा करा करके उसका प्रमाणीकरण करा करके उसे वितरण में लें तो आपके प्रोडक्शन की केपासिटी बढ़ सकती है और यह जो गैप हो गया है यह काफी हद तक इसको आप दूर कर सकते हैं।

श्रीमन्, धान की सामुदायिक नर्सरी की योजना आप चला रहे हैं। वास्तव में जो आपकी सामुदायिक नर्सरी का लक्ष्य है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है

आपका लक्ष्य यह था कि गरीब किसानों को जिनको कि नर्सरी डालने की सुविधा नहीं है, और ऐसे किसानों को जिनको नर्सरी डालने की सुविधा है, उनके यहां आप नर्सरी पैदा करा करके गरीब किसानों को अपधान की पौध वितरित करा दें। मैंने इस सम्बन्ध में यहां एक प्रश्न भी किया था जो कि अब आयेगा कि आपने विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां नर्सरी डाली गई और कहां-कहां से पौध वितरित की गई? मैं स्वयं जांच करके आपको इससे अवगत भी कराऊंगा कि जो पौध का वितरण हो रहा है और वितरण की जो सूचियां बनाई जा रही हैं, वे सब फर्जी हैं। एक ऐसी सूची में नर्सरी का सामान दे दिया जाता है और उनके या उनके परिवार वालों को या मेल-जोल के लोगों का नाम देकर फर्जी वितरण दिखला दिया जाता है और सीमान्त कृषकों को इससे लाभ नहीं हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र की सूची माननीय मंत्री जी को बता दूंगा और मैं चाहूंगा कि उस पर वह जांच करा लें कि घोटाला कहां तक हुआ है। एक चीज कहना चाहता हूं कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में तिलहन की फसल की पैदावार के लिए निश्चित रूप से प्राविधान किया गया है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अब हमारा कितना समय रह गया है।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट का समय और है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

और उस पर आप काफी अनुदान दे रहे हैं। इसमें भी ऐसी धारणा है कि जो आंकड़े दिये जा रहे हैं वह फर्जी आंकड़े हैं। आप स्वयं सोचें, मैं पश्चिम के किसानों की बात तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन पूर्व के किसानों के बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं, वह सरसों या राई की फसल खाली नहीं बोते हैं। अगर गेहूं बोयेंगे तो उसमें सरसों या राई को मिला देंगे। उनका ध्येय रहता है कि गेहूं या धान की पैदावार करना। जो अनुदान आप दे रहे हैं वह डेढ़ एकड़ या ढ़ाई एकड़ तक के किसानों को आप दे रहे हैं और उन किसानों की सूची आपके यहां बनकर आ रही है। यह फर्जी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच वह किसान केवल खालिस सरसों की फसल बो रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें भी काफी घोटाला हो रहा है, फर्जी लिस्ट बन रही है। फर्जी अनुदान का वितरण दिखाया जा रहा है, जो आपका मकसद, उससे किसानों को लाभ नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

एक मिनट दे दें तो आपका आभारी रहूंगा। लाल बत्ती जला दी, बातें तो बहुत कहनी थीं, लेकिन एक चीज नहीं समझ पाया कि कल आपने आलू के दाम की घोषणा की थी, 50 रुपये प्रति कुन्तल। जो पुस्तिका आपके विभाग द्वारा उपलब्ध हुई है, उसके पृष्ठ 13 पर आप देखें। 1981-82 से लेकर 1983-84 तक आपके विभाग में जो आलू की लागत दिखलायी है, वह 750 और 900 रु0 प्रति मीटरिक टन है। यानी 75 रु0 से लेकर 90रु0 प्रति कुन्टल आलू के उत्पादन की लागत है। जो आप बीज पैदा करके बांट रहे हैं, उसकी यह कीमत है। मैं मानता हूं कि आपकी यह लागत अधिक होगी। 50 रु0 है तो क्या किसानों के घर की पैदावार में केवल 40 रु0 या 45 रु0 लगेंगे। जो आप मुनाफा देकर 50 रु0 में आलू खरीद रहे हैं, इससे किसानों को हानि हो रही है। आप

सही लागत पर उनको आलू का दाम दिलवें । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कुबेर भंडारी—

कोरम के अभाव में सरकार की छुट्टी हो गयी ।

[2 बजकर 20 मिनट]

श्री गोरे लाल शाक्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, कृषि विभाग का मूल उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना और कृषकों का उत्पादन के लिए अधिक प्रोत्साहित करना है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारी सरकार कृषि को आगे बढ़ाने में कितनी प्रयत्नशील है । मान्यवर, खाद्यान्न का उत्पादन 1980-81 में 249.48 लाख मीटरिक टन और 1981-82 में 242,89 लाख और 1983-84 में 263,53 लाख मीटरिक टन और 1984-85 में यह लक्ष्य 302.90 लाख मीट्रिक टन रखा गया है इसी तरह से पंच वर्षीय योजनाओं के आंकड़ों के अनुसार भी पहली से लेकर छठी पंच वर्षीय योजना तक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता चला गया है अब तक खाद्यान्न का उत्पादन 263.12 लाख मीट्रिक टन हुआ है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहला और दूसरा सूत्र केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रखा है पहला यह है कि जो अनउपजाऊ जमीन है, जो सूखी जमीन है, जो परती की जमीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया इस प्रदेश में खर्च किया जा रहा है ताकि ऐसी जमीन में खाद्यान्न का उत्पादन हो सके ठीक इसी तरह से दलहन और तिलहन, जिसके बारे में आप कहते थे कि इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है और पाम आयल उसकी जगह चल रहा है तो दलहन और तिलहन की खेती में बढ़ोत्तरी के लिए नम्बर दो पर कार्यक्रम में रखा गया है ताकि इसका उत्पादन ज्यादा हो सके और हमारे प्रदेश की खाद्य तेल व दालों की समस्या हल हो सके ।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए भूमि और जल दो ही साधन हैं जिससे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है इसलिए हमारी सरकार भूमि संरक्षण और जल संरक्षण के विषय में पूरी-पूरी कार्यवाही कर रही है ताकि हमारे प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके इसी तरह से भूमि आबंटियों को जो भी भूमि दी गई है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए उनको कुछ पैसा दिया जा रहा है ताकि परती जमीन में भी कृषि उत्पादन हो सके इसी के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत हमारा किसान जो फसलें उगाता है उसके सामने एक समय ऐसा आता है जब वह बेरोजगार हो जाता है, उनको उस वक्त रोजगार देने के लिए कृषि विभाग सतत प्रयत्नशील है उनको इस योजना के अन्तर्गत 100 दिन गारन्टी योजना के अन्तर्गत काम दिया जाता है जिससे वे कुछ कमा सकें और एडीशनल इन्कम कर सकें

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांत रहें ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

मान्यवर, इसी तरह से खाद और उर्वरक भी कृषि के उत्पादन के लिए और उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैं इसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि कितना हमारी सरकार खाद और उर्वरक बांटती है मान्यवर, 1981-82 में 12.27 लाख मीट्रिक टन, 1982-83 में 14.27 लाख मीट्रिक टन और सन् 1983-84 में 16 लाख मीट्रिक टन खाद बांटी गयी

है यह आंकड़े बताते हैं कि हमारी सरकार कृषि के मुद्दे पर कितनी सक्रिय है

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुछ और बातें कहना चाहता हूं

श्री अधिष्ठाता—

सिर्फ दो मिनट आपके बाकी रह गये हैं ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

मान्यवर, 5/7 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । श्रीमन्, कृषि को भी एक उद्योग मानकर जो भी उसका उत्पादन होता है उसका भी लागत के अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाय और वही मूल्य किसानों को दिया जाय । चाहे कोई भी सरकार क्यों न हो जब तक किसान द्वारा उत्पादित किसी भी वस्तु का मूल्य उद्योगों की लागत के अनुसार नहीं होगा तब तक मैं किसी भी सरकार को किसानों की हितैषी नहीं मान सकता हूं । अभी इसी विधान सभा में सब्जी के मूल्य के ऊपर बहस हुई थी कि उसके मूल्य बढ़े । फैक्टरी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य बढ़े इस पर बहस क्यों नहीं की । किसान ने ज्यादा सब्जी का उत्पादन किया और उससे किसान अपने लड़के की फीस देगा, लड़की की शादी करेगा, अपनी और अपने परिवार की जीविका चलायेगा और अपना इलाज करायेगा । इसलिए मान्यवर, कृषि उत्पादित वस्तुएं जो किसान की जीविका चलाने के लिए उसके और उसके परिवार की दवा वगैरह के लिए हैं, जब उनमें मंहगाई होती है तो कोई टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए । जब आलू यहां पर किसानों ने अनाप-शनाप पैदा किया तो उसे कोई इनसेन्टिव नहीं दे रहे हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे पहले आलू एक्सपोर्ट होता था उसी तरह से दूसरे प्रदेशों को निर्यात खोल दिया जाय और भी भेजा जाय ताकि हमारे किसानों को उचित मूल्य मिल सके । मान्यवर, दो मिनट में और लूंगा । (लाल बत्ती जलने पर)

मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि यह जो वन संरक्षण अधिनियम है किसानों के लिए काला अधिनियम है इसके तहत अगर कोई डन्डे भी काटता है तो उसे मुकदमे में फंसना पड़ता है इस प्रकार हजारों मुकदमे आज किसानों पर चल रहे हैं । यह वन संरक्षण अधिनियम किसानों के जो अपने पेड़ हैं उन पर लागू न किया जाय बल्कि सरकारी वन सम्पत्ति पर लागू किया जाय । किसानों के अपने निजी पेड़ों को परिधि से निकालते हुए तत्काल वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जाय ।

इसके साथ साथ जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, वह अभी तक लागू नहीं किया गया है उसे कृषक मजदूरों के लिए लागू किया जाय । सरकारी विभाग पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई, आर0 ई0 एस0 कोई भी विभाग मजदूरों को निर्धारित मजदूरी नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

एक मिनट में समाप्त करता हूं । हमारे यहां भरथना में कृषि उत्पादन मंडी का निर्माण नहीं हुआ है । अभी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां यह मंडियां नहीं बनी हैं । हमारे यहां भरथना में कृषि उत्पादन मंडी धन आवंटन के बावजूद अभी तक निर्मित नहीं हुई है जबकि हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसका निर्माण सब जगह होगा । यह 20 सूत्री कार्यक्रम में है जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है । पैसा भी इसके लिए आवंटित हुआ है लेकिन काम नहीं हुआ है यही बात कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्षः—

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर) केवल 5 मिनट में आप समाप्त करेंगे।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के बारे में जो योजनायें मैदानी क्षेत्रों के लिए बनती हैं वही वहां भी लागू की जाती हैं। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां यहां से भिन्न हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने जिनको वहां की जानकारी नहीं है यहां तक कहा, अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में एक भाषण में कहा कि पहाड़ों में आलू एक नाली में 10 मन पैदा होता है। उनको मालूम नहीं है पहाड़ों में नाली का मतलब क्या होता है उन्होंने उसे पानी की नालियों से लगा दिया। पहाड़ों में नाली का मतलब जमीन की नाप से है 20 नाली जमीन यहां के एक एकड़ के बराबर होती है।

श्री यशपाल सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि सहारनपुर का वह कौन सा अखबार है जिसका यह हवाला दे रहे हैं। जिसमें भाषण छप गया कि पहाड़ों में नालियों में आलू होते हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं उद्यानों के बारे में कहना चाहता हूं। उद्यानों की वहां प्रगति हुई है। सचमुच वहां पर एक समस्या पैदा हो गयी है जो फल वहां होते हैं उसके विपणन की समस्या हो गयी है क्योंकि विपणन की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है जिससे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। वहां पर एक अच्छी योजना लागू हुई है बीज प्रमाणीकरण योजना। पिछले वर्ष मैंने जब बार-बार इस सदन में अनुरोध किया तो जोशीमठ में आलू बीज प्रमाणीकरण योजना स्वीकृत हुई, मैं निवेदन करूंगा कि जोशीमठ के अलावा चमोली जनपद में आलू बीज प्रमाणीकरण योजना केन्द्र विकास खंड थराली, देवालघाट और उखीमठ विकास खंडों में भी खोले जायं जहां-जहां आलू अधिक मात्रा में होता है वहां यह खोले जायं। इस योजना में पहले ज्यादा अनुदान शासन से मिलता था लेकिन यह आपने कम कर दिया है।

उद्यानों के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है इस दीर्घकालीन ऋण योजना में जो रुपया मिलता है वह बहुत देर में मिलता है बगीचा लगने के 5, 10 साल बाद दिया जाता है। इस पर काश्तकारों को लम्बे समय तक ब्याज देना पड़ता है। इसमें जो अनुदान दिया जाता है वह जल्दी दिया जाय ताकि जो उनको ब्याज पड़ता रहता है वह न देना पड़े। तो मेरा निवेदन है कि जो आप अनुदान देते हैं उनको पहले ही, जैसे बाग लगाते हैं तो शुरू में ही, अनुदान दे दें ताकि उसमें ब्याज न लगे।

मान्यवर, विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से नये-नये कार्यालय खोले हैं, जैसे गढ़वाल में कृषि उप निदेशक का पद सृजित किया गया, निदेशक भूमि संरक्षण का पद सृजित हुआ, इसके अलावा स्टाफ और किराये का मकान है जिस पर हजारों रुपये खर्च होता है लेकिन इन अधिकारियों की वहां नियुक्तियां नहीं हुई हैं जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा है. इसलिए वहां नियुक्तियां करने पर ध्यान दें।

मान्यवर, पौड़ी में और कुमायूं में कृषि प्रसार डिप्लोमा से जो लड़के पास होते हैं, वहां जो तृतीय श्रेणी में सुपरवाइजरों की नौकरी होती है उनको वह नौकरी नहीं मिलती है और कहते हैं कि बी० एस-सी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और एन0 एस-सी0, एग्रोकल्चर को प्राथमिकता देंगे लेकिन पहाड़ों में बी0 एस-सी0, (ए0 जी0) और एन0 एस-सी0, ए0 जी0 नहीं हैं, इसलिए गढ़वाल में इसकी आय व्यवस्था करायें और जो वहां वर्तमान लड़के हैं, जो कृषि प्रसार डिप्लोमा पास हैं उनको वहां नौकरी मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, मैं काफी समय से आग्रह कर रहा हूं कि वहां के उद्यानपतियों को लाभ देने के लिए वहां कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करें और जो चमोली में ग्वालदम में पूल हाउस बनाया गया है वह असफल हो गया है, इसलिए वहां कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, उत्तरकाशी में एपल स्केब से सेब की फसल को काफी नुकसान हो गया है । उत्तरकाशी में जो हिमांचल से लगा हुआ क्षेत्र है वहां एक डजाक से यह बीमारी शुरू हुई है और सारे उत्तरकाशी और टेहरी में फैल गयी है जिस पर विभाग नियंत्रण करने में असफल है । इसलिए इसकी ओर ध्यान द । इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि को व्यवस्थित करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय प्रयत्न किये हैं और 1947 से लेकर आज तक जो प्रयत्न हुए हैं उसमें संदेह नहीं कि हम बहुत हद तक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं । मान्यवर, बहुत पहले 1949 में खाद्यान्न का बड़ा संकट पड़ा था और तब एक विदेशी ने कहा था कि यदि भारतवर्ष अपनी खाद्यान्न समस्या हल कर ले तो इसका प्रभाव एशिया में पड़ेगा । मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो प्रगति हमने किया है उसका प्रभाव एशिया में ही नहीं सारी दुनिया पर पड़ा है और कृषि में हमने प्रगति किया है और खाद्य आपूर्ति पूरा करने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है । लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जो प्रगति कर लिया है उसके माने यह नहीं कि अब आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि नेशनल एवरेज में, राष्ट्रीय औसत में, हम पीछे हैं और बहुत प्रदेशों से औसत पैदावार में बहुत पीछे हैं, इसलिए जो प्रयत्न किया है उससे अधिक उत्पादन बढ़ाने और कृषि को व्यवस्थित करने में प्रयत्न करना है ।

मान्यवर, अब मैं इसमें जो समस्या है उसको बताना चाहता हूं कि एक तो यह है कि भविष्य की तरफ देखने की आवश्यकता है । हमारी सिंचाई क्षमता बहुत बढ़ी है लेकिन परेशानियां भी बढ़ी हैं जैसे सीपेज और जल-भराव की समस्यायें हैं जिनको देखने से अनुभव होता है कि 10-15 सालों में बहुत बड़ा क्षेत्र ऊसर, बंजर और अनुत्पादक हो जायेगा जिसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और किसानों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि कितना पानी किस समय दिया जाये । किसान नहर खोल देते हैं, पानी भर जाता है, काट देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि नमी साल भर तक बनी रहती है । जो लोग बाहर से लौटे हैं, विदेशों में जिन्होंने कृषि को देखा है वह बताते हैं कि वहां पर आर्टीफिशियल रेन्स फव्वारे के समान ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, इस रूप में वहां पर कृषक सिंचाई करते हैं । हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिये । इसकी तरफ आपको देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

दूसरी समस्या हमारे सामने है, ऊसर रेक्लेमेशन के सम्बन्ध में मंत्री जी द्वारा जो कहा गया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । उनके द्वारा हमारे जनपद को भी ऊसर सुधार स्कीम में रखा गया है । इसके लिए एक अभियान छेड़ना चाहिये । यदि यह हो जाये तो एक बहुत बड़ा रकबा एग्रोकल्चर बेल और उपजाऊ बना सकते हैं । यह अपना बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थान पर बैठकर हम सब स्थानों पर क्या होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकते हैं। जो लोकल कंडीशंस हैं, उस सम्बन्ध में हमको देखने की आवश्यकता है। बहुत से इलाकों में बरसात कम होती है और सिंचाई में उतनी क्षमता नहीं है, तो वहां पर क्या बीज रखा जाये, जो ड्राई एरिया में भी उपज दे सके, पैदावार हो सके, इस तरह की शोध होना बहुत आवश्यक है। इससे हम पैदावार अच्छी और बेहतर कर सकेंगे और हमारी पैदावार बढ़ेगी। अब बीज न शोध के बारे में मैं आपसे थोड़ा निवेदन करूं, अभी 25--30 साल पहले हमारे यहां एक धान देहलवी नाम का बोया जाता था, जिसकी बहुत अच्छी पैदावार होती थी। उसका रंग तो अच्छा नहीं होता था, कुछ मटमैला और लाल रंग का होता था, लेकिन खाने में वह बहुत मीठा होता था। आज उस पर शोध करने की बहुत जरूरत है। उसमें पैदावार भी उस समय बहुत अच्छी होती थी। उस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा, उसमें शोध की जाए, उसको और बढ़ाया जाए।

दूसरी बात मैं खाद के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, यह भी कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह खाद हमारी प्रोडक्टिविटी, फर्टीलिटी को कम करते हैं। अतः इस कारण से हमको उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है। इन खादों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति जो कम हो जाती है, उसको दृष्टि में रखते हुए हमको हरी खाद और कम्पोस्ट खाद पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्टीलाइजर पर फर्टीलाइजर देते रहें तो यह बात अच्छी नहीं है। उससे हमारी जमीन की फर्टीलिटी कम होती जायेगी और जितनी उपज हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अधिक उपज के लिए प्रयास हमेशा और बराबर जारी रहने चाहियें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन अनाज का अपने देश में कर सकें। एक बात विभाग में स्टाफ के सम्बन्ध में है, विभाग में बीच में जो बहुत से अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर आदि हैं, इन पदों से कोई लाभ नहीं मालूम पड़ता है। एक ऊपर और नीचे रखकर बेहतर कोआर्डिनेशन होगा। जो आपके नहर विभाग, ग्राम्य विकास और सहकारिता आदि तमाम विभाग हैं जो किसान और उसकी खेती से सम्बन्धित हैं, उनके लिए आप एक कोआर्डिनेशन कमेटी बना दें और उसके अन्तर्गत आपको कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में आपके बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अवसर दिया कटौती के प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने का..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जल्दी करें, केवल पांच मिनट का समय है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

ज्यादा समय दीजिएगा, थोड़ा ख्याल रखियेगा, मान्यवर।

माननीय कृषि मंत्री जी जब पहले सरकार में राज्य मंत्री पी0 डब्लू0 डी0 थे तो हमारे जैसे लोगों का यह विश्वास था और यह कहते थे कि सरकार में यदि कोई मंत्री ऐसा है जिसकी कि विभाग के ऊपर पकड़ है तो वह आप हैं, पर आज जब वे कृषि विभाग के मंत्री हैं तो पता नहीं उनको क्या हो गया है, उमर का तकाजा है या क्या बात है, कृषि विभाग पर उनकी पकड़ नहीं रह गयी है।

मान्यवर, कृषि के विकास के लिये 3 चीजों की जरूरत होती हैं--बीज, फर्टीलाइजर, कीट नाशक औषधियां तथा विपणन की व्यवस्था। बीज के बारे में कई बार यहां सदन में चर्चा भी हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुकी है कि कितना खराब बीज किसानों में वितरित किया जा रहा है। अभी माननीय सदस्य, देवरिया ने भी अपनी बात कही। इस प्रदेश में गेहूं का जो बीज किसानों में वितरित हुआ वह बीज उगा ही नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। वह बीज की हालत यह है कि वह सड़ रहा है क्योंकि वह बिक नहीं सकता इसलिये कि खाने योग्य नहीं है, विषैला है, बोने योग्य है नहीं। आपने दिल्ली की एक ऐसी फर्म से उसे मंगाया है जो वास्तव में है ही नहीं, जो केवल कागज में है। आप इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच करा कर देख लें। जिस फर्म से मंगाया गया वह बीज का उत्पादन करता ही नहीं, उसके कोई फार्म है ही नहीं। आप इस बात का भी पता लगायें कि उस बीज को प्रमाणित किसने किया ? डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहां पूरे प्रदेश के अधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि यह बीज घुना हुआ है, बेकार है, सड़ा हुआ है और इसे न खरीदा जाये। किन्तु इसके बाद भी आपका एक वह अधिकारी हवाई जहाज से दिल्ली जाता है जिसे हवाई जहाज से जाने का अधिकार भी नहीं है और दिल्ली जाकर उस बीज की खरीद के आदेश देता है। आप क्यों नहीं एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत उसका चालान करते। उसके प्रोप्राइटर को आप क्यों नहीं बन्द करते ? आपने स्वयं स्वीकार किया है कि जो बीज दिया गया था उसका 40 परसेंट जर्मीनेशन हुआ है, शेष 60 फीसदी बीज सड़ गया। आज 20 हजार क्वीन्टल बीज आपके गोदामों में पड़ा सड़ रहा है, प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि उसका क्या होगा ? उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? वह न खाया जा सकता है, न बोया जा सकता है, केवल उसे जलाया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

अब मैं फर्टीलाइजर पर आता हूं। 1982-83 में आपने बताया कि हमने 16.7 लाख मैट्रिक टन खाद का वितरण किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने 11.4 लाख मैट्रिक टन लिया तो 16.7 वितरित कहां से कर दिया ? आपके आंकड़े फर्जी और झूठे हैं। इसके अलावा पूरे देश का खाद उत्पादन 40 लाख मैट्रिक टन है 1982-83 का, आप कहते हैं हमने 22 लाख मैट्रिक टन पैदा किया, यह भी सम्भव नहीं है। आपका विभाग आपको फर्जी आंकड़ों के जाल में फंसाना चाहता है।

जहां तक एडल्ट्रेशन का मामला है उस मामले में भी सरकार को चुस्ती के साथ कार्यवाही करना चाहिये। जो मैनुफेक्चरर्स हैं उनके यहां सरकार केवल इसी बात का पता लगा ले कि उन्होंने खाद उत्पादन के लिये आयातित वस्तुएं कितनी मंगायीं तथा कितने खाद का उत्पादन किया।

मान्यवर, आयातित वस्तु कम आयी है और उत्पादन कई गुना हो गया तो इससे स्पष्ट है कि एडल्ट्रेशन हुआ है, मिलावट की गयी है। इसकी भी आप जांच करा लें। मान्यवर, कृषि विभाग के हमारे कर्मचारी आज आतंकित हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष आइसो-प्रोटान नामक दवाई केवल 10 मी0 टन खर्च हुयी थी। तो 10 की जगह पर 20 या 50 मी0 टन मंगाते लेकिन 2840 मी0 टन मंगायी गयी है। मेरा आरोप है कि इस खरीद में बहुत बड़ी बंगलिंग की गयी है इसकी आप जांच करवा लें। मान्यवर, जो कंटीजेंसी का पैसा था वह लिया गया और जिला योजना में जो कृषि के लिये पैसा आवंटित था उससे पैसा लिया गया और 7 करोड़ रुपये की खरीद की गयी। आपको पता है कि 15 नवम्बर से गेहूं बोया जाता है, 30 दिसम्बर तक बोया जाता है। लेकिन यह खरीद जनवरी के बाद क्यों की गयी है। यह जो करोड़ों रुपये का वेस्टेज किया गया है यह किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है इसकी क्या

आवश्यकता थी । आपका विभाग कहता है कि गेहूं का मामा नामक रोग लगता है तो बुन्देलखंड में यह नहीं होता है तो उस इलाके में क्यों इसको सप्लाई किया गया ? इस दवा का उपयोग आप कहां करेंगे ? आपके पास इन्स्ट्रू-मेंट्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है तो इसका उपयोग आप कैसे करेंगे । आपने कहा कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंगवाया है तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा है प्राइवेट फर्म से खरीदा गया है । 5 करोड़ रुपये की दवाई अब भी पड़ी हुई है । जो इसका वितरण दिखाया गया है, वह फर्जी है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, यह जो आपके अधीनस्थ कृषि सेवा के कर्मचारी हैं यह अनशन कर रहे हैं । महीनों इनको अनशन करते हो गया है । अब वह आमरण अनशन पर हैं । तो उनकी मांगों पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी कठिनाइयों को दूर करें । आपका हार्टीकल्चर निदेशालय पहाड़ों पर था फिर उसको यहां पर कर दिया गया और जो अधिकारी रिटायर हो गया था उसको आपने वहां पर फिर सेवा में ले लिया । केन्द्र सरकार का निर्देश है कि किसी रिटायर कर्मचारी को सेवा में नहीं लिया जा सकता तो फिर आपने श्री तेवतिया को किस आधार पर सेवा में लिया है यह जवाब आपको देना चाहिये ।

मान्यवर, आखिर में मैं मंडी समिति के बारे में कहना चाहता हूं । मंडी समितियों के चुनाव नहीं कराये गये हैं । जनतांत्रिक प्रणाली नहीं रह गयी है । मैं अपने जिले की पड़तावल मंडी समिति के बारे में कहना चाहता हूं । वहां पर मंडी स्थल का चयन करके भूमि को अर्जित कर लिया गया और उसका भुगतान भी कर दिया गया । उस भूमि पर कब्जा भी हो गया था लेकिन अब राजनीतिक दबाव में उसको बदलकर 30 मि0 मी0 दूर महराजगंज में ले जाने की साजिश हो रही है । इसका वहां की जनता विरोध कर रही है । तो इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । मंडी समिति को वहां से न हटाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोहन सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, कोरम नहीं है । कोरम के बगैर चर्चा कराने से क्या फायदा ।

श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी की बात भी सुनी और माननीय मोहन सिंह जी ने जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने जो बातें कहीं उनको भी सुना । यह सौभाग्य की बात है कि मौसम अगर अच्छा है, तो इसके लिए भी माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मौसम बहुत अच्छा है और हमारी खेती भी बहुत अच्छी है । घाघ ने दो पंक्तियों में कहा है कि--

"पातर कृषि, बौरहा भाय,
घाघ कहें, दुःख कहां समाय ।

कमजोर खेती और बेवकूफ भाई हो जाय, तो इससे बड़ा दुःख संसार में कोई नहीं होता । मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की व्यवस्था से, हमारे माननीय मंत्री जी के प्रयत्न से हमारा कोई किसान दुःखी नहीं हो सकता । दलहन में अरहर की फसल अच्छी है, तिलहन की फसल अच्छी है और गेहूं तो मोछें ऐंठे खड़ा है और खलिहानों तक आ गया है । अभी दो दिन पहले

मौसम कुछ बिगड़ गया था, उसके मन में बेईमानी आ गयी थी, मौसम में कुछ बादल, बदली, बूंदा-बांदी हो गयी, लेकिन माननीय मंत्री जी की दूधिया मोछों की तरह, मौसम भी दूधिया हो गया, बढ़ियां मड़ाई का काम होने लगा और जब मौज की बात आ ही गयी है, तो गोपी नाथ वर्मा जी अक्सर बोल दिया करते हैं, तो बात इन पर भी सुना दूं। माननीय मोहन सिंह जी भी बैठे हैं और इनमें दोनों में बड़ा विरोधाभास रहता है।

"हे राम, जमाने में अब किसकी पूछ है, मोहन तो क्लीन सेव हैं, गोपी के मूछ है।"

श्री गोपी नाथ वर्मा--

इसीलिए दिल्ली दरबार में आपकी इज्जत है।

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

कृषि के बारे में मान्यवर, आलू की बात आई है, यह समस्या गम्भीर है कि आलू सड़कों पर पड़ा है। लेकिन इस प्रान्त में कभी गन्ना, कभी आलू की समस्या बन जाया करती है। तो इसके लिए कृषि विभाग की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जितनी जिसकी जोत हो, उसके हिसाब से उसे आलू, गन्ना बोने का परमिट दिया जाय, नहीं तो यह सारा फर्रुखाबाद आलू बो देगा और सारः देवरिया जिला गन्ना बो देगा। मान्यवर, जब कोल्ड स्टोरेज की क्षमता से बाहर आलू पैदा हो जायगा, तो इसके रखने में समस्या खड़ी होगी। इसके लिए या तो सीधी रेलवे लाइन नैनीताल तक बनवाई जाय और सारा आलू वहां रख दिया जाय, अन्यथा कोल्ड स्टोरेज बढ़वाये जायं। कृषि के तीन पक्ष हैं--अनाज, सब्जी एवं पशुपालन। यदि इन तीनों में कोई असंतुलित हो जायगा, तो कृषि की व्यवस्था बिगड़ जायगी और किसान सुखी नहीं हो सकते। सब्जी की हालत यह है कि मैं पूर्वी जिले की बात जानता हूं कि बड़े-बड़े किसान अपने घर के लिए प्रत्येक मौसमी सब्जी नहीं दे पाते पशुपालन में दूध मिलना तो दूर की बात है, सब्जी नहीं दे पाते।

पशुपालन की और दूध की बात छोड़ दीजिये। जब तक तीनों अंगों की ठीक व्यवस्था नहीं की जायेगी, तब तक किसान सुखी नहीं होगा। अब एक बात यह कही जाती है कि किसान की कीमत नहीं है, किसानों की इज्जत नहीं है। यह व्यवस्था हर घर से लागू होगी। एक परिवार में 4 भाई हैं। एक नौकरी करता है, एक व्यापार करता है, एक नेतागीरी करता है और एक कृषि करता है। नेता अपने घर में भी अच्छा खाता है और बाहर भी जाकर अच्छा खाता है लेकिन जो भाई किसान है, खेती करता है, वह सबसे खराब खाना खाता है, सबसे खराब कपड़ा पहनता है। घर में खेती करने वाले की स्थिति ठीक नहीं है। यदि किसान को महंगी मजदूरी दी जाय, उसके अनाज की कीमत दी जाय, उनकी आय बढ़ाई जाय, तभी इनकी इज्जत होगी। नेतागीरी करने वाला रिश्तेदारों में जाकर अच्छा खा आता है और घर में भी अच्छा खाता है। घर में काम करने वाला पड़ा रहता है। इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता--

बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता--

इन्होंने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

नोट :--[× × × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं किसान हूं, मैं खेत पर काम करता हूं। आप कह रहे हैं, कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। आप मुझे बाहर निकाल दीजिये।

*श्री मोहन सिंह--

आज कृषि विभाग से सम्बन्धित अनुदान की चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने इस पक्ष के और उस पक्ष में हिस्सा लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान बहुत उपयोगी सुझाव दिये और विभाग के बहुत से भ्रष्टाचार को, जिन पर किन्हीं कारणों से पर्दा पड़ा था, की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया। मैं अन्त में उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, जिसको ओझा जी और दूसरे साथियों ने कहा है। लेकिन जो खरपतवार नाशक दवाई की खरीद हुई और भारी धन की हानि हुई, उसके साथ-साथ जो बीज वितरण में गड़बड़ी हुई, तराई बीज निगम की विश्वसनीयता समाप्त हुई है और उसके साथ-साथ जिस मात्रा में तराई बीज निगम से बीज को खरीदा गया, उसका सही उपयोग नहीं हुआ जिसके कारण विभाग को लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ी, इस पर मन्त्री जी को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह गड़बड़ी क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है, भविष्य में ऐसी अप्रतिष्ठा विभाग की न हो, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। जहां तक किसानों की तरक्की का सवाल है, कुछ बुनियादी तरीके हैं, जिनको विभाग को करना पड़ेगा। कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनकी विशेष जिम्मेवारी उन्नतिशील बीज तैयार करना है, लेकिन जितना अपेक्षित था, उस मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया। और यही कारण है कि जिस अनुपात में तिलहन और दलहन का उत्पादन अपने प्रदेश में होना चाहिए वह नहीं हुआ। साग-सब्जी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मान्यवर, हर दो साल के अन्तराल के बाद गन्ने का प्रश्न पैदा होता है। दो साल के बाद गन्ना देश में इतना हो जाता है कि उसके विपणन की समस्या खड़ी हो जाती है। इसी तरह से आलू की समस्या पैदा हो जाती है। मान्यवर, अपने देश में पैदा होने वाली चीजें अपनी देश से क्या, प्रदेश से भी बाहर नहीं हो पाती हैं। मान्यवर, दुनिया में ऐसे बाजार हैं, कि बाहर साग-सब्जी भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। लेकिन अपने देश में जो खपत होती है, उसके अलावा जो आलू होता है वह सड़ने लगता है। अपने देश का आलू विदेशों में नहीं जा पा रहा है और टीका-टिप्पणी यह की जाती है कि फर्रुखाबाद का आलू स्वादिष्ट नहीं है। इसका आलू स्वादिष्ट कैसे हो इसके लिए आपके विभाग ने कोई शोध करने का प्रयास नहीं किया। साग सब्जी में लहसुन प्याज का भी बहुत महत्व है। उसकी खेती पर सबसे कम ध्यान आपके विभाग ने दिया है।

किसान की जो फसल है उसकी तरफ उसका रुझान पैदा किया जाए और तम्बाकू, लहसुन, प्याज, जूट, कपास ऐसी नन्हीं फसल हैं, इनकी तरफ भी उसका रुझान किया जाए। यह आर्थिक स्थिति सुधारने का अच्छा जरिया है। इससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। माननीय मन्त्री जी को अपने भाषण के दौरान इस बात पर एतराज था कि जिस किसान ने अप्रैल में अपना गेहूं कोल्डस्टोरेज में नहीं दिया, वह व्यापारी नहीं हो सकता है। आपको क्या एतराज है अगर किसान व्यापारी हो जाए। क्योंकि खेती ही इस देश की अर्थ व्यवस्था में आर्थिक योगदान देती रही है। हम अपने देश की आर्थिक स्थिति कृषि की तरक्की से ही सुधार सकते हैं क्योंकि आप भी स्वीकार करते हैं कि 80 फीसदी लोग खेती में लगे हुए हैं। तो अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो कृषि में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुधार लाना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ गैर जिम्मेदाराना घोषणायें शासन की तरफ से होती रही हैं। मैं चाहूंगा कि इनको बन्द किया जाए। मान्यवर, इस सदन में कहा गया। खेती का इन्श्योरेन्स होगा। फिर कहा गया कि कुछ जिलों में किया जाएगा, फिर कहा गया यह व्यवहारिक योजना नहीं है इसलिए इसको बन्द किया जाएगा।

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूंगा कि जो कृषि विद्यालय हैं जो शोध करते हैं उनको चुस्त और दुरुस्त कीजिए। जिससे किसान को अच्छा बीज मिल सके। हर क्षेत्र में अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। आपका विभाग कहता है कि वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण, खरीफ की फसल अच्छी नहीं हो पाई। तो इसमें शोध होना चाहिए। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां बाढ़ और वर्षा की बहुत समस्या है। जहां बर्फ जमी रहती है लेकिन फसल अच्छी होती है तो खरीफ की फसल अच्छी हो सके इसके बारे में आपका विभाग शोध करे। उसका बीज इतना प्रगतिशील कैसे हो सके, इसके बारे में भी आपका विभाग सोचे और उसके बाद अच्छे प्रगतिशील बीजों पर शोध कर सके तो मैं समझता हूं कि किसानों की ज्यादा अच्छी सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[3 बजकर 5 मिनट]

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने इस बजट पर अपने कुछ सुझाव रचनात्मक दिये। मान्यवर, कुछ आलोचनाएं होना तो स्वाभाविक है। मेरा विचार है कि उनसे कुछ ज्ञान मिलता है और हम सुधार की तरफ जा सकते हैं। कुछ सम्मानित सदस्यों ने काफी रचनात्मक सुझाव दिये। हमारे दिवाकर विक्रम सिंह जी और ऊदल जी ने अच्छे सुझाव दिये। उसके ऊपर पहले से ही हमारी सरकार कार्य कर रही है। उन पर हम और अधिक आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की तरफ हमारे सम्मानित सदस्य मोहन सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया। यह सही बात है कि जब तक ब्रीडर सीड हमारे पास इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा कि उसका फाउन्डेशन और प्रमाणित बीज पर्याप्त रूप से इस प्रदेश की आवश्यकता को पूरा कर सके, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो रखा गया है, या जैसा हरियाणा और पंजाब तरक्की कर रहे हैं, जैसा कि सम्मानित सदस्यों ने कहा है।

मान्यवर, इस बीच में आलोचनाओं में कहा गया है कि हम पंजाब से पीछे हैं, हरियाणा से पीछे हैं, तो इससे मैं इंकार नहीं करता कि हम पीछे हैं, लेकिन देखना यह है कि हम पहले से आगे हैं या नहीं। पहले से हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि पंजाब और हरियाणा की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां जो हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए सुझाव नहीं दिये गये हैं। मान्यवर, सम्भवतः उनके ऊपर माननीय सदस्यों द्वारा विचार नहीं किया जाता। कोई सम्मानित सदस्य बता सकते हैं कि पंजाब में पठार हैं या पहाड़ हैं या उत्तर प्रदेश में जितनी वाटर लागिंग की प्राब्लम है, उतनी पंजाब में है? आपका प्रदेश तो अपने आप में एक पूरा देश है। उन लोगों को तो केवल 12 जिलों का ही इंतेजाम करना पड़ता है। हरियाणा और पंजाब दोनों को केवल 12-12 जिलों को देखना पड़ता है। चंडीगढ़ से चले, पूरा पंजाब घूम लिये और शाम को फिर वापस चंडीगढ़ (हरियाणा) में आ गये। बहरहाल, मैं कह रहा था कि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिन पर सम्मानित सदस्यों ने विचार नहीं किया। मैं एक बात माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी को बहुत सूझबूझ के साथ अपने सुझाव रखने चाहिये। लेकिन मान्यवर, मेरे दोस्त हैं,

कुछ सठिया गये हैं। ऐसी आंतक से भरी बातें ले आते हैं कि ताज्जुब होता है। आपने सन् 1939-40 के आंकड़े पेश किये पदावार के। बहरहाल मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। सन् 1943-44 के बारे में क्राप कटिंग के आंकड़े नहीं जो इसमें दे दिये हैं। आई-आडजारवेशन के आकड़े हैं। उससे पहले देख लिया और अन्दाजा लगा लिया कि इतना-इतना था। अगर उस समय के चन्ने का क्षेत्रफल आपने देखा हो, यदि उसको भी सही मान लिया जाय, वैसे मैं उसको सही मानने को तैयार नहीं हूं, फिर भी 7·60 कुंतल प्रति हेक्टेयर एवरेज आता है और आज आपका 9·22 कुंतल प्रति हेक्टेयर आता है। बहरहाल हम बहुत आगे बढ़े हैं।

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने दो आंकड़ों को चैलेन्ज किया है। उन्होंने कहा है कि 45 लाख मैट्रिक टन कुंतल देश का गेहूं उत्पादन बढ़ा था और हमारे उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग कहता है कि उसमें 24-25 लाख मैट्रिक टन हमारा शेयर है, जबकि उस वर्ष कुल उपज में वृद्धि 20 लाख मैट्रिक टन बतलायी जाती है। मान्यवर, मैं इस आंकड़े को कुछ सुधार देना चाहता हूं। 1982-83 में खरीफ की फसल में 8 लाख मैट्रिक टन की कमी थी जो रबी में 28 लाख मैट्रिक टन की उपज करके बढ़ा ली गई। जिसमें 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 3 लाख मैट्रिक टन चना था। इस प्रकार यह वही हिसाब आ जाता है 20 लाख मैट्रिक टन और 25 लाख मैट्रिक टन हमारा गेहूं बढ़ा।

मान्यवर, दूसरे आंकड़े को चैलेन्ज किया गया और माननीय श्री ओझा जी ने भी वही कहा कि आपके पास 11 लाख मैट्रिक टन उर्वरक 31 जनवरी, 1983 तक उपलब्ध था तो अपने 14 लाख मैट्रिक टन उर्वरक कैसे तकसीम कर दिया। मान्यवर, हमारे पास साढ़े दस लाख मैट्रिक टन उर्वरक मौजूद था तमाम रिसोरसेज से और पूर्व का जो शेष था वह 4-5 लाख मैट्रिक टन था, इस प्रकार यह 15 लाख मैट्रिक टन के करीब हो जाता है, जिसमें से हमने 14 लाख मैट्रिक टन उर्वरक को तकसीम कर दिया। आंकड़ों में कोई धोखा-धड़ी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से आंकड़ों के बारे में कहना चाहता हूं कि गलत आंकड़ों से हमारे सामने परेशानियां ही आती हैं और इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने सब्जी और फलों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन्हें बतलाना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्रों में 57 करोड़ रुपये की योजना सब्जी, फलों के विकास उनके विपणन और उनके यातायात के लिए तैयार है और वह पाइप लाइन में है, इस वर्ष वह सम्भवतः चालू हो जायेगी। इसके अलावा हमारे कुछ साथियों ने आलोचना की। कुछ जो हमारी खाद की फैक्टिरियां हैं, उनके सम्बन्ध में कहा और एडलट्रेशन के बारे में कहा। मैंने कल ही अपने भाषण के दौरान साफ तौर से यह कह दिया था कि इस सम्बन्ध में हमें काफी शिकायतें मिली और हमने प्रयास भी किए, हमें उसमें सफलता भी मिली, हम अभी भी यह महसूस करते हैं कि उन पर अभी पूर्ण नियन्त्रण नहीं हो पाया है, फिर भी चाहे वह बड़ा व्यापारी हो या छोटा, अगर एडलट्रेशन करता है तो वह बच नहीं पायेगा। किसी के साथ कोई रू-रियायत का सवाल नहीं उठता है। कल मान्यवर, हमारे सम्मानित साथी सदस्य रियासत साहब फरमा रहे थे, मैं उनकी कद्र करता हूं, वह दोस्त भी हैं। वह फरमा रहे थे कि साहब आपने क्या किया? वैसे मान्यवर, मुझे बड़ा गर्व है यह कहते हुए कि वह सही तौर पर मुसलमान हैं। उनका मान्यवर, जो कहना था, उसके अनुसार मानता हूं कि रोजी का राजिक खुदा है, लेकिन मान्यवर, साथ ही साथ यह भी मानता

हूं कि खुदा जो है, वह मुसब्बिल असबाब भी है। और दुनया दारूल असबाब भी है। यहां पर हम जो करेंगे तो पायेंगे, नहीं तो नहीं पायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, कुछ नहीं तो जो दुआ मांगी है, यह दुआ भगवान ने मान ली, फसल अच्छी हुई।

श्री यशपाल सिंह—

बहरहाल, कुछ चने की मिनिकिट्स की शिकायत की गयी, कल मैं यह महसूस कर रहा था कि भाई रियासत साहब प्रभावित हैं कृषि विभाग के कार्यों से, लेकिन कुछ मजबूर हैं, क्योंकि मुखालफत उन्हें करनी ही करनी है। बहरहाल, कुछ खुश नहीं थे बोलते समय में ऐसा महसूस कर रहा था। आइसो-प्रोटीन के बारे में कल चर्चा आयी थी, आइसोप्रोटीन जो है, यह जो आपका गेहुंवा होता है, इसको खत्म करने के लिए, अक्सीर दवा है, इसके बेहतरी कोई दवा हमारी निगाह में नहीं है। लेकिन, उसके इस्तेमाल में बहुत सी जगह भूल हुई हैं, जहां पर उसका अधिक इस्तेमाल कर दिया, या जहां पर उसका देर से इस्तेमाल किया गया या जहां पर इस्तेमाल करने के बाद देर में पानी दिया गया, बहरहाल यह दो तीन चीजें थी, जिससे कहीं-कहीं दिक्कत हुई है। और मैं समझता हूं कि शुरू-शुरू में कुछ इस तरह का नुकसान फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में हुआ था, जैसे यूरिया का कहीं अधिक छिड़काव कर दिया, जिससे फसल चटक गयी। यह बातें चलती ही रहती हैं। खाद के बारे में मैं कल पूरी तरह से कह ही चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे? इसके बाद नियोजन विभाग का भी बजट है।

श्री यशपाल सिंह—

2-4 मिनट में मैं अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा।

कुछ आलू के बारे में बहुत चर्चा है, मैं भी मानता हूं कि इस महीने की पहली अप्रैल से 8 अप्रैल तक हमारे जो आलू के काश्तकार हैं, उनको कुछ कष्ट हुआ और मंदी का सामना करना पड़ा। लेकिन मान्यवर, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं हुई। मान्यवर, हमने जनवरी से लेकर के मार्च और अब तक पूरी तरह से बैगन्स का पूरा इन्तजाम किया। इस बात को देखते हुए भी कि नार्थ इस्टर्न रेलवे का वह मीटर गेज से ब्राड गेज में तबदील हो रहा है, इन तमाम चीजों के बावजूद भी, हमने रेलवे वैगन्स में कमी नहीं आने दी।

इसके अलावा कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमको शिकायत मिली कि कुछ कोल्ड स्टोरेज इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं व्यापारियों से मिलकर, तो उनके खिलाफ हमने ऐक्शन भी लिया और कोई परेशानी नहीं आने दी। लेकिन मौसम के ऊपर तो मान्यवर, किसी का वश नहीं है, वह तो बहुत मुश्किल है। मान्यवर, किसान की भावना तो चेंज करना बहुत मुश्किल है अगर किसान के दिल में यह आये, जैसा कि कल माननीय मोहन सिंह जी कह रहे थे कि किसान के दिमाग में आया कि ज्यादा मुनाफा ले लो, तो क्या बुराई है मैं भी कहता हूं कि कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई नहीं है, तो उसको फेस करने के लिये तो तैयार रहना चाहिये। अगर व्यापार करेंगे तो नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसमें कसूर उसका है, सरकार की तरफ से किसी इन्तजाम में कोई कमी नहीं है। सम्मानित सदस्य मोहन सिंह जी का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता था कि नेता विरोधी दल से मालूम कर लेते। उनके यहां जब आलू तैयार था, खरीदार उनके पास पहुंचा, मन्दी आयी थी, उसने 58/- रु0 प्रति क्वि0 मांगा तो बोले अभी तो और तेज होगा। इस तरह से काश्तकारों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके जमाने में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है और आलू के रेटस

बढ़े । वर्ष 77–78 और 78–79 के आंकड़े देखें । वर्ष 77–78 में 76–77 के मुकाबले भारी दाम गिरे और 78–79 में भी भारी दाम गिरे तथा आलू 27/– रु0 प्रति क्वि0 तक गिरा है ।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपने सभी सम्मानित सदस्यों का पुनः हृदय से आभार प्रगट करता हूं और जो सुझाव उन लोगों ने रचनात्मक दिये, पूरी तरह से उन पर विचार किया जायेगा तथा जो ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण किये जायेंगे । प्रदेश को सशक्त बनाने के लिये जो भी रचनात्मक सुझाव आयेंगे, हमेशा उनका स्वागत करूंगा ।

[3 बजकर 20 मिनट]

श्री सुरेन्द्र कपिल––

दारुलशफा से पहले दो तीन स्टाल लगे हुए हैं, वे अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के हैं । अभी दो व्यक्ति आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं । स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उसके बारे में भी कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गोपी नाथ वर्मा––

विधान भवन गेट के सामने अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा 7 फरवरी से ही प्रदर्शन चल रहा है । अभी 5 अप्रैल से आमरण अनशन चल रहा है, आठ सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं । वर्ष 1980 में उन मांगों को स्वीकार कर लिया था और आश्वासन दिया था कि कार्यवाही करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह––

इस अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों की मुख्य मांगें 7 हैं । वह हमारे साथ बैठे थे, मैंने कृषि सचिव को और उच्च अधिकारियों को भी बुलाया था और उनके रिप्रेजेन्टेटिव को भी बुलाया था, जो बातें तय हुई थीं, उनके अनुरूप कार्यवाही हो रही है । उनकी कुछ मांगें कार्मिक विभाग के और कुछ वित्त विभाग के विचाराधीन हैं, कुछ के लिये मन्त्रि परिषद् में जाना पड़ेगा । जो चिन्ता उनको अपने लिये है अगर हम उनकी चिन्ता को उस प्रकार नहीं मानते तो हमारा संरक्षण बेकार हो जाता है । इस वर्ष, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले बहुत वर्षों के उनके प्रोमोशन और दूसरी बातें जो पड़ी हुई थीं, वे पूरी हो रही हैं, जो कि इससे पहले नहीं हुई थीं । हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अधिक से अधिक उनके लिये चेष्टा करेंगे माननीय मोहन सिंह जी से यह निवेदन है कि वह अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री मोहन सिंह––

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय मोहन सिंह जी क्या अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह––

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9––कृषि (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,48,33,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,70,72,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,16,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,07,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, यह अनुदान स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की रक्षा और सम्मान के लिये अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, दिया जा रहा है । इनके त्याग की दौलत से आंका नहीं जा सकता है । संसार में ऐसी मिसाल इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती जहां कोई फौज मरने के इरादे से लड़ी हो । यह फौज केवल महात्मा गांधी के नेतृत्व में त्याग और बलिदान की अहिंसात्मक पद्धति द्वारा संघर्ष में जुटी । ऐसे सेनानियों की, मेरी यह सदैव इच्छा एवं कोशिश रही है कि देश में सम्मान हो और लोग यह महसूस करें कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुति देकर हमारे देश को गुलामी के कलंक से छुटकारा दिलाया है, सरकार सम्मान के रूप में उन्हें 125 रु० पेंशन दे रही थी परन्तु अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस धनराशि को बढ़ाकर 150 रु० कर दिया जाए, यह बढ़ोतरी बहुत कम है किन्तु इसके पीछे सम्मान की भावना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेम से अपना कर इस सेवा को स्वीकार करेंगे । और साथ ही साथ काफी इन श्रृंखलाओं के लोग बुड्ढे हो चुके हैं और अब उनके सामने पुत्रों और पुत्रियों के बाद पौत्रियों का दबाव है तो इसलिये उनकी शादियों के लिये उनको अनुदान उसी प्रकार से मिलेगा कि जैसे उनकी पुत्रियों की शादी के लिये मिला था ।

उनके सम्मान के प्रति हर जगह निर्देश दिये गये हैं और कहा गया है कि उन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु पर भी 500 रु० उसकी सम्मान-पूर्वक अन्त्येष्टि क्रिया करने के लिये दिये

जाते हैं कि उनको माल्यार्पण आदि करके जिलाधिकारी स्वयं जाकर काम करावे या वो खुद नहीं जा सकता है तो एस0 डी0 एम0 को जाना चाहिये ।

हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के जो सेनानी हैं और निराश्रित हैं, उनके लिये भी आश्रय देने की योजना बनायी गयी है और कुछ धनराशि देने की भी व्यवस्था की गयी है । फिर भी यह जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ही कम है । उनके त्याग और बलिदान के आगे यह कुछ भी नहीं है । उनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज हमको देश में राजनतिक शक्ति प्राप्त है । उनके त्याग और बलिदान की धरोहर राजनैतिक शक्ति जो है, उनके कार्यों से नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिये और उस प्रेरणा का देश की प्रगति में उपयोग किया जाना चाहिये । देश में भले ही विषमतायें हों परन्तु हमारी मंशा वही होनी चाहिये कि देश तरक्की करें और यहां पर समाजवाद की स्थापना हो । आज हम प्रतिबद्ध हैं उनके स्वप्नों को साकार करने के लिये, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिये, हम योजनाबद्ध तरीके से अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिये, यह विषमता की खाई को पाटने के लिये हम वचन-बद्ध हैं ।

योजना को पूरा करने के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है उन हालात को पैदा करने की जिसके सामने उनका कार्यान्वियन सफलतापूर्वक हो सके । एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो उनके कार्यान्वियन के लिये, उसमें विशेषज्ञों से सलाह ली जाय जिनके द्वारा उसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके ।

आज तक जितनी प्रगति के आंकड़े विभिन्न विभागों के सामने आये हैं उनमें चाहे नहरें बनायी गयी हों, चाहे इन्डस्ट्रीज लगायी गयी हों, सभी पर यहां आपको विचार करने का मौका मिला है और उससे हर प्रगति को योजनाबद्ध करने के लिये हम उनकी सहायता करते हैं । जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनकी राय लेकर, हम अपने अनुभव उनके सामने रखते हैं और उनको यथाशक्ति लागू करते हैं और जहां-जहां इनमें कठिनाइयां आती हैं, उनको हम दूर करने का भी यथाशक्ति प्रयास करते हैं ।

जब-जब कोशिश की गयी, हमेशा कुछ न कुछ जरूर सफलता मिली है । छठी पंचवर्षीय योजना में जितना धन पहले रखा गया था उससे इस वर्ष कुछ ज्यादा रखा गया है यानी कि 40 से लेकर 50 फी सदी तक धन उपलब्ध कराने का प्रतिबन्ध बढ़ा दिया गया है और इस तरह से दौलत को बढ़ा कर हमने यह कोशिश की है कि देश में समाजवाद की स्थापना हो सके, गरीबी दूर हो सके । साथ ही साथ शासन के सब विभागों पर अंकुश रखा हुआ है कि वे हर योजना पर विशेषज्ञों की राय लेकर, उसको इकट्ठा करके सारे कार्य को करें ।

इस समय वित्त मंत्री जी तो हैं नहीं, पर हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रयासों से नियोजन विभाग की धनराशि को बढ़ा कर 16·49 परसेन्ट किया है इससे मुझे उम्मीद है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूरा करके हम बीस सूत्रीय कार्यक्रम में जनता को और बेहतर जिन्दगी बसर करने के लिए सुविधा प्रदान कर सकेंगे । हम कोशिश करेंगे कि आपके दिशा निर्देशन में हम काम करें ताकि हम अपना अच्छी तरह से इसमें योगदान दे सकें ।

श्री मोहन सिंह--

मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी तकलीफ के बाद भी माननीय मंत्री जी ने नियोजन का बजट प्रस्तुत कर दिया ।

*श्री रामनारायण सिंह (एडवोकेट)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16,-गृह विभाग (राजनैतिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत की आजादी में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का योगदान सबसे बड़ा रहा है, लेकिन दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए हमने क्या किया है । यह बड़ा ही चिन्तनीय विषय है । मैं अपने जिले से ही शुरू करूंगा । 18 अगस्त, 1942 का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । डा0 शिव पूजन राय, शेरपुर के साथ 6 आदमी अमर शहीद हो गये थे, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप उन अमर शहीदों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए उनकी यादगार को मजबूत करने के लिए 35 वर्ष में कौन सा कदम उठाया है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी जानकारी है कि वह जब अमर शहीद हुए थे, तो स्वर्गीय नेहरू जी भी वहां पर पहुंचे थे, उनके गांव में गये थे और मैं आज इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उनकी छोटी सी संगमरमर की मूर्ति वहां पर बनी हुई है, किसी ने आज तक उस ओर ध्यान नहीं दिया है । माननीय मुख्य मंत्री जी राजीव गांधी के साथ वहां पर गये थे, लोगों ने यह मांग रखी थी कि उनकी स्मृति में कोई यादगार बनाया जाय । उस समय शुक्ला जी राजस्व मंत्री थे, वह भी गये थे उनसे भी यही मांग की गयी लेकिन मुझे दुख से साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने कह दिया कि वित्तीय साधनों का अभाव है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके लिए आपने क्या किया । मैं चाहता हूं कि मुहम्मदाबाद तहसील जिला गाजीपुर के शहीदों का स्मृतिगार बना दिया जाय । आज आप बात कर रहे हैं अमर शहीदों की, लेकिन उनको यादगार नहीं बना सके हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उनके सम्मान के लिए आपने स्वतन्त्रता कल्याण परिषद् की स्थापना की है । मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका राज्य अतिथि गृह है उसमें उनको रहने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है, कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आप नियोजन पर प्रकाश डालें ।

श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)--

मैं उस पर भी आता हूं, तो मैं कह रहा था कि आपने आजादी के लिए मरने वालों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों का रिकार्ड सही नहीं रखा गया है । उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा इतिहास तैयार नहीं कर पायी है कि जिसमें उनका सही आंकलन हो चाहे वह जीवित हों या मर गये हों । इसलिए मेरा सुझाव है कि उनका व्याख्यान माला तैयार की जाय । जो आप स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देते हैं, चाहे वह भारत सरकार की हो या प्रदेश सरकार की, उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया बड़ी लम्बी है, कितने ही ऐसे लोग हैं जो गांवों में रहते हैं, जो अनपढ़ हैं वे दिल्ली तक नहीं जा पाते हैं और उनको पेंशन नहीं मिल पाती है । हमारे यहां एक सुन्दर राजभर थे, जो सन् 42 में जेल में रहे, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में सरकार को लिखा, उनको ताम्रपत्र भी मिला था लेकिन पुलिस के द्वारा उसे छीन लिया तो यह इनकी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों

के प्रति वफादारी है। यह जो राजनीतिक पेंशन के सम्बन्ध में अनुदान है इसमें चाहूंगा कि जो लोग शहीद हुये हैं या जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया उनकी यादगार के लिए कोई ठोस कदम उठाये जायं।

माननीय मंत्री जी ने नियोजन के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं की, हमारे साथी चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ कहूं। तो मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार ने नियोजन के मामले में क्या किया उसका मूल्यांकन करना चाहता हूं। नियोजन से देश और प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने की डींग यह मारते हैं लेकिन जो आपने नियोजन किया है और जो बजट दिया है उससे पता लगता है कि आपकी कितनी आस्था नियोजन के लिए है। मान्यवर, देश के लिए अति-आवश्यक है ऐसा देश जो सदियों तक गुलाम रहा हो और अधिकांश जनता गरीबी की रेखा से नीचे हो उनकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए नियोजन एक प्रक्रिया है। आपने कहा कि पूज्य बापू के नेतृत्व में समाजवाद लाने के लिए, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए नियोजन का रास्ता अपनाया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब से हिन्दुस्तान से अंग्रेज गये, हमने विरासत में तीन चीजें पायीं। उनसे हमें बेरोजगारी मिली, व्यक्तिगत आय में भारी असमानता मिली थी और तीसरी चीज कठिन काम न करने की प्रवृत्ति मिली थी लेकिन बाद में उसमें एक चीज और बढ़ गयी राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी उसमें मिल गया।

आप पूज्य बापू का हवाला देते हैं लेकिन महात्मा गांधी जी ने देश की तरक्की कैसे होगी, उसका क्या तरीका होगा, क्या प्रक्रिया होगी यह बताया था। उन्होंने कहा था कि असली भारत गांव में रहता है, जिस देश की 82 फीसदी आबादी गांव में रहती हो और 18 फीसदी केवल शहरों में रहती हो तो उसके लिये तरक्की के लिये यह प्रक्रिया होनी चाहिये कि पहले गांवों की तरक्की की जाय। आप अपने को गांधी जी का अनुयायी कहते हैं। गांधी जी ने भारत के विकास के लिये, गांवों के विकास के लिये, नियोजन लागू हो उन्होंने नीचे से ऊपर उठाने की बात की थी लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह रहा कि यह जो उनके उत्तराधिकारी हैं उन्होंने उसके उल्टा रास्ता अख्तयार किया। नगरों के विकास के लिये और पूंजीपतियों के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बनायी बड़े उद्योगों के विकास की ओर धन लगाया गया। उसी आधार पर सारे हिन्दुस्तान की नियोजन प्रणाली विकसित की गयी है और आज भी है। इसका परिणाम है कि हिन्दुस्तान में जो गरीबी की भीषण खाई थी वह बढ़ती गयी, धनी और धनी होते गये तथा गरीब और गरीब होते गये। मान्यवर, किसी देश और राज्य की जनता के लिये तीन चीजें जैसे रोजी, रोटी और कपड़ा, जो आवश्यक हैं, उनको शासन अपनी जनता को दे सके लेकिन यह सरकार आज भी रोजी-रोटी और कपड़ा देने में असफल रही है।

मान्यवर, नियोजन विभाग में दो तीन चीजों की कमियां हैं। जैसे आप और हम मिलकर बजट को पास करते हैं उसका अधिकांश पैसा 25 से 31 मार्च को खर्च करते हैं, इससे एक गड़बड़ी होती है कि जो नियोजन में सारी प्लानिंग किया है, वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग होता है और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं होती है बल्कि कागजों में उपलब्धि होती है। इसलिये बजट का समय से न देना विभाग की लापरवाही से सारे नियोजन की प्रक्रिया कागज में रह जाती है और इस तरह सदियों तक हमारा देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है जब तक यह भ्रष्ट अधिकारी और योजना आयोग के लोग, गलत योजना बनाते रहेंगे और गलत मूल्यांकन करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ में पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों, जो सुझाव देंगे, के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है कि कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री भगवती सिंह विशारद--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजनीतिक पेंशन मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आप जानते ही हैं कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई के समय करोड़ों-करोड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया था। इन आजादी की दीवानों को उस समय सुराजी कहा जाता था। वह सब लोग जब आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए निकलते थे तो उनको और उनके परिवार वालों को यह भी आशा नहीं रहती थी कि वह लौटेंगे भी या नहीं और अगर लौटेंगे तो कब लौटेंगे। उनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज हमारा देश आजाद है। आजाद ही नहीं बल्कि संसार के उन देशों से अपनी प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है, जिन्होंने हमें परतन्त्र रखा था।

मैं अपने मन्त्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपया कर दी है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बढ़ोत्तरी बहुत कम की गई है, अतः उनसे अनुरोध है कि कम से कम यह पेंशन स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को 2 सौ रुपया मासिक मिलनी चाहिये। आशा है वह मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करने की अवश्य कृपा करेंगे। इनको केन्द्र और प्रान्त दोनों सरकारों से पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनको 6 माह की सजा न भुगतने के कारण केन्द्र सरकार की पेंशन नहीं मिलती है। तो मैं उनके लिए भी तीन सौ रुपया मासिक की केन्द्र सरकार की पेंशन के बराबर पेंशन देने की अपनी सरकार से मांग करता हूं। राजनीतिक पेंशन विभाग की ओर से उनकी पुत्रियों की शादी के लिए भी 3 हजार रुपया सहायता अनुदान देने का प्राविधान है, लेकिन जो वर्तमान नियमावली है, उसमें यह नियम अन्तर निहित है कि एक शादी होने के एक वर्ष पहले यदि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ने किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं प्राप्त किया है और इस वर्ष में भी किसी तरह का कोई अनुदान न ले, तभी उनको 3 हजार रुपये की सहायता दी जा सकती है। उसमें मैं यह संशोधन चाहता हूं कि पिछले वर्ष यदि उन्होंने किसी प्रकार का अनुदान लिया हो, चाहे बीमारी में लिया हो, तो उसको कम करके यह 3 हजार रुपये की धनराशि उनको निश्चित रूप से मिलनी चाहिये। मैं तो इसके आगे यह भी चाहता हूं कि जो पिछले वर्ष अनुदान दिया, उसको उस समय उसमें से कटौती न की जाये, बल्कि पूरे का पूरा 3 हजार रुपया उनकी पुत्रियों की शादी में सहायता के रूप में दिया जाये। उनको यह भी सुविधा है कि वह अपने जनपद में रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस सुविधा से उनको कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत से स्थान पर बसें ही नहीं हैं और उनको केवल अपने जनपद में ही मात्र आने जाने की सुविधा है।

इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस द्वारा निःशुल्क आने जाने की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। यदि इसे मानने में, ऐसे आदेश देने में उन्हें तत्काल कोई कठिनाई हो रही है, तो मैं समस्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की ओर से यह

प्रार्थना करूंगा कि वह उन्हें अपने जनपद से लखनऊ तक आने-जाने की तत्काल सुविधा प्रदान कर दें, क्योंकि उन्हें प्रायः अपने प्रयोजनों से, अनुदान कार्य से और राजनीतिक कार्यों से बराबर लखनऊ में आना पड़ता है। वह ऐसे आदेश तुरन्त लागू कराने की कृपा करें। इसके अलावा पेंशन पाने के लिए केन्द्र सरकार को जो प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं, उसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार से संस्तुति मांगती है कि इसको स्वतन्त्रता संग्राम को पेंशन मिलनी चाहिये या नहीं ? राज्य सरकार की ओर से यह संस्तुति भेजी जाती है, लेकिन इसको भेजने में यहां इतना विलम्ब हो जाता है कि काफी समय तक स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानियों को पेंशन नहीं मिल पाती है। इससे उनको जीवन-यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने विभाग को ऐसे निर्देश देने की कृपा करें ताकि उनके मामलों में अविलम्ब कार्यवाही वे किया करें।

राज्य सरकार ने जो यह निर्णय लिया है कि सन् 1857 से लेकर 1942 तक जितने भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए हैं उनके स्मारक बनाये जायेंगे, मैं इसके लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। राज्य न्याय मन्त्री जी की देख-रेख में 4-5 स्थानों पर यह स्मारक बनाये भी जा रहे हैं। यह बड़ा ही पवित्र काम है जिसकी घोषणा उन्होंने की है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये मेरा एक सुझाव यह भी है कि आप विभिन्न जिलों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की, विभिन्न दलों की, एक कमेटी बनायें जो उनकी समस्याओं पर विचार किया करे और सरकार को अपने सुझाव भी भेज दिया करे। मैं माननीय राजनैतिक पेंशन मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसके लिये एक ऐसी रूपरेखा तैयार करवायें जिससे कि हर जिले में इनकी एक मान्य परिषद् गठित हो सके।

एक दुख की बात यह है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का कोई सेवाओं का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको दूर करने के लिये हम उनका सहयोग ले सकते हैं और वे इस कार्य में सरकार की बहुत सेवा कर सकते हैं। समाज की सेवा कर सकते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं सामाजिक सुधार के कार्यों में उसका सहयोग लिया जाना चाहिये। इसके लिए भी मेरा सुझाव है कि आप हर जिले में इनकी एक कमेटी का निर्माण करें जो समाज सुधार के कार्यों को करें और उसके लिये अपने उपयोगी सुझाव भी समय-समय पर सरकार को दें।

राष्ट्रीय एकता का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी उनका अच्छा योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

एक और सुझाव देना चाहता हूं। बहुत सी सुविधायें इन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को दिये जाने की घोषणा तो सरकार ने कर दी है पर वास्तव में वह मिल नहीं रही है। इस चीज को भी सरकार को देखना चाहिये।

आई० आई० टी० में या अन्य स्थानों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को होस्टल में रहने की निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। आशा है मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे।

[3 बजकर 59 मिनट]

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियोजन क्या है ? अभी तक इसकी परिभाषा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिन्दुस्तान में नहीं है। माननीय मन्त्री जी भी उसके बारे में भ्रमित हैं और वे भी यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में नियोजन का उद्देश्य क्या है, वह है क्या ? जब सरकार को नियोजन के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है तो वे कार्य इस दिशा में क्या करेंगे ? मैं नियोजन की परिभाषा अपनी दृष्टि से दे रहा हूं, माननीय मन्त्री जी अगर उससे सहमत हों तो उसे स्वीकार करें, अन्यथा अस्वीकार कर दें। मेरे हिसाब से नियोजन है---प्रदेश या देश में प्राप्त साधनों को सामान्य जनता की तरक्की में लगाना और सम्भाव्य साधनों के विदोहन के प्रयत्न का नाम योजना है।

अब जो हमारे प्रदेश में साधन हैं, प्राप्त हैं, मौजूद हैं उन साधनों का नियोजन अगर हम सामान्य जनता की तरक्की के लिये करते हैं तब तो वह योजना है और अगर जो साधन प्राप्त हैं उनका मनमाने ढंग से शोषण किया जाता है तो यह योजना नहीं है वह पांच साला बजट है। कोई आदमी एक साल का बजट बनाता है कोई आदमी 5 साल का बजट बनाता है कि हम इतना खर्च करेंगे तो यह योजना नहीं है। आपकी यह जो नियोजन विभाग है यह बिल्कुल उद्देश्यहीन है, निरर्थक है और जनता पर बोझ है। क्योंकि उसे यह पता नहीं है कि उसको क्या करना है। तो मान्यवर, जो परिभाषा है, जो प्रदेश के प्राप्य साधन हैं उन साधनों का दोहन सामान्य जनता की तरक्की के लिये किया जाय तो उसका नाम योजना है। अगर इस कसौटी पर कसें, हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है, जन संकुल प्रदेश है, जन संकुल प्रदेश होने के नाते इसकी अधिक जनसंख्या गांवों में बसती है। 1 लाख, 12 हजार 524 गांव हैं। सैकड़ों जनता इन्हीं गांवों में बसती है। करीब 20 सैकड़ा जनता म्युनिसिपैलीटीज शहरों में बसती है। तो 80 सैकड़ा जनता जो गांवों में रहती है वह सामान्य हुई और यह सरकार बता दे कि वह इस 80 सकड़ा पर कितना खर्च कर रही है, सामान्य जनता की तरक्की के लिये कितना खर्च कर रही है तो पता लगेगा कि यह नियोजन है।

अब नियोजन तो है नहीं। सारी तरक्की की जो बात होती है वह शहरों के परिप्रेक्ष्य में है। सड़कें शहरों में बनती हैं, सारे काम शहरों में करेंगे और शहरों में भी उस जगह पर करेंगे जहां पर अमीर लोग रहते हैं। जहां पर गरीब लोग रहते हैं उनके मोहल्लों में चले जायं तो सड़क ठीक नहीं मिलेगी, आवागमन के साधन ठीक नहीं मिलेंगे। बिजली का टैक्स लिया जाता होगा लेकिन बिजली नहीं मिलती होगी। नल नहीं होंगे तो जब सामान्य जनता की यह दुर्दशा है तो उसका नाम बेकार लिया जाता है। उसके जीवन को ऊपर उठाने का कोई कार्य नहीं किया जाता तो फिर यह कैसा नियोजन है ?

मान्यवर, देहात के लोगों को देखें। जो गांव में बसते हैं उनके लिये कोई कार्यक्रम नहीं है। गांव की सामान्य जनता के जीवन-यापन के लिये 6 मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। जब तक इनकी पूर्ति नहीं होगी तब तक सामान्य जनजीवन नहीं सुधरेगा। सबसे पहली चीज है रोजी। दूसरी रोटी। तीसरी चीज है कपड़ा। चौथी चीज है मकान और पांचवे नम्बर पर है पढ़ाई तथा छठीं आवश्यकता है दवाई। तो इन 6 मूलभूत चीजों की आवश्यकता मनुष्य के लिये होती है। इनमें से पूर्ति किस हिसाब से की है उसको इतने छोटे समय में हम नहीं बता पायेंगे। लेकिन एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा।

मान्यवर, खेती की उन्नति से सब जुड़े हैं। अगर कृषि उत्पादन बढ़ता है, प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ती है, जो छोटे किसान हैं उनकी जो बड़े फार्म हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटे किसान हैं अगर उनकी उत्पादन बढ़ता तो उसका परिणाम निकलता और

सामान्य लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठा होता। मजदूर को रोजी मिलती और किसान को रोटी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, अंग्रेज के राज्य में जब हम गुलाम थे तब हमने विदेशों से अन्न मंगाकर कभी नहीं खाया लेकिन जबसे स्वतन्त्रता आयी है तबसे हम बाहर से अन्न मंगाकर खा रहे हैं। इतने परावलम्बी हो गये हैं कि शर्म आती है कि जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वही आज परावलम्बियों का समूह है। यही स्थिति इस सूबे में है। तो इस स्थिति का कोई कारण होना चाहिये।

मैंने सदन में कई बार कहा है शुगर काम्पलेक्स के बारे में। अगर आप उसको लगा लें तो 1 लाख परिवार नौकरी में लग सकते हैं और अरबों की सम्पत्ति खड़ी हो सकती है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। शुगर काम्पलेक्स की 7वीं योजना में भी चर्चा नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्या कहूं। खेती के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन खेती के लिये, पैदावार बढ़ाने के लिये सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है। चाहे जितनी अच्छी खाद डालें या बीज डालें जैसे कागज और कलम से भाग्यलिपि तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक स्याही न हो तो उसी तरह से खेती के लिये सिंचाई आवश्यक है। मान्यवर, सिंचाई की क्या हालत है, सोचने का क्रम ही गलत है। माननीय ऊर्जा मन्त्री जी विराजमान हैं। उन्होंने साढ़े 22 रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया तर्क इनका यह था कि बिजली में हमको घाटा पड़ रहा है। तो यह है इनका चिन्तन, साधनों का जितना अधिक इस्तेमाल उत्पादन में होगा, उतना ही उत्पादन अधिक बढ़ेगा। जब किसानों के खेतों की पैदावार बढ़ेगी, तो मजदूर की मजदूरी भी बढ़ेगी और इस तरह से सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठता चला जायेगा। अगर साधन ही नहीं उपलब्ध होते हैं, तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? उदाहरण के लिए 250 एकड़ से बड़े अमेरिका के किसानों को, 50 एकड़ के पश्चिमी जर्मनी के किसानों को और सवा 6 एकड़ तक के सीलिंग वाले जापान के किसानों को खेती के काम के लिए डीजल आज भी 40 पैसे लीटर दिया जा रहा है, जब कि यहां उसका भाव साढ़े 3 रुपया किसानों के लिए है।

अब आप जिटर ट्रैक्टर को ले लीजिए, जिसकी आज कास्ट प्राइस 15 हजार रुपया है, जो 75-80 हजार में किसानों को मिलता है। भला इतने महंगे पर कौन किसान ट्रैक्टर खरीद कर लाभ उठा सकता है? तो खेती में जितनी साधन रूप में प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं, जैसे यन्त्र, बीज, खाद, पानी और कीटनाशक दवाइयां, जब तक ये कर रहित दामों पर किसानों को नहीं मिलेंगी तब तक खेती की पैदावार बढ़ना असम्भव होगा। यहां कर भार के कारण खेती में साधन रूप में प्रयुक्त होने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पंजाब को ले लें। पंजाब और उत्तर प्रदेश में भूमि की समानता है यानी दोनों में एक सी भूमि है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पंजाब से पानी अधिक बरसता है। यह उत्तर प्रदेश में कुदरत की देन है। फिर भी पंजाब खेती की चीजों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश से बहुत आगे है, जिसका कारण मैं आपको इस एक डिस्पैच से बताने की कोशिश करूंगा, जो टाइम्स आफ इन्डिया में 3 मार्च को निकला है:

"पटियाला 2 मार्च, पंजाब राज्य विद्युत परिषद् कृषि क्षेत्र से निःशुल्क बिजली देने के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। ऐसा परिषद् के प्रशासनिक सदस्य श्री बरार ने बताया।"

उन्होंने कल बताया कि विद्युत परिषद् कृषि क्षेत्र से 30 करोड़ रुपये की आमदनी कर रहा है, जो साढ़े 3 लाख नलकूपों को 80 से 1 करोड़ यूनिट बिजली नियोजित दे रहा है।

यदि राज्य सरकार एग्रिकल्चर मारकेटिंग बोर्ड द्वारा लगाये गये सेस का एक प्रतिशत विद्युत परिषद् को स्थानांतरित करने को राजी हो जाती है, तो कृषि को बिजली मुफ्त दी जा सकेगी,

क्योंकि यह सेस 30 करोड़ होगा। मान्यवर, पंजाब के सोचने का तरीका किसानों के हित में है, जब बिजली मुफ्त मिलेगी, तब किसान ज्यादा से ज्यादा देर तक नलकूप चला कर अधिक से अधिक भूमि सींचेगा, जिससे अधिक पैदावार होगी। इस प्रकार पंजाब की पैदावार का रहस्य वहां का यह चिन्तन है, जिसमें वहां किसानों को खेती के साधन रूप में प्रयुक्त होने वाली चीजों को सस्ते से सस्ते दामों में किसानों को देने का सरकारी प्रयत्न है। मान्यवर, साढ़े 3 लाख बिजली के कनेक्शन उत्तर प्रदेश में हैं और साढ़े 3 लाख पंजाब में हैं, जिसका क्षेत्रफल 50 हजार वर्ग किलो मीटर है और उत्तर प्रदेश का 3 लाख वर्ग किलो मीटर के लगभग है यानी पंजाब उत्तर प्रदेश का छठवां हिस्सा है, फिर पंजाब में बिजली कम से कम 15 घंटे खेती को मिलती है और यहां तीन घंटे मिलना भी मुश्किल है।

इस प्रकार पंजाब के नलकूपों की संख्या 5 गुनी उत्तर प्रदेश से अधिक हो जाती है। पंजाब में अधिक पैदावार का कारण माननीय कृषि मंत्री ने अभी हाल में यह बताया कि पंजाब में पठार नहीं है और उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भूमि है। यह बिलकुल भ्रमकारी बात है, उत्तर प्रदेश और पंजाब की भूमि गंगा और सिन्धु की लायी हुई मिट्टी से बनी है जो एक सी उपज देने वाली है, तब पंजाब के अधिक पैदावार का रहस्य, उसको किसानों को अधिक साधन सस्ते दामों में देने का कारण है, न कि पठारी जमीन पंजाब में, तो सिंचाई के लिए निःशुल्क करने की बात सोच लें और हम बिजली पर कर भार डेढ़ा कर चुके हैं, जबकि पंजाब ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसानों को सस्ते साधन खेती के लिए देने पर पैदावार में वृद्धि निश्चय रूप में होती है। जब पैदावार में वृद्धि होगी, तो रोजी भी बढ़ेगी और रोटी भी सहज से उपलब्ध हो सकेगी। जब पैदावार पर टैक्स लगेगा, उससे सरकारी करों की क्षति पूर्ति हो जायेगी। परन्तु यहां की सरकार किसानों को पैदावार नहीं बढ़ने देना चाहती, क्योंकि वह जानती है कि यदि किसान खुशहाल हो गये, तो शहरी लोगों से हट कर वह शासन पर कब्जा करेंगे। मान्यवर, इनका यह हाल है कि मुर्गी का अंडा रोज लेना इन्हें पसन्द नहीं है। ये तो मुर्गी को मार कर खा जाना चाहते हैं, चाहे अंडा बिलकुल न मिले। जब मुर्गी ही नहीं रहेगी, तो अंडा कहां से पैदा होगा। यदि बिजली फ्री हो जायगी, तो किसान के लगे मीटर को देखने और उस पर खर्च करना बच जायगा और किसान ज्यादा से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक फायदा भी उठायेगा और उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। पंजाब में सेस से 30 करोड़ रुपया आयेगा, जिसमें मारकेटिंग आफिसर्स लगे हुए हैं। हमारे यहां भी खेती की चीजों पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। उसकी आमदनी से बिजली का खर्च आसानी से निकल सकता है। पंजाब में 30 करोड़ रुपया बिजली से आ रहा है और एक परसेंट सेस स्थानान्तरित होने पर 30 करोड़ रुपया आ जायगा। इससे अन्धाधुंध बिजली का उपयोग किसान करेंगे और पैदावार भी बेतहाशा बढ़ेगी।

पंजाब का चिंतन है, संसाधनों को सस्ता उपलब्ध कराना और यह संसाधनों पर टैक्स लगा देते हैं, ताकि किसान सम्पन्न न होने पावें। शहरी लोग शासन पर छाये हुये हैं। किसान आदमी अगर खुशहाल हो गया, तो उसके अन्दर राजनीतिक भावना जागेगी और वह भी चुनाव में आ जायेगा। चूंकि 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है, इसलिए शासन उनके हाथ में होगा। न तो इस सरकार को अकल है और न यह चिंतन करना चाहती है। जैसा मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कहा था, वैसे ही नियोजन के क्षेत्र में एक परिभाषा कर दें। अगर दुष्टों का नियोजन कर दें, तो विनाश हो जायेगा और साधुओं का नियोजन कर

तो विकास हो जायेगा । इनका नियोजन इस प्रकार का है कि जो सम्पन्न है, खुशहाल है, वह और सम्पन्न होता जाय और जो गरीब है, वह और गरीब होता जाय । सूबे का आंकड़ा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जब अंग्रेज यहां से गये थे तो 2 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले देश में थे और आज 42 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले हैं । यह इनके नियोजन का परिणाम है ।

35 साल की छठीं पंचवर्षीय योजना का परिणाम है कि 59.6 सैकड़ा आदमी गरीबी की रेखा से नीचे जी रहा है । जो 24 घंटे में अपने परिवार का एक बार भी भर पेट भोजन न दे सके, वह गरीबी की रेखा से नीचे है और जो 24 घंटे में एक बार भर पेट भोजन देता है, वह गरीब है और जिसको जब भूख लगे, तब खाना मिल जाय, वह सम्पन्न है । गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 59.6 प्रतिशत है । यह कहते हैं कि हमारी पैदावार बढ़ गई । मैं कहता हूं कि लोगों में अनाज खरीदने की ताकत ही नहीं है । आपका नियोजन ऐसा है कि वह दुष्टों के साथ चला गया है । जो सम्पन्न है, उसकी सम्पन्नता बढ़ती जा रही है और जो गरीब है, उसकी गरीबी बढ़ती जा रही है । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बजट का घोर विरोध करता हूं ।

*प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि नियोजन मंत्री द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग राजनैतिक पेंशन और नियोजन विभाग के लिए, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मुझे कुछ विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, यह इस प्रदेश की सरकार का अत्यन्त सराहनीय कदम था कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो पेन्शन थी 125 रुपये उसको बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया । आप जानते हैं कि यह कांग्रेस शासन जिसने इस प्रदेश और देश के स्वतंत्रता संग्राम में, जिन्होंने देश के लिये, जो कुछ किया, उनके सम्मान के लिए जिलों में बसों की सुविधा परिवहन विभाग के द्वारा प्रदान की है । मैं विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ बात कहना चाहता हूं । विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत, जो जिला योजनायें बनी है, प्रदेश सरकार ने ऐसा अवसर दिया कि हम जनप्रतिनिधि अपने जिले की समस्याओं पर विचार करके, जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के लिए संसाधन को देखते हुये योजना बनाकर, उनको क्रियान्वित करायें । लेकिन इसमें एक परेशानी यह उत्पन्न हो गयी है कि जिला योजना में जो बजट बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष वह 7-8 प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन जो कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन है, उसका मूल्य 15 प्रतिशत बढ़ रहा है । इसलिए प्रत्येक वर्ष जब बजट जमीन पर पहुंचता है, तो वहां जो काम होता है, वह पिछले वर्ष से कम होता है । तो मेरा निवेदन है कि मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जिला योजना का जो बजट दिया जाए, उसमें इस बात को अवश्य ध्यान रखा जाए ।

मान्यवर, आप जानते हैं प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका बुन्देलखंड है और बुन्देलखंड में नियोजन की विशेष आवश्यकता है । उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप विशेष धन का आबंटन करें और विशेष योजनाएं बनायें । मुझे बड़ी खुशी है कि वहां के जनप्रतिनिधियों की यह जो मांग चली आ रही है कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पर्वतीय विकास परिषद् बनाया है उसी तरह से बुन्देलखंड परिषद् का गठन किया जाए । मान्यवर, 1980-81 में बुन्देलखंड विकास परिषद् का गठन किया गया और 20 करोड़ धन इसको दिलाया जाएगा यह कहा गया । लेकिन मान्यवर, एक करोड़ धन इसको दिलाया गया मेरी मांग है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस बजट का जो अवशेष धन है उसको दिया जाए।

इसको गतिशील बनाया जाए। मान्यवर, सभी पश्चिमी क्षेत्र में सभी पर्वतीय इलाकों और पूर्वी इलाको की प्रतिव्यक्ति आय की जानकारी है। लेकिन मान्यवर, बुन्देलखंड का जो इलाका है। पिछले तीन सालों से मैंने कोशिश की है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, यह मालूम हो, लेकिन इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, मुझे आशा है कि नियोजन विभाग इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

(इस समय 4 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

केन्द्रीय सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाने पर विचार करने जा रही है। यह अपना जो प्रदेश है इसके बारह जिले डकैतग्रस्त क्षेत्र हैं। मेरा सुझाव है इन डकैतग्रस्त क्षेत्रों के लिए इसके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमारे नियोजन विभाग के द्वारा मास्टर प्लान बनाया जाए और इसको बनाकर केन्द्र सरकार के पास भेजा जाए। उनसे मांग की जाए कि इसके विकास के लिए विशेष धन उपलब्ध कराया जाए। इन शब्दों के साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बिद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि टेहरी गढ़वाल जिले को भारत के अन्य भागों के साथ आजादी नहीं मिली थी। यह इतिहास है 11 जनवरी, 1948 को अलकनन्दा के तट पर कीर्तिनगर ....में, कांग्रेस जो उस समय प्रजामंडल थी, और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामंतशाही के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ी थी। उसमें नागेन्द्र सकलानी शहीद हुए थे। बहुत से लोगों के चोटें आयी थीं। बहुत से घर तबाह हुए थे। मान्यवर, पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि टेहरी की जेल में सबसे ज्यादा क्रूरतम व्यवहार हुआ है। 84 दिन शहीद श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन करके नया कीर्तिमान स्थापित किया था और वह शहीद हुए थे।

मुझे दुःख होता है मान्यवर, कुछ दिन पहले मैं एक गांव गया था। यह गांव है बासीभरदार। वहां मुझे एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मिला। उसको राजा की फौज की गोली लगी थी उसका नाम तेजसिंह है चोटें हैं, जीवित हैं, चलने-फिरने की ताकत नहीं हैं। उनको बहुत लम्बे समय के बाद पेंशन मिली 15 रुपये माहवार। अब बमुश्किल तमाम 100 रुपये माहवार मिले। उसके लिए इतना पैदल चलना पड़ता है, वह भी उस रास्ते से, जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। मैं वहां जाना चाहता हूं तो सोचना पड़ता है कि किस प्रकार पहुंचा जाय। जबकि जवान हूं। उसके लिए उन्होंने प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई, श्रीमती इन्दिरा गांधी और मुख्य मंत्री को पत्र लिखे और मैंने भी जिलाधिकारी को लिखा, उनकी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि उनको पेंशन डाक से भेज दी जाय। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको जितनी पेंशन मिलती है उसका 80 प्रतिशत आने जाने में खर्च हो जाता है। एक उदाहरण श्री तेज सिंह का पेश कर रहा हूं। श्री देवीदत्त तिवारी, कुमायूं कम्युनिस्ट पार्टी के साथी थे, कीर्तिनगर में उनके भी चोट लगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी बहुत बुरी हालत में मृत्यु हो गयी। उनका परिवार दर-दर भटक रहा है और उसको कोई सहारा नहीं मिल पाया। अनेकों इस तरह के लोग हैं।

टिहरी गढ़वाल रियासत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची अपूर्ण है। अनेकों लोग थे जो राजा के जमाने में जेल में थे। बाद में मांफी मांग का

चले आये। उसके बाद जेल का रिकार्ड गायब कर दिया गया। आज थाने में, अदालत में कोई रिकार्ड नहीं है। हमेशा मनगढ़न्त कागजात बना लिए और अब उनका ही आधार बनाया जाता है। जो सूची है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वहां पर उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, मैंने मुख्य मंत्री जी को लिख कर भी दिया, लेकिन उनको देने का मतलब यह है कि कागज गायब हो जाय, हमेशा के लिये। तो मैं निवेदन करूंगा कि टिहरी गढ़वाल रियासत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची को पुनः तैयार किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से एक रुपया माहवार पेंशन से काट लेते हैं। कहा गया है कि भवन बनाकर दिये जायेंगे। तो मान्यवर, वे लोग तो अब गोमती नदी के तट पर पहुंच रहे हैं, हर शहर के सेननी नदी के तट पर पहुंच रहे हैं और सबको बहुत कम दिन जीवित रहना है। अगर इस गति से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भवन बनायेंगे तो भी नहीं बना पायेंगे। आप उनका पैसा किसी बैंक में रख देते तो उनका सूद मिलता।

मेरी आपसे बिनती है कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने आखिरी दिनों में यह महसूस होने दीजिये कि उन्होंने जो अपना जीवन निछावर किया था तो आज देश का सामान्य नागरिक उनकी इज्जत कर रहा है। आपकी चिकित्सा सुविधायें इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अधिकारपूर्वक मिलें, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। उनको डाक्टरों के पास जाकर गिड़गिड़ाना न पड़े। उन्होंने स्वाभिमान से सारा जीवन न्योछावर किया है, उनको इस तरह गिड़गिड़ाना न पड़े वे दर-दर ठोकरें न खायें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो जाती है जो अधिकारी कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। आप उनको अंतिम समय में तो राजकीय सम्मान दे दें लेकिन वह सम्मान भी उनको नहीं मिल रहा है।

आपकी जो योजनायें हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा कि योजनाओं का मतलब होता है, अराजकता का विरोध करना, उसके खिलाफ लड़ना। आप टिहरी में एक बांध बना रहे हैं। यहां सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि हमने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वर्ल्ड बैंक से उसके लिए पैसा लें। केन्द्रीय सरकार ने उस टिहरी बांध को अपने हाथ में लेने से इन्कार कर दिया। आपने उस पर एक अरब रुपया खर्च कर दिया, सरकार इस साल उसके लिए सिर्फ 18 करोड़ रुपया लिया है तो टिहरी में आप बांध बनाना चाहते हैं या दूसरे काम करना चाहते हैं आपको एक अन्तिम निश्चय करना पड़ेगा और तदनुसार योजना बनानी पड़ेगी। इसके बारे में आपकी दिशा कतई स्पष्ट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके नियोजन के अन्तर्गत अराजकता आ गयी है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। गांवों के प्रधानों से भी पूछा जाना चाहिए कि उनके गांव में कौन-सी योजनायें बनायी जानी चाहिये। अधिकारी और कर्मचारी योजनायें बनाते हैं और उनकी योजनाओं पर हम जन-प्रतिनिधियों को यहां पर 5 मिनट बोलने का अवसर मिलता है। मेरा कहना है कि यह नियोजन का तरीका बिल्कुल गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जंग बहादुर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, गाजीपुर ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके विरोध में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन और नियोजन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी कह रहे थे कि अंग्रेजों के जमाने में अनाज बाहर से नहीं मंगाना पड़ता था। उनको मालूम होना चाहिये कि उस समय हमारे देश की जनसंख्या केवल

35 करोड़ थी जो आज बढ़कर 70 करोड़ हो गई है। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था और उसमें 4 लाख लोग भूख से मर गये थे। आज जिस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। विकास की योजनायें चल रही हैं और जो प्रगति हो रही है कहीं पर भी और किसी तरह से भी अन्न के अभाव में आदमी भूखा नहीं मर रहा है। जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि 30 महीने के लिए आपकी सरकार अर्थात् जनता सरकार आयी थी और उसमें माननीय श्री वर्मा जी आप भी मंत्री रहे थे। उस समय हमारी जो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास योजनायें स्थगित कर दी गई। चाहे वह योजना उद्योग, शिक्षा, सड़कें, भूमि आवंटन, हरिजन आवास, पेयजल, चाहे छोटे किसानों को पम्पसेट उपलब्ध करने की हो और चाहे शिक्षा की हो, सम्पर्क मार्गों की हो, इन सारी योजनाओं को जनता सरकार ने अपने 30 महीने के कार्यकाल के दौरान रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता शासन के 30 महीने के अन्तर्गत कितने स्कूल्स बनाये गये, कितने सम्पर्क मार्ग बनाये गये, कितने बुनकरों की सहायता की गयी और कितने गोबर गैस प्लान्ट लगाये गये और कितने तालाबों की सफाई की गयी? जनहित की विकास योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था। एक प्रकार से वह हनीमून मनाने की सरकार थी, जो 30 महीने में हनीमून मन कर चली गयी।

मान्यवर, अभी कहा जा रहा था कि सारा धन शहरों में खर्च हो रहा है, मान्यवर मैं देहात से आता हूं, ऐसा महसूस होता है कि माननीय सदस्य देहात नहीं गये, आज देहातों में सैकड़ों योजनायें चलाई जा रही हैं। सम्पर्क मार्ग बनाये हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं, हरिजनों के लिए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसे प्रकार हमारी योजनायें उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की हैं वे गरीबों को कितना लाभ पहुंचा सकती है, को इस दृष्टिकोण में रखकर बनायी गयी है। यह कहना कि सारा पैसा शहरों पर खर्च किया जा रहा है माननीय सदस्य का एक भ्रम है। जनता सरकार में आपने मैनीफिस्टों में वायदा किया था कि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य देंगे। परन्तु उनके शासन में गेहूं, कपास, तम्बाकू, गन्ना के मूल्य गिर गये, यहां तक कि किसानों को अपना गन्ना खेतों में जलाना पड़ा। यह कहना कि आप लोग योजनायें ठीक ढंग से नहीं बना रहे हैं, मात्र एक दिशा भ्रम है। माननीय नौटियाल साहब ने कहा कि टेहरी को देश की आजादी के साथ आजादी नहीं मिली मान्यवर, मैं कहता हूं कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, जो मानसिक दृष्टि से आज भी अपने को परतन्त्र समझते हैं

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, टिहरी की रियासत की जानकारी अगर न मालूम हो, तो गलत नहीं कहना चाहिए टिहरी की आजादी 12 जनवरी, 1948 को हुई

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नौटियाल साहब बीच में व्यवधान न डालें माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

यह पूरे उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं

श्री जग बहादुर--

देश और प्रदेश की बात कह रहा हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक दृष्टि से आज भी गुलाम हैं शक्ल से जरूर काले हैं, लेकिन जो उनके कार्य कलाप हैं, वह अंग्रेजों ही जैसे हैं मान्यवर,

देश हमारा आजाद है, जिस समय हमें आजादी हासिल हुई थी, उस समय देश की क्या स्थिति थी ? एक सुई भी यहां नहीं बनती थी, लेकिन आज सुई क्या तमाम बड़े-बड़े कल कारखाने देश में स्थापित हो गये हैं, बिजली का देश में बड़ा उत्पादन हो रहा है तमाम विकास के कार्यों को देखने से प्रतीत हो रहा है कि हम प्रगति के रास्ते पर निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं ।

मान्यवर, इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, राजनीतिक पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, कितने बच्चे अनाथ हो गये, कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गयीं । इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, कभी कल्पना भी न की थी कि अपने जीवन में आजादी देखेंगे उसके बाद देश आजाद हुआ । मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए कठिनाइयां और तकलीफें उठायी हैं, यह उस स्थिति को जानते हैं । जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया । आज उनको यह पेंशन नहीं, बल्कि एक सम्मान दिया जा रहा है । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सचिवालय के अन्तर्गत यह जो आपके विभाग के जो कर्मचारी हैं, मुझे कुछ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के साथ जाने का अवसर मिला है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है चाहे आपके निदेशक हों या अनुसचिव हों, ढंग से बात नहीं करते । निवेदन करूंगा कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिषद् के अधिकारियों को उनको पूरी तौर से मदद करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए । मैं आपका ध्यान नियमावली की तरफ दिलाना चाहूंगा अनुच्छेद 4 है, उसमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पढ़ते हैं, उनको छात्रावास की बाबत कुछ सुविधा उपलब्ध है, कुछ फीस की छूट है ।

इसी तरह से मैं आपसे कहूंगा कि यह जो टेक्नीकल एजूकेशन है, यह जो उनकी आश्रितों के रूप में, उनकी बच्चियां आई० टी० आई०, लखनऊ आदि में पढ़ती हैं, उनसे हास्टल की फीस ली जाती है और जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह भी वर्ष के बाद मिलती है और वह भी बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए । इस मंहगाई के जमाने को देखते हुए जो पेंशन की धनराशि अपर्याप्त है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए नियमावली में संशोधन किया जाना चाहिए और जहां तक उनके स्मारक की बात है, वह बनवाये जाने चाहिए । ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी उनको याद कर सके । ताकि जो आजादी के बाद पैदा हुए, उनको यह विश्वास हो जाय कि देश की आजादी के लिए क्या-क्या करना पड़ा था (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं महाराष्ट्र में मैंने देखा कि 160 स्मारक वहां बने हुए हैं और वहां स्वतन्त्रता संग्राम के सम्बन्ध में पढ़ने के लिए पुस्तकें भी हैं । मैं चाहूंगा कि स्मारक अधिक से अधिक यहां भी बनने चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके ।

इसी के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री धर्मवीर सिंह--

मान्यवर, माननीय रामनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, पूरे प्रदेश का नियोजन और उस पर जो यह छोटा सा बजट है, उससे एक प्रश्न उभरता है कि नियोजन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का महत्व क्या है ? यह सोचने और समझने की बात है। नियोजन अगर वास्तव में मान्यवर, किया गया होता, तो आज हमारे प्रदेश में तालीम का अभाव न होता, अगर नियोजन किया गया होता तो हमारे प्रदेश में आज सिंचाई का अभाव नहीं होता। अगर नियोजन किया जाता, तो आज अनपढ़, गरीब और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, न कपड़ा है और न तालीम है और न रहने को घर है ये सब कमियां जो हैं, नियोजन की हैं। नियोजन करने की अक्ल इस मन्त्रिमंडल के पास तो है ही नहीं, जो कुछ अफसरों ने बना कर रख दिया, उन्होंने विधान सभा के पटल पर रख दिया। इनको सोचने की फुरसत नहीं है। आज बदकिस्मती है इस देश की कि 80 प्रतिशत इस देश के नागरिक अनपढ़ हैं और 80 प्रतिशत के पास पेट भर भोजन नहीं है और उनके पास काम नहीं है। यह कैसा नियोजन है, कैसी विडम्बना है ?

37 साल में से 35 साल राज्य करने वाली यह सरकार है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में पेयजल व्यवस्था भी पूरी नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र के 20 कुओं का पानी टेस्ट करवाया, उनका पानी पीने योग्य नहीं है। यह सोचने का विषय है कि कैसा नियोजन है ? मैं चाहूंगा कि यह अपनी बुद्धि से काम लें। इस प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिए और गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके, ऐसे नियोजन की हमें जरूरत है। 35 साल में इन्होंने कोई नियोजन नहीं किया। गरीब और ज्यादा गरीब होता गया और अमीर और ज्यादा अमीर होता गया। उद्योग के नाम पर इनकी न के बराबर प्रगति है।

कृषि उत्पादन की बात करते हैं। नियोजन क्या है कि खाद के 4 गुना दाम बढ़ गये, जबकि गेहूं के दाम 1 रु0 गेहूं का दाम बढ़ाया है। 151 रु0 गेहूं उसको पड़ता है और उससे कहते हैं कि 152 रु0 में दो। उत्तर प्रदेश से गेहूं बाहर भी जा सकता है। दिल्ली में किसान उसको 250 रु0 प्रति क्विन्टल बेचेगा। उत्तर प्रदेश का किसान 152 रु0 प्रति क्विन्टल में बेचने को मजबूर होगा। 70 पैसे डीजल था अब साढ़े तीन रुपया है, बिजली 7 पैसे थी, अब 70 पैसे प्रति यूनिट है, कपड़ा 8 आने गज था, आज 9 रु0 गज है। यह इनका नियोजन है। सभी चीजों को बरतने वाला गरीब है, लेकिन उस गरीब को कुछ नहीं मिलता है, खाते कौन हैं पूंजीपति। यह नियोजन है कि इस साल से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बिजली है, 6 बजे से 10 बजे तक बिजली नहीं जला सकते। क्या इसी को नियोजन कहते हैं ? आज नदियों पर पुल नहीं हैं, आज सम्पर्क मार्ग नहीं हैं, नियोजन का नाम लेना आसान है, करना कठिन है। यह तो था इनके नियोजन का कच्चा चिट्ठा। मैं कहना चाहूंगा कि यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर सकते, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 150 रु0 देकर गौरव महसूस करते हैं। आज क्या होता है 150 रु0 में ? उनके चरण धोकर पियें, तो भी कम है। यह भ्रष्टाचारी मंत्रिमंडल उनके लिए क्या करेगा ? उनके बच्चों के लिए क्या करेगा, इनके बच्चों के पढ़ने-पढ़ाने के लिए क्या करेगा मकान और कपड़े की व्यवस्था और दवाई आदि के लिए क्या करेगा जिन लोगों ने देश की आजादी ली अपना खून देकर, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर यह कुछ नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियोजन एवं राजनैतिक

पेन्शन के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं सिर्फ दो एक बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि जिस योजना में कुछ नयी बात व नया परिपाटी को जाती हैं और कुछ नये प्रयोग किये जाते हैं तो उनमें यदि कोई कमियां कुछ निकालने चाहे तो वह अलग की बात है, अनुभव के आधार पर कुछ कमियां तो निकाली जा सकती हैं। मान्यवर जो नियोजन की प्रक्रिया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि आज देश को आजाद हुए करीब 37 साल हो गये, लेकिन इस ओर वह गति न हो सकी जो अपेक्षित थी, इसका एक मात्र कारण यह है कि हमारे पास धन की कमी रही, अल्प साधन रहे और दूसरी जन-संख्या का भार भी बहुत बढ़ा, इन सारी बातों को देखते हुए जो भी इस ओर कार्य किये गये उनकी कमी के कारण वह उपलब्ध हमारे सामने नहीं आ सकी जो अपेक्षित थी साथ ही साथ यह भी सही है कि प्रदेश सरकार को अपनी इस नियोजन प्रक्रिया में जो कमी नजर आती गयी, जैसे-जैसे नजर आती गयी, उसमें उसी हिसाब से सुधार और परिवर्तन होते गये और जहां पर धन की कमी थी वहां पर धन आवंटित किया गया इम्बैलेंस दूर करने के लिए।

साथ ही यह भी कहना चाहूंगा नियोजन सम्बन्धी जिन कार्यों को करने के लिए पहले हमें लखनऊ आना पड़ता था, उन्हें अब जिलों के अन्दर ही किया जाने लगा जिला नियोजन समिति के बन जाने से। इस सम्बन्ध में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जिलों में जो बहुत सी सलाहकार समितियां बनी हुई हैं, जैसे शिक्षा सलाहकार समिति, विद्युत् समिति के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0, ग्राम विकास के कार्य किये जाते हैं। जिला नियोजन समिति जब से बन गयी हैं, उसमें सभी माननीय सदस्य व अधिकारीगण सदस्य होते हैं, इसलिए अब जिलों में अलाहिदा-अलाहिदा समितियों के होने की आवश्यकता नहीं है, उन सब समितियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए सिवाय इस समिति के ताकि इन सलाहकार समिति में जो बैठकें होती हैं उनमें समय की बचत होगी। उनमें कभी-कभी हम लोग जिला योजना समिति में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए अगर इसकी बैठकें जो हों चाहे एक माह में या दूसरे माह के किसी विशेष दिन अथवा तिथि मंगल आदि को तय कर दिया जाये जिससे सभी लोग उपस्थित रह सकें। दूसरी बात जो बजट में राजनीतिक पेन्शन के बारे में कही गयी है, उसका मैं स्वागत करते हुए माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन देश को आजाद कराने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सब कुछ निछावर करके जो बलिदान दिया है, वह अद्वितीय है, उसको किसी भी चीज से आंका नहीं जा सकता है। हम लोग तो राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में हैं और आज कोई भी आदमी इसमें आसानी से प्रवेश कर लेता है। फिराक का एक शेर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर है कि वह कितने अद्वितीय थे—

मत सहल हमें जानों, फिरता है फलक बरसों,
तब खाक के परदे से इंसां निकलते हैं।

पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसा व्यक्ति था वह समाज में सबसे अधिक समझदार सबसे अधिक पढ़ा-लिखा सबसे अधिक समर्पित था वह जिस क्षेत्र का था चाहे वकील हो या मजदूर हो वह समाज का सबसे अच्छा वर्ग था। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दी, उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाद में हमें अच्छा जीवन जीने को मिल जायेगा इसलिये मेरा कहना यह है कि उनके लिये जो भी काम किया जाय, कम है। अभी मंत्री जी ने बताया कि उनकी पेन्शन को बढ़ा कर 150 रु0 कर दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह 150 रु0 पेन्शन भी उनके लिये कम है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिये। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सुविधायें आपने प्रदान

की हैं जैसे बस के पास आदि को कि वे बस फ्री सफर कर सकते हैं लेकिन आप यहां इनकी घोषणा कर देते हैं परन्तु वास्तव में उनको कार्ड वगैरह या पास इत्यादि उन्हें समय से नहीं दिये जाते हैं, इसको भी देखने की जरूरत है।

कई बातें प्रोटोकाल के सम्बन्ध में की जाती हैं, मेरा कहना यह है कि जो सम्मेलन वगैरह होते हैं जिसमें विधायक लोग आमन्त्रित किये जाते हैं, उसमें उनको भी आमन्त्रित किया जाना चाहिये। चाहे विधायकों को उसमें पीछे ही बैठना पड़े, किन्तु उसमें उन्हें आगे की पंक्ति में बैठाया जाना चाहिये, आगे स्थान उन्हें दिया जाना चाहिये। जैसे 15 अगस्त को या 26 जनवरी को ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर जिलाधिकारी को निर्देश होने चाहिये कि जो भी आपके जिले में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं उन्हें सूची के अनुसार विशेष रूप से बुलाया जाय और सम्मानपूर्वक उनको ऐसे अवसरों पर आमन्त्रित किया जाय। केवल ताम्रपत्र के देने से उनके प्रति हमारा सम्मान पूरा नहीं हो जाता है बल्कि उनको हम ऐसे अवसरों पर भी सम्मान आमन्त्रित करें।

पिछले दिनों एक विधेयक पास हुआ है स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में कि उन्होंने अपने जीवन को अर्पण किया है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया यदि वे राजनीति के क्षेत्र में आते तो शायद आज वे सबसे आगे होते चाहे वह नगर विकास क्षेत्र होता, चाहे जिला परिषद् होती या विधान सभा का क्षेत्र होता। तो मेरा निवेदन है कि इन सबमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर नामांकित किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री जयदीप सिंह बरार--

इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बारे में अन्त में एक बात जरूर मंत्री जी से कहना चाहूंगा और इस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कहीं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को यह न कहना पड़े :—

मेरी खिदमाते खुदाई का खुदा शाहिद है, उनकी महफिल में मेरी बात को मना न गया।

*श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

अधिष्ठाता जी, मैंने दोनों तरफ के सम्मानित सदस्यों के विचारों को भली-भांति सुना है और अब मैं चन्द शब्द कहना चाहूंगा। मेरे जौनपुर के साथी ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों के बारे में क्या किया था? मैं उनको बताना चाहूंगा कि आंकड़े उनके पास भी होंगे, वह बहुत ही प्रबुद्ध आदमी हैं, जरा उसको देख लें कि 28 महीने में उसने 28 हजार किलोमीटर देहात की सड़कों को बनवाया था। आज आप उन सड़कों को 14 हजार किलोमीटर ही बना दें तो हम आपकी बात मानने के लिये तैयार हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक चीज पर भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अच्छा काम किया इसलिये पहले मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने जिला नियोजन प्रणाली को विकेन्द्रित किया था जिसमें जनता के प्रतिनिधियों को भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए थे। यह कार्यक्रम एक प्रयोग के रूप में चल रहा है, लेकिन इसमें दो-चार चीजों की कमी है। मैं नियोजन मन्त्री जी से, वित्त मन्त्री से और मुख्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने जिला सेक्टर में जो बजट का विभिन्न जिलों में मानक सिद्धान्त बनाया है उसमें मान्यवर, यह व्यवस्था की गयी है कि विभिन्न जनपदों को जिला योजना परिव्यय आवंटन के लिए मापदण्ड जो रखे गये हैं, वह आबादी के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की आबादी का 5 प्रतिशत, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषक मजदूर का 10 प्रतिशत, कृषि उत्पादन का पिछड़ापन 5 प्रतिशत, उद्योग का पिछड़ापन 5 प्रतिशत सड़कों का पिछड़ापन 5 प्रतिशत, विद्युतीकरण का पिछड़ापन 5 प्रतिशत, अस्पताल के शैयाओं की संख्या 5 प्रतिशत और अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या 5 प्रतिशत है।

औद्योगिक पिछड़ेपन का आधार केवल उत्पादन का मूल्य रखा गया है, यह उचित नहीं है। वह इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि उत्पादन का मूल्य जनपदों के औद्योगीकरण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उत्पादित मूल्य पर निर्भर करता है। जहां पर उत्पादित होने वाली वस्तु का मूल्य बहुत अधिक है, वहां यह आवश्यक नहीं है कि औद्योगीकरण का स्तर ऊंचा हो। पंजीकृत उद्योगों की संख्या और प्रति व्यक्ति उत्पादन के मूल्य में कोई भी सामंजस्य नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए मैं अपने जिले गाजीपुर को ही लेता हूं। वहां पर पंजीकृत उद्योगों की संख्या केवल 4 है और प्रति व्यक्ति उत्पादन मूल्य 54·34 दिखाया गया है। मान्यवर, इसी गलती के कारण जनपद गाजीपुर को वर्ष 1983-84 में 5 करोड़ 19 लाख 96 हजार रुपया दिया गया है जब कि बलिया को 7 करोड़ 87 लाख 84 हजार रुपया दिया गया है। वर्ष 1984-85 में गाजीपुर को 5 करोड़ 56 लाख 36 हजार रुपया दिया गया है, और बलिया को 9 करोड़ 47 लाख 11 हजार रुपया दिया गया है। हमारे जिले गाजीपुर को घाटा हो रहा है साढ़े चार करोड़ रुपये का हर साल हमारे जिले को घाटा हो रहा है आपने एक तुला बनायी है, तो उस तुला के आधार तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां ओपियम की फैक्टरी है, जो केन्द्रीय सरकार की है, उसकी भी आमदनी को जोड़ लिया जाता है, औद्योगिक पिछड़ेपन का आधार यह होना चाहिए कि जिले में प्रति व्यक्ति आय कितनी है।

मान्यवर, मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो पैसा बजट से जाता है, जो खर्च होता है, उसकी प्रगति जन प्रतिनिधियों को नहीं बतायी जाती है, जिसके कारण भौतिक उपलब्धि केवल कागज पर रह जाती है और मौके पर लूट होती है और घटिया किस्म का सामान लगा दिया जाता है।

मान्यवर, आपका एक नियोजन संस्थान है जिसमें लोग बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, परन्तु वह अंकगणित का गुणा भाग नहीं जानते हैं। मैं उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं, विद्युतीकरण के पिछड़ेपन का जो आधार है, उसको गलत दिखाया है जिसके कारण हमारे जिले को 1 करोड़ 25 लाख का घाटा हो रहा है। उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आता है। जिसके कारण जो वह बजट देते हैं वह गलत हो गया है। एक चीज कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो जिले में विकेन्द्रित योजना के अन्तर्गत मीटिंग होती है, उनकी सूचना जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाती है और यह बात भी जनप्रतिनिधियों को नहीं ज्ञात हो पाती है कि किस मद में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। इसकी भी कोई सूचना नहीं मिलती है।

एक चीज माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं और कहना चाहूंगा जो भी पंचवर्षीय योजनायें बनीं वह इस आधार पर बनायी गयीं कि देश और प्रदेश से गरीबी दूर होगी, क्षेत्रीय विषमता दूर होगी लेकिन सरकारी आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि वह विषमता बढ़ती गयी, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विषमता बढ़ती गयी।

अन्त में मैं राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की ओर संकेत करना चाहता हूं। आप चाहे हजारों योजनायें बनाएं जब तक हमारा नैतिक मूल्य नहीं ऊंचा होगा आपकी सारी योजनायें इस भ्रष्टाचार के कारण जहन्नुम में चली जायेंगी।

में एक उदाहरण अपने देश के उस स्वर्णिम इतिहास का देना चाहता हूं हमारे यहां चन्द्रगुप्त मौर्य का सुप्रसिद्ध राज्य हुआ था उसके महामन्त्री चाणक्य थे । जब इनके राज्य की ख्याति विदेशों में गयी तो वहां से लोग आये कि आखिर वह कैसा राज्य है और उसको कौन चला रहा है । तो एक विदेशी पाटलीपुत्र आया और उसने पाटलीपुत्र के महान महलों में चाणक्य को ढूंढा वह वहां नहीं मिला उसे मालूम हुआ कि चाणक्य गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहता है, तो वह विदेशी बड़ा परेशान हुआ कि इतने विशाल साम्राज्य का मंत्री झोपड़ी में रहता है । तो वह उसकी झोपड़ी में गया और देखा कि वह दिया जला कर राज्य का काम कर रहा है । तो उसने कहलाया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं तो चाणक्य ने कहलाया कि हम इस समय राज्य का काम कर रहे हैं उनको रोक दें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ,

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

वह विदेशी बहुत देर तक बैठा रहा । बाद में उसको बुलाया गया तो उसने देखा कि चाणक्य ने वह दिया बुझा दिया है और दूसरा दिया जलाया है । यह देख कर उसने कारण पूछा तो चाणक्य ने उनसे कहा, उस वक्त में राज्य का काम कर रहा था और वह दिया राज्य के काम के लिए दिया गया था और यह दिया मेरा है । तो आपको अचम्भा होगा आज हमारे यह मन्त्री उसका उल्टा कर रहे हैं हमारे मन्त्री भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें माननीय मंत्री जी को जवाब भी देना है 5 बज रहे हैं उसके बाद और काम भी हैं ।

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

मंत्रिमडल के लोग इसी का जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा । तो चाणक्य ने उस विदेशी से कहा देखो भाई अब मैं आपका अतिथि-सत्कार कर रहा हूं इसलिए निजी दिया जला रहा हूं । तो उस नैतिकता से जिसके मन्त्री चाणक्य जैसे थे, मौर्य साम्राज्य चला । आज तो यह अलीबाबा 40 चोर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इससे देश का भला कैसे होगा ? इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

[समय 5 बजे]

*श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने सुझावों से हमें लाभान्वित किया जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज भी बहुत से जिम्मेदार लोगों ने अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की और उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया यह बड़े शर्म की बात है कि इस चर्चा में कहा गया कि अंग्रेजों का शासन बेहतर था ।

आज जिस समय यह सारा सदन बिना यहां पार्टीबाजी के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की आहुति और बलिदानों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और उस समय जिक्र किया जाये कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था तो कितने शर्म की बात है । यह स्वतन्त्रता संग्राम में दी गयी करोड़ों नौजवानों की आहुति को अपमानित करने का नासमझ, निन्दनीय कथन है ।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए गाजीपुर के शहीदों के बलिदान की तरफ ध्यान आकृष्ट किया तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री, श्री श्रीपति मिश्र ने इसके लिये पिछले साल एक कोष बनाया है और कई जगहों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शहीद स्मारक बन रहे हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि अपने-अपने संसाधनों से उस कोष को बढ़ाने की कोशिश करें और जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करने के लिये अपना-अपना योगदान दें और उस भावना से प्रेरित हों, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हम लोगों को यहां बिठाया है, उनकी स्मृति में कोष इकट्ठा करें।

मान्यवर, बहुत से साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये और जिक्र किया गया कि नियोजन की परिभाषा क्या है। नियोजन में किस तरह संसाधनों को इकट्ठा करके बंटवारा किया जाय। तो मैं बताना चाहता हूं कि नियोजन प्रणाली द्वारा संसाधनों को इकट्ठा कर इस देश की उपज को बढ़ाकर इस देश में रहने वालों की आर्थिक और सामाजिक विषमता की खाई को पाटा गया और उसमें हम कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने प्राथमिकता उत्पादन के प्रयासों को दी है और उसी आधार पर दौलत उनको दिया जो दौलत का इस्तेमाल करके दौलत को कैपिटल में बदलने में पुरस्साहित करते हैं जैसे कि विद्युत में 32.57 प्रतिशत, सिंचाई में 21.42 प्रतिशत, शिक्षा में 3.7 प्रतिशत, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य में 2.7 प्रतिशत और पर्वतीय विकास विभाग में 9.8 प्रतिशत धन कुल परिव्यय से लगाया और इस तरह कुल 6299 करोड़ रुपये की जो योजना थी उसमें संशोधित परिव्यय 6338.12 करोड़ का है और इस प्रकार इसमें वृद्धि 138.12 करोड़ रुपये की की गयी और इसके लिये मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री ने वित्तीय अनुशासन कायम करके किस तरह केन्द्र सरकार से अपनी योजना और कार्यशैली की स्वीकृति प्राप्त की और अधिक संसाधन जिस तरह मुख्य मन्त्री ने जुटाये उसके लिये यह बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि कमियां हैं क्योंकि जब कोई इतना बड़ा काम किया जाता है तो, जैसा कहा गया कि कमी मिलती है तो वह होना स्वाभाविक है।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, मन्त्री जी क्या प्रधान मन्त्री का नाम लेना भूल गये।

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। यह जरूरी है कि जिस समय गरीब का उत्थान करने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को ऊपर उठाने के बारे में जिक्र करें और उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का जिक्र न करें तो यह ठीक नहीं है चूंकि उनका योगदान हर जगह है। इसलिये मैं आपका आभारी हूं कि आपने उनका ध्यान दिलाया और उनके प्रति कहने का मौका दिया।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जितने संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक मात्रा में इस देश में फैली हुई गरीबी और सामाजिक एवं आर्थिक विषमता की खाई को पाटने में उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे और सरकार इसके लिये कटिबद्ध है।

मान्यवर, मैं एक बात और जो आवश्यक है बताना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने कल अपनी कैबिनेट की बैठक में 125 रुपये से 150 रुपये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन देने का फैसला किया है जिसके बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया था कि उनका सारा त्याग और बलिदान जो पैसे से आंका नहीं जा सकता है, हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप मंदिरों और मस्जिदों में जाते हैं और अपने देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं, तो क्या उनकी कोई कीमत है।

यह उनकी कोई कीमत नहीं है इस संसार में उनके त्याग और बलिदान की।

जहां तक यह जिक्र किया गया कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को कोई अपमानित करते हैं तो कोई दुनिया में उनको अपमानित नहीं करता है और न कर सकता है । जो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, वह अपने को अपमानित करता है । मैंने अपने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से प्रार्थना की है कि उनका जो काम हो, वह उसे हमारे सुपुर्द करें, और वह किसी दफ्तर में न जायें ।

(व्यवधान)

उनके साथ जो भी व्यक्ति दुर्व्यवहार करेगा, उसे शासन द्वारा यह आदेश कर दिये हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाये और किसी प्रकार बख्शा नहीं जाएगा । इसके साथ में प्रार्थना करता हूं कि इन बजट मांगों को पास कर दें और अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हम लोग बैठकर जिला नियोजन में जो बजट पास करते हैं, प्रायः देखा जाता है कि सम्बन्धित विभाग उसको स्वीकृत नहीं करते हैं, जिससे वह पैसा सरेन्डर हो जाता है, तो क्या मन्त्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जिला नियोजन में जो स्कीम स्वीकृत हो जाये, उसकी स्वीकृति अनिवार्य रूप से वह विभाग दे ।

श्री राम सिंह खन्ना--

यह आदेशित कर दिया गया है जहां यह कमी रहेगी, उसको पूरा किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जिला नियोजन है, विकेन्द्रित योजना है, उसमें पिछले वर्ष 1982-83 व 1983-84 में जो व्यय की स्वीकृति की गई राज्य शासन से, उसमें कितना रुपया ऐसा है जो स्वीकृति न मिलने के कारण बाद में लैप्स हो गया ?

दूसरे मुख्य मन्त्री जी ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में घोषणा की थी कि उन्हें स्टेट में रोडवेज का पास दिया जाएगा--तीर्थ स्थानों, विकास केन्द्रों आदि को देखने के लिए राज्य भर का पास दिया जायेगा, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसमें अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किसी भी जिला योजना में कोई देरी या कमी हुई है, तो वह नहीं होनी चाहिये, उसके लिए हम आदेशित कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,16,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण

अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,07,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद मुजफ्फरनगर के ईसापुर टीला गांव को हरियाणा की पुलिस द्वारा घेरने तथा फसल काटे जाने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री हुकुम सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आज की चर्चा के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो बरसों से सीमा विवाद चला आ रहा है उसकी ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा आपको स्मरण होगा कि हरियाणा प्रदेश बनाने से पूर्व वह पंजाब में ही निहित था और दोनों प्रदेशों का विभाजन यमुना नदी से होता था । उसकी जो डीप स्ट्रीम (गहरी धारा) थी वहीं दोनों प्रदेशों की सीमाओं का विभाजन करती थी । 2-3 वर्षों में वह धारा बदलती गई । जब-जब वह धारा बदली तब तब सीमा विवाद खड़ा हुआ और यह होता रहा कि उधर के लोग हमारे प्रदेश की सीमा में आते रहे और खड़ी फसल को काट कर ले जाते रहे । जब इस पर विवाद बढ़ा तो सन् 1974 में दोनों प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया इस मामले को हमेशा के लिए निपटाने के लिए एक आयोग गठित कर दिया जाये ।

श्री उमाशंकर दीक्षित जी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह कहा कि सर्वे करते समय जो डीप स्ट्रीम थी (गहरी धारा) उसको परमानेंट सीमा माना जायेगा और उसके अनुसार स्थायी सीमा का निर्धारण कर दिया जायेगा जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों को मान्य होगा । यह भी कहा कि यमुना नदी की धारा के हटने से कोई परिवर्तन सीमा निर्धारण में बाद में नहीं किया जायेगा । उसी के अनुरूप 1979 में एक एक्ट भी बना । इसके पहले वे लोग जगह-जगह बांध बना कर यमुना नदी को ढकेलने का काम करते थे और हजारों एकड़ भूमि पर अपना कब्जा कर लेते थे । मेरे स्वयं के क्षेत्र के 5 गांव हरियाणा में चले गये । हमने सोचा था कि यह विवाद समाप्त हो जायेगा, पर सब कुछ होने के बाद भी वह झगड़ा बढ़ता ही गया ।

मान्यवर, 31 मार्च को ईसापुर में 100-150 आदमी हरियाणा पुलिस के संरक्षण में घुस आये और खड़ी फसल को काटने लगे । वहां पर गांव के लोगों के हस्तक्षेप से वह फसल नहीं काट पाये । पर इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण कांड आये दिन होते रहते हैं और पुलिस का संरक्षण हरियाणा के लोगों को मिलता है । हमारे यहां की पुलिस अवश्य रहती है पर उसकी संख्या इतनी कम होती है कि वह हरियाणा की पुलिस संख्या के आगे कुछ कर नहीं पाती, हरियाणा की पुलिस हावी हो जाती है और मिजनर आफ वार के साथ जैसा सुलूक किया जाता है वह सुलूक हरियाणा की पुलिस हमारी पुलिस के साथ करती है । उनकी संख्या को देखकर हमारा थानाध्यक्ष हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर देता है और इस प्रकार हरियाणा पुलिस के साथ मिल कर हरियाणा के लोग आकर हमारे यहां की फसल को काट कर ले जाते हैं और हम देखते रह

जाते हैं। हमारे थानेदार की राइफिल मान्यवर, छीन ली जाती है।

इस तरह से यह हमारे थानेदार की नहीं, हमारी पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की बइज्जती होती है और अवांछनीय तत्व हरियाणा से आकर फायदा उठाते रहते हैं। जिला प्रशासन से यह मांग आती है कि पी0ए0सी0 को भेजा जाये, पर इस मांग को मेरठ रेंज के डी0 आई0 जी0 ठुकरा देते हैं और यह आदेश कर देते हैं कि पी0 ए0 सी0 हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर नहीं जायेगी। ऐसी घटनाओं की सूचनां यहां मुख्यालय तक आ भी नहीं पाती है। कोई सूचना मुख्यालय में प्राप्त नहीं होती है। जिसके अभाव में जो मार्गदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों से राजनीतिक नेताओं से स्थानीय प्रशासन को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता और उसका परिणाम यह होता है कि तमाम फसलें काट ली जाती हैं। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जब फसल बोयी जाती है और उसकी परवरिश की जाती है तो कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन जब फसल पक जाती है तो वहां के लोग पुलिस के साथ आ जाते हैं और फसल काट ले जाते हैं। इसलिये मैं ज्यादा लम्बी बहस में न पड़कर आपके समने 2 बिंदु रखना चाहता हूं। पहली मांग मेरी है कि जब श्री उमाशंकर दीक्षित के एवार्ड के अनुरूप केन्द्रीय कानून बन चुका है तो उसके बाद सीमा निर्धारण का कार्य अभी तक क्यों नहीं पूर्ण किया गया।

सीमा निर्धारण का कार्य प्रदेश सरकारों के ऊपर सौंपा गया था उस एक्ट में ऐसा प्राविधान है। अगर यह सीमा निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया होता तो हमारे अधिकारी वहां जाकर यह कह सकते थे कि यह हमारी सीमा है। 1979 में यह एक्ट बना है और अब 84 में हम चल रहे हैं। सहारनपुर और हरियाणा के बीच, मुजफ्फरनगर और हरियाणा के बीच करनाल जिला बुलन्दशहर-अलीगढ़, मथुरा के बीच का गुड़गांव जिले के बीच सीमा निर्धारण का काम नहीं किया गया तो इस काम को अविलम्ब किया जाय। इसमें समय लगना स्वाभाविक है इसलिए मैं चाहता हूं कि जब फसल पकने वाली हो तो फसल पकने के 15 दिन पहले अपनी फोर्स को वहां पर तैनात करें ताकि वहां के लोग यहां की फसल को काटने का साहस न कर सकें। मैंने पिछले साल भी यह मामला उठाया था, उनके पहले वाले वर्षों में भी मामला उठाया था और आज फिर उठा रहा हूं।

आप ऐसी व्यवस्था करें कि हरियाणा के लोग यह हिम्मत न करें कि वह हमारी परवरिश की गई फसल को काट सकें। जब तक सीमा निर्धारण न हो जाय, तब तक फसल कटने के 15 दिन पहले वहां पर सशस्त्र पुलिस तैनात की जाय। जब कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर चर्चा हो रही थी तो हमारे संसदीय कार्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि आज ही वहां पर पी0 ए0 सी0 लगाने का प्रबन्ध कर दिया जायेगा। मान्यवर, 5, 6, 8 तारीख को मैं वहां गया। 8 तारीख तक यहां से कोई वायरलेस जिला स्तर पर या मन्डलीय स्तर पर नहीं गया था। अगर आप अपने अधिकारियों का मनोबल इस प्रकार गिरायेंगे और आपके मन्त्री घोषणा करेंगे लेकिन उसका फल नहीं निकलेगा यह मैं समझने में असमर्थ हूं। घोषणा करने के बाद 5 दिन इन्टीमेट करने में लग जाते हैं। अभी 2 दिन पहले जब फोर्स पहुंची है तो जो फसल बची है उसको किसी प्रकार सुरक्षित किया जा रहा है। इसके पहले लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका है। आप उसका मुआवजा भी देने वाले नहीं हैं, यह मैं मानकर चलता हूं। तो जो मैंने दो बिन्दु उठाये गये हैं उस पर आप प्रकाश डालते हुए आप आश्वासन दें ताकि शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हो सके।

गृह राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जू देव)---

मान्यवर, जो माननीय हुकुम सिंह जी ने मसला उठाया है वह गम्भीर मसला था लेकिन यह जो कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई लापरवाही की गयी तो ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे अधिकारियों ने बड़ी सूझ-बूझ से, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया और इसको बड़े ही सरलपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की। यह सही है कि वहां करीब 50 पुलिस वाले और 1 हजार गांव वाले फसल काटने के लिये आये थे। तो वहां पर हमारे अधिकारी पहुंचे तो मौके पर बातचीत हुयी। यह निश्चय हुआ कि अपने-अपने उत्तराधिकारियों से वह बात करें। लेकिन दूसरे दिन जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया हरियाणा की 50-60 घुड़सवार पुलिस, 50 सशस्त्र पुलिस और एक हजार गांव वाले वहां पर फसल काटने आये थे। फिर भी उस मौके पर हमारे एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 पहुंच कर बड़ी शांतिपूर्वक उस विवाद को बचाया और फसल काटने से रोका। इस प्रकार सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गयी और न कर्यवाही करने में कोई कमी रखी गयी।

जहां तक आपने दीक्षित एवार्ड का हवाला दिया, जो इस्सोपुरगांव है वह इसके अन्तर्गत नहीं आता है। सीमा विवाद के बारे में यह कहा गया कि जल्द से जल्द सर्वे आफ इन्डिया उसको नाप कर दें कि कौन-सा क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है और कौन-सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन जहां तक इस्सोपुर गांव का सम्बन्ध है, वह इसके अन्तर्गत नहीं आता है। यह गांव विवादग्रस्त नहीं रहा है। यह हमेशा उत्तर प्रदेश का रहा है और फसल भी उत्तर प्रदेश वालों ने बोई थी, यह हरियाणा वाले मानते हैं। जहां तक यह कहा गया कि लापरवाही की गयी, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही इसकी सूचना मिली। हमारे गृह सचिव ने वहां के गृह सचिव से बात किया, कमिश्नर ने हरियाणा के कमिश्नर से बात किया, हमारे मुख्य सचिव ने हरियाणा के मुख्य सचिव से बात किया, यही नहीं सरकार की तरफ से गृह मन्त्री श्री पी0 सी0 सेठी को लिखा गया कि वह इसमें हस्तक्षेप करें और इसको देखें।

जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, आपसी झगड़े कभी-कभी गलतफहमी में पैदा हो जाते हैं, छोटे तबके के लोग गलतफहमी पैदा कर देते हैं। हमारे जो अधिकारी मौके पर गये, उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया, जहां कई जानें जा सकती थीं, ऐसी स्थिति को बरकाया। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस समस्या को जल्द निपटाने के लिए प्रयास किया जायेगा। लेकिन यह समस्या अभी की नहीं है, यह समस्या उस वक्त की है, जब फसल आ गयी है, फसल उत्तर प्रदेश वालों ने बोई है और फसल को काटने का अधिकार उत्तर प्रदेश वालों को ही है। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था कि फसल को 145 में कुर्क करके तीसरे आदमी के पास रख दी जाय। लेकिन हमारी सरकार ने उसको ना मन्जूर किया। फसल हमने बोई है, हमको मिलनी चाहिए। हमारे मुख्य सचिव से हरियाणा के मुख्य सचिव से टेलीफोन पर बात हुई। इस मामले में हमारे उच्च अधिकारी लगे हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस मामले को वह जल्द से जल्द सुलझाने में सफल होंगे।

हमने फसल बोई है, हमीं को इसको काटने का हक मिलना चाहिए। दीक्षित एवार्ड लागू किया जाय और सरहद पर खम्भा बनाने के लिए कहा गया, उसमें समय लग सकता है और हमारी फसल इतनी जल्दी आ जायेगी कि उसका नुकसान हो जायेगा। जैसे ही फसल कटना शुरू हुई, कुछ कटी थी, एक हजार गांव वाले आये थे, फसल का काटना शुरू किया, उत्तर

प्रदेश से थानेदार और एस0 डी0 एम0 वहां पहुंच गये और वह फसल को ले नहीं जा सके। जो थोड़ी-बहुत फसल कटी थी, वह वहीं पड़ी है। अब चूंकि उच्च स्तर पर बातचीत हो रही है, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मामला सही ढंग से हल हो जायेगा।

*श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश का सीमा विवाद है। एक ही देश के दो प्रदेशों की बात है, कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। बड़ी समझदारी के साथ इसका हल निकलना चाहिये। लेकिन यह समस्या इतनी पुरानी हो चुकी है कि यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि इस समस्या को निपटाने के लिये सरकार की निरन्तर लापरवाही रही है। सरकार इस समस्या को सुलझाने में लापरवाह रही है। दीक्षित एवार्ड का जिक्र किया गया है। पहले यह निश्चित था कि यमुना नदी की जहां गहरी धारा होगी वह दोनों सूबों की विभाजन रेखा होगी। दीक्षित एवार्ड ने जब सर्वे किया, तो यह हुआ कि जहां यमुना की धारा है, वहां खूंटी लगा दी जाय और वही दोनों प्रदेशों की विभाजन रेखा होगी। हमारी सरकार आज भी उसी पर अडिग है। इसी हिसाब से खूंटी लगाने की बात करती है। हमारे अधिकारी जब वहां के अधिकारियों से बात करते हैं, तो वह कहते हैं कि यमुना नदी की मेन स्ट्रीम जहां होगी, वह विभाजन रेखा होगी। जहां गहरी धारा होगी, वह विभाजन रेखा होगी।

यह समस्या अधिकारियों के स्तर से हल होने वाली नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों ने जब से बात शुरू की है, लाखों रुपया खर्च किया है, चाहे फरीदाबाद की बइकल लेक हो, चाहे बुलन्दशहर का नरौरा गेस्ट हाउस हो। लाखों रुपया इस समस्या को सुलझाने के लिये बैठकों पर खर्च किया गया है। बैठक करके लाखों रुपया यहां और वहां के अधिकारी ने बरबाद कर चुके हैं। लेकिन बात जहां से शुरू हुई थी, वहीं है, कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो दीक्षित एवार्ड है, इस पर हमारी सरकार की जो राय है, क्या हरियाणा सरकार की, वहां के अधिकारियों की जो बात करते हैं, वही राय है। यह समस्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच का है। लेकिन इस समस्या के जीवित रहते हुये हमारे प्रदेश के किसान और खासकर गरीब किसान घोर कठिनाई का सामना कर रहा है। हमारे यहां का गरीब किसान मोल बीज लेकर, गरीबी की हालत में खाद पानी पर पैसा खर्च करके फसल पैदा करता है। जब रबी की फसल पैदा होकर आ जाती है, पकने पर आ जाती है, तो हरियाणा के लोग उस पर हावी हो जाते हैं।

यह समस्या हमारे बुलन्दशहर में बहुत है। बुलन्दशहर की खुर्जा और सिकन्दराबाद तहसील के आधा सैकड़ा गांव इस समस्या से ग्रस्त हैं। उनकी रबी की फसल जब तैयार हो जाती है, तो वहां के लोग डी0 एम0 और एस0 पी0 के दफ्तरों में चक्कर काटने लगते हैं, मुख्यालय पर घूमते नजर आते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहां के अधिकारी उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। मुख्यालय पर वह प्रदर्शन करते हैं, अपने बच्चों को लेकर मुखालफत करते हैं, लेकिन यहां की सरकार, डी0 एम0 और एस0 पी0 उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। पिछले साल हमारे यहां गोली काण्ड हुआ और उसमें दो लोग घायल हुए। हरियाणा के लोगों ने दो लोगों को घायल किया। एक की मृत्यु हो गई और एक अपाहिज हो गया अपनी आगे की जिन्दगी के लिये वह बर्बाद हो गया। मैंने मांग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की थी कि हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से, इस समस्या को लटकाने की वजह से, ये लोग मारे गये हैं, इनको मुआवजा दिया जाय। लेकिन सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया।

मैं फिर मांग करता हूं कि इसकी जांच करायी जाय और उनको मुआवजा दिलाया जाय। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के पास एक्स सर्विस मैन को जमीन दे रखी है। उन सब के पास लाइसेन्स है, हथियार है, वह मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टि, शारीरिक दृष्टि से भी वह हमारे यहां के लोगों से मजबूत हैं। जब फसल पकती है तो वह अपने हथियार के बल पर, ताकत के बल पर हमारे यहां के लोगों को आतंकित करके घर से भगा देते हैं। पिछले साल हमारे यहां कलाखुरी और एक गांव और है जिसमें आग लगाई गई। गांव तबाह हो गया। इस समस्या को होम सेक्रेटरी, डी0 आई0 जी0 या डी0 जी0 या मुख्य सचिव के ऊपर न छोड़ा जाय वह इसका हल नहीं कर सकते हैं। इस समस्या को मंत्रिपरिषद् स्तर पर सुलझाया जाना चाहिये। जब तक यहां की कैबिनेट, यहां के मंत्री परिषद् का कोई मंत्री वहां जाकर बात नहीं करेगा तब तक यह समस्या उलझी रहेगी। क्योंकि जिन लोगों ने इस पर विचार-विमर्श किया है उनका विचार है कि हम लोगों से ऊंचे लेबिल की बात है। हम लोग इस समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कानून व्यवस्था के मामले में कोई बात आयेगी तो कुछ कर सकते हैं। मान्यवर, बुलन्दशहर की बात आई थी बुलन्दशहर की जो सीमा है वहां पर पी0 ए0 सी0 तैनात की जाएगी यह कहा गया, लेकिन पी0 ए0 सी0 का एक भी जवान तैनात नहीं हुआ।

मान्यवर, हमारे यहां रबी की फसल कटने वाली है, लेकिन मुझे डर है कि पिछले वर्ष जो हुआ था वह हो सकता है। मान्यवर, पिछले वर्ष एक आदमी की जान गई थी, अब ज्यादा भी जान जा सकती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब समस्या का समाधान न हो वहां की रखवाली और सीमा की रखवाली कराई जाए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मसला जो हुकुम सिंह जी ने रखा है इसमें दो चीजें हैं। एक तो बार्डर डिस्प्यूट की बात है जो दो सूबों के बीच है। दूसरी बात ला एन्ड आर्डर की प्राब्लम है। मान्यवर, बार्डर के डिस्प्यूट के बारे में जो काम रहा है वह यह है कि कमीशन की रिपोर्ट का रिकमन्डेशन हो जाने के बाद भी उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ है कि इसमें चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश का डिस्प्यूट हो चाहे दिल्ली का डिस्प्यूट हो सब डिस्प्यूट इसमें शामिल हो गये हैं। चाहे दीक्षित जी का एवार्ड हो सब अनइफेक्टिव होकर रह जाते हैं। जो घटना घटी उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। यह अच्छी बात है लेकिन जिस तरीके से सुझाव दिये हैं मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन सबको मानते हैं तो यह भी हकीकत है कि जैसा कहा गया कि फसल काटकर ले गये, अगर फसल काटकर ले गये तो क्या आप उन किसानों को मुआवजा देंगे। उनके नुकसान का जैसा कहा गया कि बाउन्ड्री डिस्प्यूट था वह फसल काटकर ले गये तो जो डिस्प्यूट है उसको निपटारा करना आपका फर्ज है। अगर वह फसल काटकर ले गये तो आप किसानों को मुआवजा दें यह आपका फर्ज है।

इसके अलावा यह कहना चाहूंगा कि आप चाहते हैं ला एन्ड आर्डर बना रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया।

तो जैसा सदन में माननीय संसदीय मंत्री जी ने कह दिया कि पी0 ए0 सी0 पहुंच जायेगी, बार्डर पर किसी किस्म की घटना नहीं होने पाएगी, तो वह पी0 ए0 सी0 जिसकी घोषणा की गयी वह नहीं पहुंच पायी है। इसी मामले में ही नहीं, फैजाबाद के मामले में आपने जुडीशियल इन्क्वाइरी की घोषणा कर दी और आज सुबह तक की रिपोर्ट है, कि फैजाबाद की जुडीशियल इन्क्वायरी, जिसमें श्री मित्रसेन यादव इन्वाल्व हैं, पुलिस द्वारा ही की जा रही है। आपने जुडीशियल इन्क्वायरी के आदेश कर दिये तो उसी वक्त यह जरूरी हो जाता है, आपके लिये कि जुडीशियल इन्क्वायरी डिक्लेयर कर दें क्योंकि सारा पुलिस के कारण से वह हुआ था..

(व्यवधान)

पुलिस इन्क्वायरी को उसी वक्त रोका जाना चाहिये, जब आपने जुडीशियल इन्क्वायरी के आदेश कर दिये। लेकिन चूंकि आपने आदेश सही तरीके से नहीं किये वहां पुलिस की कार्यवाही उसी तरीके से चल रही है। इसी तरह से मोदीनगर वाले मामले में दो महीने हो गये। आपने हाउस के अन्दर घोषणा की। उसमें हमारे अध्यक्ष जी का इन्वालमेंट था। लेकिन वहां के अधिकारियों पर शासन की पकड़ मजबूत नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है, जितनी मजबूत होनी चाहिये। हो क्या रहा है जैसा माननीय किरनपाल सिंह जी ने कहा हरियाणा के लोगों ने वहां बार्डर पर एक्स मिलिटरी मैन को जमीन दे दी, आर्म्स दे दिये, शारीरिक रूप से मजबूत हैं और आपकी तरफ के आदमी कैसे हैं, साधारण किसान। खुदा न खास्ता अगर किसी समय टकराव हुआ, तो क्या नतीजा होगा। वहां की सरकार ने उनको आर्म्स एलाट कर दिये। इधर सीधे-साधे आदमी हैं, तो सिवा उनके मारे जाने के और कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। फिर स्थिति खराब हो जायेगी, आप ला एन्ड आर्डर की बात कहेंगे।

इसलिये मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि जहां-जहां हमारे सूबे के बार्डर डिस्प्यूट हैं, पूरब में हैं, हरियाणा में हों और चाहे दिल्ली से पैदा हो गये हों, उन डिस्प्यूट को दिल्ली की बीच में डाल कर मामले को निपटायें और वहां डिमार्केशन का पत्थर लगवा दें। वहां डिमार्केशन होना चाहिये और दूसरी बात, जो नुकसान प्रदेश के किसानों का हुआ और उनकी जितनी फसल ले गये, मंत्री जी तो कहते हैं कि फसल काटी थी, ले नहीं गये, लेकिन हुकुम सिंह जी का कहना है कि फसल ले गये, तो क्या आप इसकी जांच करावें। अपने रेवेन्यू के रिकार्ड मंगावें। यह तो कोई खास बात नहीं है कि पता न चल सके। आप इसकी जांच करावें। वहां किसानों का जो लास हुआ है, उसको कम्पेन्सेट करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री नकली सिंह--

मान्यवर, यह स्थिति हरियाणा के बार्डर पर मुजफ्फरनगर के गांवों में हर साल बढ़ती जा रही है। यह स्थिति बड़ी दुखद है। इस बार भी यही हुआ कि 31 तारीख को वे लोग आए और उन्होंने वाकई में फसल काटनी शुरू कर दी, लेकिन हमारे जिले के अधिकारियों की सोच समझ और सूझ-बूझ से काम लेने के कारण वे फसल ले नहीं जा सके। उन्हें वहीं छोड़कर जाना पड़ा कटी फसल को। अगले दिन उससे ज्यादा फोर्स लेकर हमला करने जैसी स्थिति बना दी, लेकिन हमारे जिले के अधिकारियों ने, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, एस0 पी0 और डी0 एम0 दोनों ने मिलकर इस तरह से स्थिति को कन्ट्रोल किया कि उन लोगों को फिर मुंह की खानी पड़ी और लोगों को वहां फसल वगैरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच यह मसला शासन के संज्ञान में लाया गया। यहां के आदेश के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तुरंत बाद वहां पी0ए0सी0 भेज दी गयी और आज हरियाणा और करनाल के डी0 एम0 और एस0 पी0, जो पहले हमारे यहां के अफसरों से बात नहीं करना चाहते थे, वायरलेस कर रहे हैं कि पी0 ए0 सी0 हटा ली जाय क्योंकि इससे उनके वहां के लोगों में आतंक है। ऐसी स्थिति आगे न हो, सरकार को इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और जो दीक्षित एवार्ड लागू हो गया था, उसके मुताबिक खम्बे या तार जो कुछ लग सकता है, वहां पर लगा दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः जिले के दोनों अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने प्रयासों से एक बड़ी दुर्घटना को रोका।

*श्री वीरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, ईसापुर, टीला और डुल्डी खेड़ा यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। जिस घटना का यहां पर उल्लेख किया गया यह एक बहुत ही पुरानी समस्या है। हर वर्ष इस विधान सभा में इसके बारे में प्रश्न उठाया जाता है और जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था, उससे यह तसल्ली होती थी कि यह मामला कल परसों में तय हो जायगा और इसका समाधान हो जायेगा। इस प्रकार के आश्वासन हर वर्ष दिये जा रहे हैं। वहां हर वर्ष किसान लूटे जाते हैं। 1978 में हरियाणा के किसानों ने अपनी पुलिस की मदद से सैकड़ों हेक्टेयर में बोई भूमि को जबरदस्ती काट लिया। यहां तक कि वहां की पुलिस डुडीखेड़ा से दो आदमियों को जबरदस्ती पकड़ कर ले गयी और उन्हें डेढ़ साल तक जेल में रखा। उसके बाद उनका मामला समाप्त हुआ। फिर 1981 में 18-20 लाख रुपए की जो फसल हमने बोई थी, उसे फिर वहां के किसानों ने जबरदस्ती काट लिया। उस समय भी सदन के अन्दर यह प्रश्न उठाया गया था। हमारी फोर्स वहां गई, जो गेहूं बचा था, उसका 145 रु0 के हिसाब से कुड़क कर दिया गया और वह पैसा उन किसानों को आज तक नहीं मिला। उस वक्त जो लाखों रुपए का कुड़क किया गया, उसे सिर्फ कागजों में 30 हजार रुपए दिखाया गया और आज तक उन दोनों पक्षों का उस पर 30 हजार रुपए खर्च हो गया है। और आज दो साल बाद यह घटना फिर घट गई है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इस समस्या का स्थाई समाधान करें, क्योंकि आश्वासन हर साल मिलते जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सरदार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा मथुरा जिला हरियाणा और राजस्थान दोनों से मिला हुआ है। फसल काटने की घटना, पशुओं को जबरदस्ती ले जाने की घटना और यहां तक कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस द्वारा जबरदस्ती लोगों को उठा कर ले जाने की घटनायें होती रहती हैं। मेरे मथुरा जिले में दो तहसीलें हैं एक मथुरा तहसील स्वयं और दूसरी छाता तहसील इन दोनों तहसीलों को हरियाणा और राजस्थान ने तबाह कर दिया है। जब बरसात होती है, वह हमारी जो गोबरधन ड्रेन है, अब एक बौना ड्रेन हरियाणा ने बना दी है, उसका उन्होंने इतना ऊंचा लेवल कर दिया है कि उसका जो ज्यादा पानी होता है वह इन दो तहसीलों को बरबाद कर देता है। हरियाणा की पुलिस जबरदस्ती इसकी सीमा को काट जाते हैं यह बात सही है कि हरियाणा की सरकार ने अपने यहां के किसानों को असलहे दिये हैं और उन्हें लाइसेन्स भी दिये हैं और वहां की पुलिस उनकी मदद भी करती है, इसलिये वहां के किसान जबरदस्ती हमारे यहां के किसानों की फसल को काट ले जाते हैं। इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिला था। वहां की पुलिस बिना हमारे मथुरा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कप्तान को सूचना दिये हुए हमारे प्रदेश के मथुरा जिले के गांवों में घुस जाते हैं और जिस आदमी को उठा कर ले जाना चाहते हैं, उसे वह ले जाते हैं और उससे फिरौती लेते हैं। हमारे यहां एक सौंक कस्बा है जो एक व्यापारिक मण्डी है।....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री सरदार सिंह जी यहां पर फसल काटने वाला मामला चला हुआ है और जो विषय यहां पर रखा गया है वह मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित है, यदि आपको फसल काटने से सम्बन्धित कोई बात कहनी हो तो आप इस सदन के सामने रखें।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि वहां पर इन दोनों प्रदेशों से काफी पानी आता है, फलस्वरूप मथुरा तहसील और छाता तहसील बाढ़ से ढक जाती है, दूसरा यह कि वहां के किसान जबरदस्ती फसल काट ले जाते हैं और वहां की पुलिस जबरदस्ती हमारे यहां से लोगों को उठाकर ले जाती है। मेरा यह कहना है कि एक उच्च स्तरीय जांच इस विषय पर करायी जाय, मंत्री स्तर की जांच करायी जाय और डी0 जी0 पी0 स्तर की जांच हो और सीमा को निश्चित किया जाय।

मान्यवर, उसमें जो स्थिति है, अगर उनकी पुलिस किसी को चाहती है या कोई बात है, तो पहले हमारे यहां की पुलिस को इन्फार्म करें, उसके बाद उस ग्राम में जायं वहां के लोगों को लें। मान्यवर, खुले आम औरतों को ले जाते हैं, लड़कियों को उठा ले जाते हैं, बड़े-बड़े कुकृत्य यह हरियाणा और राजस्थान की पुलिस मथुरा में कर रही है। हमारा जिला इससे बहुत ही आतंकित है। मान्यवर, हमारी सरकार का पूरा उत्तरदायित्व है, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है। हमारे अधिकारियों में कुंठा और हीनता की भावना है। उनके आगे इनकी चल नहीं पाती है। हरियाणा की पुलिस और राजस्थान की पुलिस हमारे अधिकारियों के ऊपर हावी रहती है।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी मंत्री जी का उत्तर सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि या तो मैं आशय स्पष्ट नहीं कर पाया या मंत्री जी सुन नहीं पाये। जालौन में कहीं विचरण कर रहे थे अभी तक। अभी कुछ दीक्षित एवार्ड की समस्या की बात नहीं है। दीक्षित कमीशन की रिपोर्ट के बाद ऐक्ट बन चुका है। यदि आपके पास भी हो, तो देखें, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं :

(दि) हरियाणा एण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) ऐक्ट, 1979-सेक्शन 2 क्लाज (जी) प्रेजेन्ट डीप स्ट्रीम लाइन : मीन्स, दि ड्रीप स्ट्रीम लाइन आफ दि रिवर यमुना ऐज वेरिफाइड एण्ड डिटरमिन्ड बाई दि सर्वे आफ इंडिया ड्यूरिंग दि मन्थ्स आफ नवम्बर, 1974, दिसम्बर, 1974, जनवरी, 1975 एण्ड फरवरी 1975।

सर्वे आफ इण्डिया ने अपना नक्शा तैयार कर दिया, सर्वे करने के बाद, केवल इतना काम होना है कि उनके नक्शे के रूप के अनुसार जमीन पर निशानदेही का भाग होना है वह निशानदेही करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार की देखरेख में प्रदेश सरकार को दोनों को करना है, उस तरफ आप गति को बढ़ायें। जो कार्य 4 साल पूर्व हो जाना चाहिये था, वह अभी तक नहीं हुआ। विवाद बजाय घटने के बढ़ता जा रहा है। फसल काटने के बारे में आपने इतनी सरलता से बात रखी है कि फसल काट नहीं पाये। आप बुढ़ाना जा रहे थे, उसके

पास ही यह जगह है, आप वहां देखें क्या स्थिति है ? मान्यवर, यह भी कहना चाहूंगा कि जब यह वहां स्थिति पैदा हुई, तो इतनी सारी बातें होने के बाद भी, वहां के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक मौके पर नहीं गये । इससे बड़ी निन्दनीय बात मैं कुछ और नहीं समझता । मान्यवर, मुझे जैसे ही सूचना मिली कि इतनी गम्भीर बात वहां हो गयी है, मैं तुरन्त ही वहां गया । पहली तारीख को मौके पर गया । पहली तारीख तक पुलिस अधीक्षक मौके पर नहीं गये थे ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो धारा 145 है, उसमें उन्हें कुर्क नहीं करना चाहिये । नहीं तो, यह न्यायालयों का विवाद बन जायेगा, यहां का मैजिस्ट्रेट यह कहेगा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है, वहां का कहेगा, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है । जहां पर यह फसल है, यह उत्तर प्रदेश की सीमा के 3 कि0 मी0 के भीतर है, कुछ यमुना के किनारे है । यमुना के क्षेत्र के 3 कि0 मी0 के भीतर फसल है, उसको काटने का उन्होंने प्रयास किया है, आस-पास की बाबत तो वह छोड़ते नहीं हैं, आधा कि0 मी0 की बात होती, तो हम यहां नहीं कहते । मान्यवर, वह घरों में घुस-घुस कर फसल उठा ले जाते हैं, जो पुराने खेत हैं, उनकी फसल काट ले जाते हैं । मैं उम्मीद यह करता हूं कि आप इसको गम्भीरता से लें । जब तक आपका सीमा विवाद चले, तब तक भी, जब यह फसल पकने की बात आती है, पी0 ए0 सी0 को वहां लगाया जाय, वहां सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, जहां तक प्रश्न था पुलिस और पी0 ए0 सी0 वहां लगाने का, तो वहां पर 20 तारीख को पी0 ए0 सी0 भेज दी गयी थी । जहां तक इसमें पक्ष और विपक्ष की बात है, चिन्ता होना स्वाभाविक है । सरकार इस पर पूर्ण रूप से कार्यवाही कर रही है कि फसल जो उत्तर प्रदेश के किसान बोयें, वही उसे काटें । जहां तक दीक्षित एवार्ड की बात आयी, इसका जिक्र आपने ही किया था । जहां तक इसापुर टोल गांव की बात है, मान्यवर, तीन कि0 मी0 के अंदर विवाद भी नहीं था, यह कैसे विवाद उठ खड़ा हुआ है इसके बारे में छानबीन हो रही है कि कैसे हरियाणा के अधिकारियों ने आकर एकदम से फसल काटने की चेष्टा की थी और जहां तक सरकार को खबर है, फसल थोड़ी काटी थी, लेकिन उसको वह ले नहीं जा सके थे । पी0 ए0 सी0 की हमारी प्लाटून लगी हुई है, आगे कोई वारदात न हो, हमारे उच्चाधिकारी दोनों तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर शांति भंग न हो । मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने फसल बोई है, वही उसको काटेंगे । मा0 किरन पाल सिंह जी का सुझाव है कि मंत्री स्तर तक बात हो, तो राजस्व मन्त्री जी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

जो घोषणा की थी मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कि जहां-जहां इस प्रकार की समस्यायें हैं, पी0 ए0 सी0 भेजेंगे, उस सम्बन्ध में भी कुछ कहेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

और कोई विवाद अभी सामने आया नहीं है । यही एक विवाद सामने आया है ।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर

प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

इस विधेयक के द्वारा, 1861 में जो पुलिस विभाग में पद थे, उनमें नवगठित पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और संयुक्त पुलिस अधीक्षक के पदनामों को सम्मिलित किया गया है । पहले पुलिस महानिरीक्षक का एक ही पद होता था, लेकिन कार्य बढ़ जाने से बहुत ज्यादा पद हो गये । इसीलिये पुलिस महानिदेशक का पद और बनाया गया । जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यों में सहायता करने के लिये समय समय पर संयुक्त पुलिस अधीक्षक के पदों का सृजन किया गया, जो उनके अधीन रहेंगे और उनको समय समय पर मदद करेंगे, इसलिये यह विधेयक आपके सामने रखा गया है । माननीय सदस्यों से निवेदन भी करूंगा कि इसको किसी समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है । विधान परिषद् में यह पास हो गया है, यहां पर भी इसे पास करें । यह सब के हित में है, किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं है, यह मेरा नम्र निवेदन है ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

म आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

अभी जो इस विधेयक के भारसाधक मन्त्री जी हैं, उन्होंने बहुत संक्षेप में यह बताया कि इस विधेयक में कुछ है ही नहीं, मात्र नाम परिवर्तन किया गया है । मैंने जब इस विधेयक के उद्देश्य और कारण देखें, इसमें स्वीकार किया गया है कि हमारे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है । इस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये यह कदम उठाना आवश्यक समझा गया । अपने विधेयक को जब बहस के लिये प्रस्तुत कर रहे थे उन्होंने कहा कि नियंत्रित करने के लिये हमको नामों की जरूरत है । इस सम्बन्ध में मैं एक तर्क सम्मत और नीति सम्बन्धी आपत्ति करना चाहूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी भी ध्यान देने की कृपा करेंगे । सरकार की दिशाहीनता और समय पर इसको प्रस्तुत न कर पाने की अपात्रता इसमें साफ प्रगट होती है । हमको इसमें बहस नहीं है कि नाम कुछ भी रख दिया जाय । जिस दिन सरकार ने फैसला किया था कि नाम बदलना है, संशोधन विधेयक लाना चाहिये था । नाम भी एक डेढ़ साल पहले बदल दिया, विधान मंडल से आज अनुमति ले रहे हैं । इसकी प्रतिलिपि पटल पर भी होगी । हर विधेयक में लिखा होता है कि यह विधेयक कब से प्रभावी होगा या धारा–2 में लिखा होना चाहिये था कि तुरन्त प्रभावी होगा या राज्यपाल जिस दिन राजपत्र में घोषित करेंगे उस दिन से प्रभावी होगा, लेकिन इसमें नहीं लिखा है कि किस तिथि से प्रभावी होगा ?

आज सरकार ने हमें अंधेरे में रखना चाहा है यह न बताकर कि यह कब से लागू होगा । इसलिए हम समझते हैं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वहां पर इसकी कुछ स्थिति स्पष्ट हो सके । मा0 मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि वह अपराध पर कन्ट्रोल करें, लेकिन इस सिलसिले में यह जानना चाहूंगा कि क्या आप अपराध की स्थिति पर केवल नाम को बदल कर काबू कर लेंगे, जबकि आज आवश्यकता है पुलिस की संख्या बढ़ाने की । थानों में तो आप वृद्धि कर रहे हैं और हमारे जनपद सीतापुर में आपने 5 थाने बढ़ाए हैं, लेकिन जब हमने वहां पर पता लगाया तो मालूम हुआ कि पुलिस का आवंटन आपने अभी तक उन थानों में नहीं किया है इससे बजाए कार्य में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गति बढ़ने के और गति अवरुद्ध हुई है। भूतपूर्व विधायक हैं श्री राम नारायण वर्मा, यह मामला मैं इससे पहले भी उठा चुका हूं। जबकि उनकी स्थिति यह है 39 हजार और 40 हजार वोट पाने के बाद ही कुछ वोटों से वह हारे हैं, उनके ऊपर मान्यवर, प्राणघातक हमले हुए हैं और उनका जीवन आज खतरे में है, वह काफी दिनों तक अस्पताल में रहे और कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुयी थी, आज भी उनकी स्थिति काफी दयनीय है और उनकी जान को बराबर खतरा बना हुआ है, उनको दो गार्ड मिले हुए थे और उनका यह साफ आरोप है कि यह प्राण-घातक हमले उनपर मा0 संसदीय कार्य-मंत्री की साजिश से हो रहे हैं हालांकि आज वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं और वह दोनों गार्ड भी उनसे यह कह कर वापिस लिए जा रहे हैं कि पुलिस की कमी है, यह मान्यवर सिर्फ एक बहाना मात्र है कि पुलिस फोर्स की आज कमी है, इससे मैं यह शंका करने पर मजबूर हूं कि..

[समय 6 बजे]

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

आपने आरोप तो लगा दिया उनकी अनुपस्थिति में यह कहते हुए कि वह आज उपस्थित नहीं हैं। किसी की नियत पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए और जहां तक आपने दूसरी बात कही कि गार्ड हटाए जा रहे हैं, तो वह गार्ड उनके पास रहेंगे जैसी आवश्यकता आपने उनके साथ बतायी, तो वह व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी की किसी और नियत से नहीं कहा उनके प्रति जो आरोप थे, उसे आपके सामने रख दिया ताकि भविष्य में उनके साथ कोई घटना यदि घट जाए तो यह कहने को न रहे कि आपने गार्ड वापिस ले लिए थे और यह घटना साजिश के तौर पर हो गयी तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो गार्ड व्यवस्था आपने फिर उनके साथ कर दी। अब फिर मैं अपनी बात पर आता हूं कि क्या सिर्फ इनका नाम बदलकर अपराध जगत पर और उसकी स्थिति पर कुछ पहले से अधिक काबू पा सकेंगे। काबू आप पा सकेंगे यदि आप उनके प्रमोशन पर बराबर ध्यान दें उनके रिक्त स्थानों को भरे और उनकी संख्या को बढ़ाएं जिसको लेकर आज उनमें असंतोष व्याप्त है और इस बात को लेकर पुलिस अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध भी प्रकट किया था। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कहीं यह असंतोष बढ़ते-बढ़ते कोई दूसरा रूप न धारण करे इससे पहले आप इस ओर सजग हों जिस प्रकार से जहां पर ज्वालामुखी फूटने को होता है, तो कुछ दिन के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और अन्दर ही अन्दर वह बढ़ता रहता है और फिर एक दिन फट जाता है, इसी प्रकार से आज पुलिस में अन्दर ही अन्दर असंतोष पैदा हो रहा है।

जनता पार्टी की सरकार थी तो हम लोग उसके भागीदार थे, तय हुआ था कि पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की जायेगी। केन्द्रीय पुलिस आयोग बनी थी जिसमें यह किया गया था कि जो महानगरियां हैं, जहां 5 लाख की आबादी से ऊपर है उसमें उनकी नियुक्ति की जायेगी। पुलिस आयोग की रिपोर्ट भी आयी वह भी यही कहती है कि गणेश शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी उसकी भी यही फाइंडिंग्स थीं, लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ है। पुलिस संवर्ग में बड़ा विवाद चल रहा है कि जो आई0 पी0 एस0 लोग हैं, डाइरेक्ट सेवा के लोग हैं उनकी ही पदोन्नति होती है परन्तु जो पुलिस सेवा के लोग हैं और जिनकी सेवा के आठ-आठ और दस-दस साल हो गये हैं उनकी पदोन्नति नहीं हुई है। लेकिन आई0 पी0 एस0 लोग सब स्थानों को घेर लेते हैं। मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार 40 स्थान अभी भी रिक्त

हैं उन पर अधिकारियों की प्रोन्नति होनी चाहिए ।

अब आप छोटे कर्मचारियों की बात को देखें कि उनके संवर्ग में भी सेवा में असंतोष हैं । नीतिवान आदमी कोई काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है । इसलिए मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं । इसमें नाम परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, इसमें रूल की और व्यवस्था को देखने की जरूरत है । जैसे दरोगा पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि वह अपने घर के क्षेत्र में नहीं रहेगा, उसे बाहर दूर भेज देंगे । अभी यहां पर पुलिस वीक मनाया गया सभी अखबारों में यह बात आयी थी कि यह पुलिस वीक नहीं बल्कि आई0 पी0 एस0 वीक के नाम से कहा जाय तो अच्छा होगा । ऐसे ही पी0 ए0 सी0 रिवोल्ट वाला मामला था । हमारे क्षेत्र का एक सिपाही है उसको सजा मिली थी । श्री जयपाल सिंह कोर्ट में गया । उसे अपराध संख्या 242-73 धारा 3/4 आर0 आर0 ए0 के अन्तर्गत सजा हुई, उसके जजमेन्ट की कापी मेरे पास है । उनके बारे में श्री सरीन ने निर्णय लिया है कि पुलिस ने जो मुकदमा बनाया है, उसे वापस लिया जाना चाहिए । आज पुलिस सेवा में असंतोष हैं । पुलिस सिपाहियों को जो भत्ता मिलता है वह 35 रु0 से 90 रु0 हो गया लेकिन अभियोजन शाखा में अभी भी 75 रु0 मिलता है । इन विसंगतियों से असन्तोष पैदा होता है । मैं अपनी बात पर बल देता हूं कि नाम के परिवर्तन से व्यवस्था में सुधार करना सम्भव नहीं है, यह तभी हो सकता है जब कि आप व्यवस्था में सुधार लायें और प्रभावी रूप से काम हो सके । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं बहुत थोड़े समय में दो-तीन बातें ही कहूंगा । माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें यह कहा कि इससे पुलिस के काम में एफिशियेन्सी बढ़ेगी । डाइरेक्टर जनरल, एस0 एस0 पी जो कि 1860 तक पुलिस में सरकार के बीच नहीं थे, उनको उसमें सम्मिलित किया गया था ताकि एफीशियेन्सी बढ़े । मैं कहता हूं कि एफीशियेन्सी नाम व पद से नहीं बढ़ती है । ग्राम विकास मंत्री जो बैठे हैं यह बतलायेंगे कि आपने बी0 एल0 डब्लू0 को ग्राम विकास अधिकारी बना दिया नतीजा क्या हुआ ? आज अधिकारी बनने के बाद क्या उसके काम करने की एफीशियन्सी बढ़ी है या घटी है ? जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, आपने बना दिया, तो क्या उनकी एफीशिएन्सी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है बल्कि घटी है । तो मैं कहता हूं कि नाम से एफीसिएन्सी नहीं बढ़ती है, काम करने की स्प्रिट होनी चाहिए डयूटी को पालन करने की स्प्रट हो और जब डिसिप्लिन्ड हों तब काम चलता है ।

श्रीमन्, 8 तारीख को थाना हसनपुर के थाने में जो हेड कान्सिटेबिल ने खुदकशी की है जांच से सारे तथ्य आ जायेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां के थानेदार ने उसको एक थप्पड़ मार दिया जिसके कारण उसने खुदकशी कर ली । डिसिप्लिन्ड की हालत यह है और ड्यूटी की हालत यह है कि उसे पूरा सदन जानता है कि अगर कहीं पर मर्डर हो जाता है तो उसकी लाश का पंचनामा करके पोस्ट मार्टम के लिए लाश को पहुंचाने में 2-2 दिन लग जाते हैं । लाश पड़ी रहती है और पुलिस का आदमी ड्यूटी पर नहीं जाता है, लाश पोस्ट मार्टम के लिए नहीं जाती है, पड़ी रहती है । उनमें ड्यूटी की स्प्रिट नहीं है काम करने की स्प्रिट नहीं नहीं है, इसको आप बढ़ायें तो आप की एफीशिएन्सी बढ़ सकती है । पुलिस का सिपाही वहां पर जाता है जहां उसको पैसा मिलने की उम्मीद होती है, अगर उसको 12 बजे भी रात में दबिश डालनी है तो वह जाता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां पर उनको पैसा मिलता है, लेकिन वह लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाता है क्योंकि वहां पर तो उसे वही तनख्वाह के ही पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जब वह तनख्वाह पर काम करते हैं तो उनको कोई इन्टरेस्ट नहीं रहता है। वह काम करे या न करे, उनको तनख्वाह तो पहली को मिल ही जायेगी।

आपने डाइरेक्टर जनरल बना दिया हमारे डाइरेक्टर जनरल हैं उनका स्टेटमेन्ट पढ़ा कि सभी रिपोर्ट लिखी जायेगी। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वह अपने इस प्रयास में सफल हो जाये, लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारे डाइरेक्टर जनरल ने यह महसूस तो किया कि थानों पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हैं, उन्होंने कहा कि इनकी चेकिंग होगी। मैं कहता हूं कि अगर वह अपने इस प्रयास में सफल न हों तो मैं आशा करता हूं कि वह इस्तीफा देकर चले जायेंगे, वरना घोषणा करने से कोई लाभ नहीं है। हर आदमी जानता है कि थाने पर किस तरह का व्यवहार होता है, आप देखें आज दर्जनों आई० जी० हो गये, डी० आई० जी० की गिनती ही नहीं है। थानों में जो एस० ओ० रहता है, अब डी० एस० पी० इन्चार्ज होगा, तो इससे डिस्सैटिसफैक्शन बढ़ रहा है। आई० पी० एस० और डी० एस० पी० के जो लोग हैं उनमें आपस में मतभेद है, आई० पी० एस० को डाइरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है और डी० एस० पी० को 10-15 साल के बाद भी चान्स नहीं मिलता है। इसको आप देखें। आप देखें कि उनके असंतोष का क्या कारण है और उनको आप दूर करने की कोशिश करें, तभी मैं कहता हूं कि एफीसिएन्सी बढ़ेगी वरना वह बढ़ेगी नहीं।

ला एन्ड आर्डर से सम्बन्ध पूरे प्रदेश से है, और कुछ चीजों पर बहस होने की बात है पद तो आपने बढ़ा दिए हैं और वह काम उन पर कर रहे हैं एस० एस० पी० हो गये, एडीशनल एस० पी० हो गये। 1861 का जो पुलिस ऐक्ट है, उसका जिक्र नहीं किया गया, यह ए० एस० पी० कहां से पैदा हो गये, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये, तो मैं भी कहता हूं कि आप भेज दीजिए वहां पर इस पर विचार हो जाये, तो कोई अच्छी चीज निकल सकती है। यह कोई छोटी बात नहीं है, एक लाख 47 हजार पुलिस फोर्स के डिस्सैटिसफैक्शन की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य दुआ देते देते शायद यह भूल गये कि यह पुलिस बजट पर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि यह पुलिस (संशोधन) विधेयक, पर चर्चा हो रही है। जहां तक उन्होंने इसमें नाम परिवर्तन की बात कही तो इसमें नाम परिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि एक नया पद सृजित किया गया। जहां तक उन्होंने तारीख की बात कही है तो मान्यवर, जनरल क्लाजेज ऐक्ट में प्राविधान है कि अगर कोई तिथि नहीं दी गई है तो वह गजट में प्रकाशन के बाद लागू हो जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो आरोप लगाया था, माननीय मन्त्री जी ने बहुत सफाई से उसका उत्तर दे दिया। उन्होंने जहां तक जनरल क्लाजेज ऐक्ट का हवाला दिया है कि जब वह राजपत्र में प्रकाशित होगा उस तिथि से लागू होगा तो यही तो मेरी आपत्ति थी। गजट तो रोज छपता रहता है लेकिन वह कौन सा सौभाग्यशाली दिन होगा ...

श्री अधिष्ठाता--

उसमें ऐसा है कि जिस दिन गजट में प्रकाशित होगा, उसी दिन से प्रभावी होगा। राज्यपाल की स्वीकृति जिस दिन से हो जायेगी ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह तो सरकार का विवेक है। यह सौ-सौटी राज्यपाल के हस्ताक्षर होने से नहीं हो जाता।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं ....

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप बैठें। मैं प्रस्तुत कर दूं।

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 16 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

पुलिस अधिनियम, 1861 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 1 में संशोधन

2--पुलिस अधिनियम, 1861 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, वर्तमान पांचवें खण्ड जिसमें शब्द "जिला अधीक्षक" परिभाषित किया गया है, के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"जिला अधीक्षक" और "जिला पुलिस अधीक्षक" शब्दों के अन्तर्गत अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों, या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है।"

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम में, धारा 4 में,--

(एक) शब्द "पुलिस महानिरीक्षक कहलायेगा और ऐसे" के स्थान पर शब्द "पुलिस महानिदेशक एवं महा निरीक्षक कहलायेगा और ऐसे महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "सहायक जिला अधीक्षकों" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षकों, संयुक्त जिला अधीक्षकों और सहायक जिला अधीक्षकों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 5 का संशोधन

4--मूल अधिनियम में, धारा 5 में शब्द "पुलिस महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 7 का संशोधन

5--मूल अधिनियम में, धारा 7 में, शब्द "पुलिस महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, महा-निरीक्षकगण" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8 का संशोधन

6--मूल अधिनियम में, धारा 8 में, जहां-जहां भी शब्द "महानिरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 10 का संशोधन

7--मूल अधिनियम में, धारा 10 में, शब्द "महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 12 का संशोधन

8--मूल अधिनियम में, धारा 12 में, जहां-जहां शब्द "महानिरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13 का संशोधन

9--मूल अधिनियम में, धारा 13 में, जहां-जहां शब्द "महा-निरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 14 का संशोधन

10--मूल अधिनियम में, धारा 14 में जहां-जहां शब्द "महा-निरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में शब्द "महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 30 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 30 में उपधारा (1) में, शब्द "सहायक जिला अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 30-क का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 30-क में उपधारा (1) में, शब्द "सहायक जिला अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

14--मूल अधिनियम में, धारा 32 में, शब्द "सहायक जिला धारा 32 का अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त संशोधन जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

15--मूल अधिनियम में, धारा 42 में, शब्द "सहायक जिला धारा 42 का अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त संशोधन जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

16--मूल अधिनियम में, धारा 45 में, शब्द "महानिरीक्षक" धारा 45 का के स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये संशोधन जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 से खन्ड 16 तक, खन्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री सरदार सिंह की सूचना को स्वीकार किया है वक्तव्य के लिये । यह सूचना उन्नाव के भूतपूर्व विधायक श्री जट शंकर शुक्ल की कल रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

श्री रियासत हुसैन--

इसमें मेरा नाम भी जोड़ दें ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आपकी भी यही सूचना होगी तो वह जोड़ ली जायेगी ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, वक्तव्य किस तिथि को होगा ?

श्री अधिष्ठाता--

17/18 अप्रैल को हो सकता है ।

जनपद लखनऊ में नगराम की पुलिस द्वारा चमन लाल नामक युवक की मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

क्या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदस्यों द्वारा पढ़ा हुआ मान लिया जाय कहने पर) पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14-3-84 को थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच पर एक पुलिस कान्सटेबिल

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि जब वादी एक अन्य कान्सटेबुल के साथ छावनी चौराहे पर यातायात नियंत्रण तथा शांति व्यवस्था हेतु ड्यूटी पर थे, तब उन्होंने पाया कि एक पान वाले ने अपनी दुकान के सामने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। बार-बार कहने पर जब पान वाला नहीं माना तब पुलिस वाले उसका चालान करने लगे। इस पर वहां खड़े श्री रनवीर सिंह ने पुलिस के कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया, पुलिस वालों को बुरा-भला कहा तथा कान्सटेबुल को थप्पड़ मारे। इस सूचना के आधार पर थाना-दरगाह शरीफ पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 332/353 के अधीन अपराध संख्या 52/84 दर्ज किया गया।

दिनांक 14-3-84 को ही वादी श्री रनबीर सिंह ने भी थाना-दरगाह शरीफ पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जिसमें कहा गया कि जब वह छावनी चौराहा पर एक पान की दुकान के सामने खड़े थे तब दो सिपाही वहां पान वाले का चालान करने की धमकी देते हुए गालियां देने लगे और प्रार्थी के मना करने पर थाना-दरगाह की ओर चले गये और तुरन्त बाद ही एक उप निरीक्षक तथा तीन कान्सटेबुल के साथ वापस आये तथा वादी को गाली देने लगे। वादी के मना करने पर उन्होंने वादी को डन्डों, लातों तथा मुक्कों से मारा और जबरदस्ती थाना-दरगाह ले गये। वादी की सूचना पर भा० द० वि० की धारा 342/323 के अधीन अपराध संख्या 52ए/84 पंजीकृत किया गया।

श्री रनवीर सिंह ने एक शिकायत भी लिखकर भेजी। उसके आधार पर तत्काल क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किये जाने के आदेश दिये गये तथा श्री सिंह का उसी दिन डाक्टरी परीक्षण कराया गया। जांच से यह ज्ञात हुआ है कि श्री रनवीर सिंह के द्वारा सिपाहियों के कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया, किन्तु सिपाहियों की मार-पीट के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। श्री रनवीर सिंह द्वारा पंजीकृत कराये अभियोग की विवेचना से यह ज्ञात हुआ कि उप निरीक्षक तथा कान्सटेबुल द्वारा श्री रनवीर सिंह की थाने में व मौके पर पिटाई की गयी। अतः इन तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उन्हें जनपद से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है। श्री रनवीर सिंह के डाक्टरी परीक्षण में तीन चोटें पायीं गईं। दाहिने हाथ में छोटी उंगली की चोट, दाहिनी आंख पर चोट तथा गर्दन पर सूजन। एक्सरे में उंगली में फ्रैक्चर नहीं पाया गया है। दाहिनी आंख की चोट का नेत्र विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करने पर आंख ठीक पाई गयी। केवल आंख में लाली थी जो उपचार से ठीक हो गयी। श्री रनवीर सिंह को विशेष चिकित्सा हेतु मेडिकल कालेज भेजा गया। उपचार के बाद वह घर वापस आ गये हैं, अभी तक डाक्टर की यह राय नहीं मिली कि दायीं आंख में चोट के कारण बांयीं आंख की रोशनी चली गयी है अथवा नहीं। पुलिस अधीक्षक, वादी श्री रनवीर सिंह से अस्पताल में मिले थे और उनके अनुसार श्री सिंह की दाहिनी आंख पूरी तरह ठीक है। बांयी आंख से भी वह देख सकते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि पुलिस ने नेत्र चिकित्सक के पुत्र श्री रनवीर सिंह की बहुत पिटाई की जिससे उसकी आंखों की ज्योति चली गयी है।

लखनऊ जनपद की घटना के संबंध में स्थिति यह है कि मृतक अभियुक्त चमन पुत्र श्री राम सिंह निवासी-मीरखनगर, थाना-नगराम, लखनऊ मु० अ० सं०-16/84 धारा 394/302 भारतीय दण्ड विधान थाना-नगराम में वांछित था और यह पुराना बदमाश है जिसका आपराधिक इतिहास भी है। दिनांक 30-3-84 को अभियुक्त चमन के घर पर मौजूद होने की सूचना मिलने पर दो उप निरीक्षक तथा 6 कान्सटेबुल ग्राम-मीरखनगर में उसके घर पर गये।

अभियुक्त चमन पुलिस को देखकर अपने घर की छत से बराबर के एक मकान में उतरा जिस पर मकान मालिक के एतराज करने पर वह पड़ोस के एक अन्य मकान में घुस गया। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया तथा जैसे ही एक कान्सटेबुल ने उस मकान में घुसकर अभियुक्त चमन को पकड़ना चाहा उसने कान्सटेबुल पर फायर किया जिससे कान्सटेबुल को सीने के दायें हिस्से में कन्धे के पास गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। इस पर साथ के एक दूसरे कान्सटेबुल ने अपनी बन्दूक से चमन के पैर में गोली मारी जिससे वह घायल हो गया। इतने पर भी अभियुक्त अपने कट्टे से वहां पर मौजूद फोर्स पर घातक प्रहार करने को तत्पर हो रहा था, अतः इसे बल प्रयोग कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना-नगराम पर मु0 अ0 सं0 49/84 धारा 307 भारतीय दण्ड विधान व मु0 अ0 सं0-50/82 धारा-25 आर्म्स ऐक्ट बनाम चमन पंजीकृत किये गये जिसकी विवेचना प्रचलित है।

अभियुक्त चमन तथा घायल कान्सटेबुल का प्राथमिक उपचार प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, नगराम में कराया गया। तत्पश्चात् वहां से दोनों को बलरामपुर अस्पताल व मेडिकल कालेज के लिए भेजा गया। अभियुक्त चमन को बलरामपुर अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मृत्यु हो गई। घायल कान्सटेबुल का उपचार मेडिकल कालेज में हो रहा है। उक्त घटना की मैजिस्टीरियल जांच परगनाधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, किसे लिया है ?

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा है इसमें कल ए. व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। कल दिनांक 11-4-84 को जब मद संख्या 18 लिया गया था। तो उस वक्तव्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने आज के लिए स्थगित कर दिया था।

अभिलेखों को देखने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि दिनांक 2-4-84 को नियम 51 के अन्तर्गत नगराम पुलिस द्वारा तथाकथित हत्या के बारे में श्री भोखालाल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सरदार सिंह की अलग-अलग सूचनायें प्राप्त हुई थीं। चूंकि एक ही घटना से तीनों सूचनायें सम्बन्धित थीं अतः माननीय अध्यक्ष ने तीनों सदस्यों का नाम शामिल करने का निदेश दिया था।

तीनों सूचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि श्री सरदारसिंह की सूचना में नगराम पुलिस की घटना के साथ बहराइच की घटना का भी उल्लेख था।

वर्णित परिस्थितियों में यदि शासन के वक्तव्य में दोनों मामलों को शामिल कर लिया गया है तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। माननीय सदस्य अपनी सूचना में अंकित तथ्यों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो लखनऊ के सम्बन्ध में बयान दिया गया है। अभी मैं स्वयं और हमारे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री मोतीलाल देहलवी, श्री सरदार सिंह श्री संत बख्श रावत जी उस गांव गये थे। वहां के लोगों से मिलने के बाद गांव वालों ने जो बताया उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं सवाल कर रहा हूं। संबंधित वक्तव्य में जिस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, जिसे चमन बताया गया है, जिसको भारतीय दंड विधान की धारा 394/302 मु0 अ0 सं0 15/84 के अंतर्गत पकड़ने के लिए पुलिस गयी थी उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि

पुरानी एफ0 आई0 आर0 की फोटो-स्टेट कापी मेरे पास है। तो क्या यह सही है कि जिस अपराध में उसको पकड़ा जाना बताया जाता है वह अपराध 3-2-84 का है उसके बाद मौके पर पुलिस 30-3-84 को जाती है, दो महीने बाद पुलिस जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि 3-2-84 की एफ0 आई0 आर0 में चमन नाम का व्यक्ति नामजद है। अगर नहीं है तो फिर पकड़ने क्यों गयी। यदि है तो दो महीने तक पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की क्या उसकी कुर्की की कार्यवाही कोई की गयी या नहीं, 82-83 के अंतर्गत पुलिस ने क्यों कोई कार्यवाही नहीं की। क्या इसके बारे में जांच करवाई गयी या नहीं ? जबकि लोगों का कहना है कि वह बराबर गांव में रहता था।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जहां तक चमन का प्रश्न है चमन का आपराधिक इतिहास रहा है। माननीय सदस्य ने कहा...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर देने के संबंध में नियम 38(2) देख लें। जो हम प्रश्न करेंगे उसका माननीय मंत्री जी कोई भी उत्तर दें लेकिन वह संगत होना चाहिये। मैंने प्रश्न किया था कि जो पुरानी एफ0 आई0 आर0 है 8-2-84 की जिसके कारण पुलिस उसे पकड़ने गयी तो उस संबंध में मैंने साफ-साफ पूछा था कि क्या उस एफ0 आई0 आर0 में चमन मुलजिम नामजद है। इसका उत्तर हां या नहीं में आना चाहिये। अगर नामजद नहीं है तो फिर उत्तर होगा नहीं। दो महीने हो गये पुलिस अब उसे पकड़ने गयी। इस बीच में उसकी कुर्की के पर्चे कटने चाहिये थे, अगर वह नामजद मुलजिम नहीं था तो क्यों पकड़ने गयी ?

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आपका स्पष्टीकरण हुआ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसका उत्तर हमें मिला है।

श्री अधिष्ठाता--

वह क्या उत्तर दें इसके लिए मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं। जो आपने पूछा है, उसका वह उत्तर दे रहे हैं, उसे सुन लें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, जहां तक एफ0 आई0 आर0 का प्रश्न है वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे पास एफीडेविट की ओरिजनल कापी है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

आप अपनी बात कहेंगे, हमारी बात को भी तो सुनें। मान्यवर, मैं निवेदन करने जा रहा था कि जो प्रश्न किया तो उसमें कहना चाहता हूं कि उस समय जब पुलिस ढूंढ़ रही थी क्योंकि पुलिस को 30-3-84 को खबर लगी थी कि अभियुक्त घर में है तो पुलिस ने छापा मारा और जब पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जब पुलिस ने पीछा किया तो उसने तमन्चे से पुलिस पर फायर किया जिससे वह बलरामपुर अस्पताल में मरने की अवस्था में है, तीन गोलियां निकाली गयी हैं। मुझे ताज्जुब है कि उसकी मा0 सदस्य पैरवी कर रहे हैं जिसने पुलिस के जवान पर गोली चलायी। मुल्जिम के घर गये तो आप उस कांस्टेबुल को भी देख आते तो मैं आपका दुगुना आदर करता।

श्री भीखा लाल--

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि एफ0 आई0 आर0 रिपोर्ट नहीं है, तो मेरे पास एफ0 आई0 आर0 की कापी है। मुद्दई ने लिखाया है कि चार बदमाश उसके घर में घुसे, दो को नामजद किया है। जहां डकैती मीरखनगर में पड़ी है तो वहीं का मुद्दई रहने वाला है और वहीं का चमन भी रहने वाला है, तो उसको नामजद न करने का क्या

कारण है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि 4 व्यक्ति घुसे जिनको देखा गया और चमन को पहचान न सके और नामजद न करें और दो महीने बाद उसको पकड़ें, तो क्या यह मैनीपुलेशन नहीं है उसको फंसाने का ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

आप सही कह रहे हैं कि नहीं पहचान सके । लेकिन चमन ने कांस्टेबिल पर फायर किया इसको मना नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह कांस्टेबिल बलराम-पुर अस्पताल में मरने की अवस्था में है ।

* श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह सत्य से परे है । गांव वालों के चार हलफनामे हैं, उनमें कहा गया है कि चमन के दरवाजे पर चार पुलिस के लोग गए और वह पड़ोस के घर में चला गया, पुलिस ने उसका पीछा किया, चमन ने गोली चलायी और पुलिस को लगी । फिर पुलिस ने चमन को पकड़कर पंचायत घर ले गयी और वहां उसको पीटा गया, उसके बाद वहां से 200 गज की दूरी पर नहर की पुलिया पर सिपाही ने चमन को गोली मार दी । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचना मंत्री जी ने दिया है वह गलत है, इसलिए क्या इस मामले की न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, न्यायिक जांच की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं घटना स्थल पर गया था । जितना दर्द सिपाही के प्रति मंत्री जी को है उससे कम दर्द किसी निर्दोष सिपाही के लिये हम लोगों को भी नहीं है, उतना ही दर्द है । लेकिन प्रश्न है कि यदि कोई सिपाही, जैसा कि प्रश्नों से प्रमाणित हो रहा है, किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने पर उतारू हो जाये और यहां मंत्री जी उसकी वकालत करें तो यह क्या उनको शोभा देता है जब कि मुख्य मंत्री जी बैठे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब कोई बदमाश मुकाबला करेगा, तो सामने आने पर विरोधी पर फायर कर देगा । इनके वक्तव्य में है कि वह भाग गया और दूसरे की छत पर चला गया . . .

(व्यवधान)

आप प्रश्न करने दें । अगर वह फायर करना चाहता तो भाग कर दूसरे के कोठे पर न जाता, किन परिस्थितियों में जब सामने पुलिस आई उसने फायर नहीं किया और भाग कर दूसरे स्थान से फायर किया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

यह क्या प्रश्न हुआ ? आप स्पष्ट कर दें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

आपके वक्तव्य में है कि वह भागा है । दूसरे की छत पर वह फांद गया और जब पुलिस सिपाही गया तो फायर किया तो मैं यह कह रहा हूं कि किन स्थितियों में चमन ने पहले पुलिस के सामने पड़ने पर फायर न करके बाद में गोली चलाई ?

श्री अधिष्ठाता—

अब मंत्री जी वहां होते तो, उसके बारे में बताते । ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

हमेशा यह होता है . . .

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई प्रश्न आपका नहीं बना ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, जो एफ0 आई0 आर0 हुई, जिसमें यह माना जाता है कि वह 3–2–84 को हुई और उसकी धारा 394/302 बहुत ही जघन्य धारा है और 30–3 को पुलिस जाती है और उसको मार देती है और इसमें सिपाही भी घायल हो जाता है, तो इस समय के बीच में पुलिस ने क्या–क्या कार्यवाही की है—पर्चे काटे होंगे, उसके घर गये होंगे आदि ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

माननीय सदस्य विद्वान हैं, उसको पुलिस का जैसे ही सुराग लगा, वह दो महीने बाद पहुंच गई । मैजिस्टीरियल इंक्वायरी आपने मांगी, वह आलरेडी इसमें हो रही है ।

श्री सन्त बख्श रावत—

यह मेरी निश्चित जानकारी है—स्वयं मैं, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, मोती लाल देहलवी और हरगोविन्द वर्मा जी वहां घटनास्थल पर गये थे । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चमन को पुलिस वाले दूसरे के घर से पकड़ कर पंचायत घर ले गये, वहां पर लाठी डंडों से पीटा और उसके बाद पुलिया पर ले जाकर तिवारी नामक सिपाही ने उसे गोली से मार दिया है, तो शासन द्वारा जो सूचना दी गई है वह सत्य नहीं है, अतः सत्यता की जांच के लिये क्या मंत्री जी इस मामले में जुडिशियल जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिए तो मंत्री जी ने इंकार किया है ।

श्री सन्त बख्श रावत—

फिर भी विषय की गम्भीरता को देखते हुए इसे कराने के लिए मेरी पुनः मंत्री जी से प्रार्थना है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इसमें मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हो रही है, उसमें रिपोर्ट आ जाए, उससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे ।

(कई सदस्यों के प्रश्न पूछने हेतु खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब एक प्रश्न सिर्फ श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक प्रश्न हरगोविंद वर्मा का भी, वह घटनास्थल पर गए थे ।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चमन को गोली मारने की बात कही जाती है और यह भी कि उसने भी गोली मारी थी, तो जो एफीडेविट्स हमारे पास हैं, उनको देखते हुए क्या मंत्री जी सी0 आई0 डी0 या जुडिशियल इंक्वायरी करायेंगे, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि चमन के पास कोई औजार नहीं था । साथ ही साथ यह भी उसमें लिखा है एफीडेविट में कि नहर के किनारे ले जाकर चमन को मारा गया । सिपाही जो गोली से घायल हुआ है । वह सिपाही की ही गोली से घायल हुआ है । हम लोग स्वयं मौके पर गए थे और दो हजार लोगों की वहां भीड़ थी । तो इस गम्भीर घटना की न्यायिक जांच कराने में माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मैजिस्टीरियल जांच हो रही है, अगर उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर भी विचार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, किसी भी बदमाश को बचाने का हमारा इरादा कतई नहीं है, लेकिन जिस समय वह आदमी फांकता

है, पुलिस भी फांदती है और पुलिस गोली चलाती है, उसी से पुलिस का आदमी घायल होता है। अपराधी को दंड मिले उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसे हम यह भी चाहते हैं। सरकार इतने गम्भीर मामले में भी न्यायिक जांच कराने को तैयार नहीं है। इसलिए इसके विरोध में हम अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

नील गांव (सीतापुर) में राजा श्री भानु प्रताप सिंह की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

क्या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(किसी के आपत्ति न करने पर वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती सुनीता शाह, निवासी सिधौली, जनपद सीतापुर द्वारा दिनांक 29-3-84 को 6-35 बजे शाम थाना सिधौली पर इस आशय की सूचना अंकित कराई गई की उस दिन करीब 5-45 बजे शाम जब वह अपने पति श्री भानु प्रताप सिंह के साथ स्कूटर पर बाजार जा रही थी, तभी तहसील रोड पर स्कूटर रोक कर दो नामजद व्यक्तियों द्वारा तमन्चे से फायर करके एवं बांके से वार करके उनके पति की हत्या कर दी गई तथा मृतक की घड़ी एवं 1100/- रुपये नगद ले लिए गए। उक्त सूचना पर थाना सिधौली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302/394 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अभियोग विवेचनाधीन है। उक्त घटना से जनपद के अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ग्राम छैलिया, जनपद सीतापुर में दिनांक 1/2-3-84 को रात्रि में श्री अली हसन के घर पर डकैती पड़ी जिसमें उनके परिवार के 3 सदस्यों को लाठी की साधारण चोटें आईं। इस संबंध में थाना महोली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया। घटना से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। यह कहना सही नहीं है कि थानाध्यक्ष, महोली का बनवारी डकैत से कोई संबंध है।

ग्राम कन्डीचांदपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में दिनांक 8-3-84 की रात्रि में सशस्त्र बदमाशों द्वारा घर में घुसकर श्री सुन्दर पासी, उनके पुत्र एवं पत्नी की हत्या किए जाने तथा बर्तन, जेवर लूट लिए जाने के संबंध में थाना महमूदाबाद पर अभियोग अन्तर्गत धारा 394/302/307 भारतीय दन्ड विधान पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है।

श्री अलाउद्दीन पुत्र हाजी अब्दुल रज्जाक, निवासी मुहल्ला कटरा, थाना व कस्बा लहरपुर, जनपद सीतापुर के घर दिनांक 3/4-3-84 की रात्रि में लगभग दो लाख उन्तालिस हजार रुपये मूल्य के कपड़े, जेवर एवं नगद रुपयों की चोरी होने के संबंध में थाना लहरपुर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 457/380 भारतीय दन्ड विधान पंजीकृत किया गया। अभियोग विवेचनाधीन है।

थाना थानगांव क्षेत्र में वर्ष 1984 के प्रथम तीन माह में डकैती के दो अभियोग पंजीकृत हुए हैं जिनमें से

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एक अभियोग में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे अभियोग की विवेचना प्रचलित है। जनपद सीतापुर में वर्ष 1984 के प्रथम तीन महीनों में कुल 190 पोस्ट मार्टम अस्पतालों में किए गये हैं।

यह कहना सही नहीं है कि जनपद सीतापुर में शान्ति व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ अपराध अवश्य हुए हैं, परन्तु उनका दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इन अपराधों के अनावरण में पुलिस सक्रिय रही है तथा कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।]

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैंने सीतापुर में शान्ति व्यवस्था के बारे में जो नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की थी, उस पर यह वक्तव्य आया है। मान्यवर, राजा भानुप्रताप सिंह जी की हत्या हुई। हत्या का कारण यह है कि दो लड़कों ने एक हरिजन लड़की का अपहरण किया....

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं अपनी बात फिर से कहना चाहता हूं। मैंने सीतापुर जनपद की शांति व्यवस्था के बारे में जो आरोप लगाये थे उनको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। 190 लाशों का पोस्ट मार्टम किया गया है। हर महीने 63 मर्डर सीतापुर में हुये हैं। अभी जो राजा भानु प्रताप सिंह की जो हत्या की गयी है उसके पीछे जो कहानी है, उसको मैं बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कहानी को छोड़िये।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर एक हरिजन लड़की का अपहरण किया गया। दो लोगों ने लड़की का अपहरण किया उसकी एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी थी लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जिन लोगों ने अपहरण किया था उन्हीं लोगों ने राजा साहब का मर्डर किया। अगर उन लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो राजा साहब का मर्डर न होता। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों की पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, यह बात सही है कि हरिजन लड़की का अपहरण हो गया था। कल्लू और भगवानदीन नामक लोगों ने जिनका अपराधिक इतिहास रहा है वह लोग लड़की को भगाकर लाये थे। तो स्वर्गीय राजा साहब ने उसको बरामद कराने में मदद की थी। उसी का झगड़ा था जिसके परिणामस्वरूप बदमाशों ने राजा साहब का मर्डर कर दिया।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, हमारे जनपद की एक वर्ष से बहुत गंभीर स्थिति चल रही है। वक्तव्य में पोस्टमार्टम की बात कही गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि 1982–83 में और 1983–84 में कितने पोस्ट मार्टम हुये हैं यह बता दें। दूसरा प्रश्न यह है कि मजबूरी यह है कि आपकी आज्ञा को मानकर, विधान सभा की व्यवस्था के अन्तर्गत ही कहना होता है। मगर मैं कहना

चाहता हूं कि जितनी लाशों का पोस्ट-मार्टम हुआ है, उसमें से कितनी लाशें संजय विचार मंच के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा भेजी गयी हैं। क्या इसकी किसी एजेंसी द्वारा जांच करवायेंगे, ताकि सफेदपोश लोगों से जनता को सावधान किया जाय [××]। आज जनपद सीतापुर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप आक्षेप न करें।

श्री राम कुमार भार्गव--

तो मान्यवर, मेरी दोनों बातों के बारे में क्या माननीय मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, जहां तक सीतापुर के ला एण्ड आर्डर का सवाल है, उसमें हमें कोई मतभेद नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, आप का नाम नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा नाम लेते तो चार बार सोचते कि क्या कह रहे हैं। माननीय हरगोविन्द वर्मा का नाम लिया। मैं चाहता हूं कि इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जब माननीय सदस्य भार्गव जी बोल रहे थे, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि आप कोई आक्षेपात्मक बात न करें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमर गुप्त--

तो उसे कार्यवाही से निकलवा देना चाहिए था, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं कार्यवाही देख लूंगा, यदि इस प्रकार के कोई शब्द होंगे, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये जो व्यवधान के मध्य स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री हरगोविन्द वर्मा--

(व्यवधान)

[××]

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये। आप जो कुछ बोल रहे हैं, यह वक्तव्य से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए यह कार्यवाही में नहीं लिखा

नोट :—[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :—[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जायगा। जो बात उन्होंने आपत्तिजनक कही है, उसे देख लिया जायगा और कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। माननीय गुप्ता जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसके सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी। जो भार्गव साहब ने प्रश्न उठाया था, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

ओम प्रकाश गुप्ता मरडर करता है, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये। आप कृपया बैठें। माननीय मुख्तार अनीस जी, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री हरगोबिन्द वर्मा—

(व्यवधान)

सीतापुर जल रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अगर ओम प्रकाश गुप्ता मरडर करते हैं, तो उनको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं,...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आपने जो मसला उठाया है, वह गम्भीर मसला है, उसको इतने हल्केपन पर न ले आयें...

(व्यवधान)

आप सुन लें पहले आपने जो मसला उठाया है, वह गम्भीर मसला है, उसको इतने हल्केपन पर न ले आयें कि उसकी मंशा ही समाप्त हो जाय।

(व्यवधान)

श्री हरगोबिन्द वर्मा—

मान्यवर, सीतापुर जल रहा है...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आप बैठें।

(व्यवधान)

मैं खड़ा हूं, आप बैठें। वक्तव्य जो दिया गया है, उसमें एक गम्भीर मसला आपने उठाया, लेकिन उसको आप इतने हल्केपन पर न ले आयें कि उसका कोई मन्तव्य ही न रह जाय। भार्गव साहब जब बोल रहे थे, तो मैंने साफ कहा था कि आक्षेपात्मक बात न कहें। अगर कोई उन्होंने ऐसी बात कही है, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। अब भार्गव जी ने जो प्रश्न किया, मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि मंत्री जी उत्तर दें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब मंत्री जी ने यह कहा कि भार्गव साहब अपना प्रश्न दोहरा दें, तो भार्गव साहब आप अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, आपने बताया कि अपराध बढ़ा है, 1982-83, 1983-84 के आंकड़े हैं कि इस वर्ष कितने पोस्टमार्टम हुए। क्या किसी एजेन्सी से हम सब की, जिन राजनीतिक लोगों के विरुद्ध कोई आरोप है, उन सब के आचरण की जांच करायेंगे ताकि नकाबपोश लोग बेनकाब हो सकें?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

बड़ी खुशी की बात है, हमारी सरकार के लिए सीतापुर जिला ऐसा बना हुआ, जिसकी समस्या बहुत थी। माननीय सदस्य की राय है कि किसी एजेन्सी से जो लोग बदमाशों को संरक्षण देते हैं, उनकी इंक्वायरी कराई जाय। मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की क्या और बात हो सकती है। मैं तत्काल आदेश दूंगा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा जो सवाल है उससे खुद साफ हो जायेगा कि अपराधशील व्यक्तियों को संरक्षण कौन दे रहा है। यह जो वक्तव्य है कि दूसरी कन्डिका की आखिरी पंक्ति देखें। एक अभियुक्त को गिफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। मान्यवर, हमारे यहां बनवारी नामक डकैत का गिरोह काम कर रहा है। जहां और कारण है, वहां एक कारण यह भी है। महौली के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर करके वहां से हटा दिया गया, कई महीने हो गये लेकिन आज तक कोई, चूंकि कई लोग इन्टरेस्टेड है कि महौली में वही इंस्पेक्टर रहेगा, कोई दूसरा थानाध्यक्ष वहां पोस्ट नहीं हो रहा है। हमारे यहां 4 थाने इंस्पेक्टर रैंक के हैं। कई बार एस0 पी0 ने लिखा लेकिन आज तक सरकार ने कोई इंस्पेक्टर वहां नहीं पोस्ट किया। क्या यह इस बात का परिचायक नहीं है कि सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ लोग अपने मन के थानाध्यक्ष को वहां बैठाकर, अपराधों को कम करने में बाधा पैदा कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

इस वक्तव्य का थानाध्यक्ष के पोस्ट होने या न होने से...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

महौली थाने का जिक्र वक्तव्य में आया है। यह रामरतन जी जो मंत्री हैं, उनके गांव का मामला है।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो लोकल एस0 पी0 किसको रखता है या नहीं रखता ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एस0 पी0 नहीं रख सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

जब तक इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं होता है, सीनियर सब इंसपेक्टर रख सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सब इंस्पेक्टर तो हैं। इंस्पेक्टर क्यों नहीं रखा गया। यह सरकार जानबूझकर प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं कर रही है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी इंस्पेक्टर पोस्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

तत्काल एक अच्छा इंस्पेक्टर भेज दिया जायगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि एक विधायक के कहने पर एक दो महीने के अन्दर थानेदारों का तबादला होता है ....?

श्री अधिष्ठाता—

इस वक्तव्य से यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मुख्तार अनीस—

उठता है, मान्यवर, मैंने अरोप लगाया है कि जनपद सीतापुर में शान्ति व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। तो मैं यह जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, कि थानेदारों का दो-दो महीने के बाद तबादला कर दिया जाता है और कुछ को कई साल हो जाने के बावजूद भी नहीं हटाया जाता है

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इसकी जांच अवश्य करायी जाएगी।

ग्राम राउतपार, जिला देवरिया में पुलिस द्वारा तथाकथित लूट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

[ग्राम-राउतपार, जिला-देवरिया में श्री राम भजू यादव के खेत के बगल में ग्राम समाज का एक विवादित भूखंड है जिसको लेकर श्री राम भजू यादव तथा भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ यादव एवं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मा सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति श्री महेन्द्र सिंह के गुटों के बीच झगड़ा हुआ।

2—दिनांक 25-3-84 को प्रातः 7.10 बजे ग्राम बैकुन्ठपुर के चौकीदार ने ग्राम राउतपार में ड्यूटी पर उपस्थित सिपाही श्री राम चन्द्र शुक्ला की झगड़े के विषय में एक लिखित तहरीर थाना कोतवाली, जिला देवरिया पर आकर दी। उक्त सूचना चौकीदार द्वारा भिजवाकर श्री राम चन्द्र शुक्ला अपने साथी सिपाहियों के साथ ग्राम राउतपार पहुंचे और वहां पर दोनों पक्षों में मारपीट व झगड़े को शान्त करने हेतु अपने स्तर से प्रयास किया। इधर कोतवाली से सूचना प्राप्त होने पर, पर्याप्त संख्या में पुलिस दल ग्राम राउतपार पहुंच गया।

3—घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के पहले ही झगड़ा प्रारम्भ हो गया था और दोनों पक्षों की ओर से खुलकर कट्टों, बमों तथा बन्दूकों से एक-दूसरे पर प्रहार हो रहा था। पुलिस बल को देखकर झगड़े पर आमादा लोगों में से अधिकांश घटनास्थल से भाग गये। परन्तु दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर ही झगड़े में घायल 9 व्यक्तियों को असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों में भूतपूर्व तथा वर्तमान ग्राम प्रधान भी शामिल हैं।

4—चूंकि घटनास्थल से काफी लोग गांव की ओर भाग गये थे अतः श्री कपिल देव सिंह के यहां उनकी तलाश करने हेतु पुलिस गयी थी जो बाहर से ही लौट गई।

5—दिनांक 25-3-84 को ही थाना कोतवाली पर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के विरुद्ध लिखित तहरीर दी गयी जिसके आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में अपराध पंजीकृत किये गये थे। श्री राम भजू यादव की ओर से भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ यादव ने तथा श्री महेन्द्र सिंह की ओर से वर्तमान ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मा सिंह ने रिपोर्ट लिखवाई थी। श्री जगन्नाथ यादव ने अपने विरोधी पक्ष के 39 व्यक्तियों को नामित किया तथा चार-पांच व्यक्तियों को अज्ञात तथा देखने पर पहचानना बताया। उनकी सूचना पर भा० द० वि० की धारा 147/148/149/307/323 के अन्तर्गत अपराध संख्या 117/84 पंजीकृत किया गया। दूसरे पक्ष के श्री ब्रह्मा सिंह ने 40 व्यक्तियों को नामित किया तथा दस-पन्द्रह व्यक्तियों को अज्ञात बताया। उनकी सूचना पर भा० द० वि० की धारा 147/148/149/307/333/427 के अन्तर्गत अपराध संख्या 117-ए/84 पंजीकृत किया गया। दोनों मामलों की विवेचना प्रारम्भ कर दी गई है।

6—यह कहना सही नहीं है कि पुलिस ने दिनांक 25-3-84 को निर्दोष व्यक्तियों के घरों में अकारण तोड़फोड़ की थी। यह भी कहना सही नहीं है कि पुलिस ने श्री नरेश पाण्डे नामक व्यक्ति की स्त्री की हंसुली, भुजदण्डा एवं सोने की बाली छीन ली। श्री नरेश पाण्डे न तो इस अपराध में अभियुक्त हैं और न ही उनके घर पुलिस गई थी। यह भी कहना सही नहीं है कि पुलिस ने औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया था।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

7--यह सही नहीं है कि श्री ब्रह्मा सिंह तथा जगन्नाथ यादव को पुलिस ने बुरी तरह पीटा और हाथ-पैर तोड़ दिया। इन दोनों व्यक्तियों को झगड़े के दौरान चोटें आई थी, जिसका उल्लेख दोनों व्यक्तियों ने थाने पर लिखाई गई अपनी-अपनी रिपोर्टों में भी किया है।

8--यह कहना सही नहीं है कि गांव के 82 आदमियों पर 207 का मुकदमा किया गया गया है अपितु दोनों अपराधों में कुल मिलाकर 79 व्यक्ति ही नामित किये गये हैं।

9--इस घटना से पूरे क्षेत्र में आतंक व्याप्त होने की बात भी सही नहीं है और न ही यह कहना सही है कि पुलिस प्रतिदिन इस गांव में जाकर लोगों को धमकाती है और उनसे पैसा वसूल करती है। इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से एक उप-निरीक्षक दो सशस्त्र सिपाहियों की दिन-रात की ड्यूटी उस गांव में लगा दी गई है। क्षेत्रीय जनता द्वारा पुलिस की इस सामयिक सूझ-बूझ एवं साहसपूर्ण कार्यवाही की सराहना की जा रही है।

10--क्षेत्राधिकारी, सदर के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार हैं।]]

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

मान्यवर, यह कहने बड़ी तकलीफ हो रही...

श्री नकली सिंह--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

मान्यवर, देवरिया की पुलिस ने...

श्री अधिष्ठाता--

आप रुक जाएं। कोरम नहीं है।

(कोरम की घन्टी बजायी गयी तथा 5 मिनट लगातार घन्टी बजते रहने पर भी कोरम पूरा न होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं, 16 तारीख सोमवार को पूर्वान्ह 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 56 मिनट पर सोमवार 16 मार्च, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
12 अप्रैल, 1984 सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुंशी प्रेमचंद विद्यालय पटेरा

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

छात्र एकता । जिन्दाबाद ॥

अखिल उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्र
महासंघ, उत्तर प्रदेश

सील

सेवा में,

माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय,

उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।

विषय—अखिल उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेद, यूनानी छात्र महासंघ का 12 सूत्रीय मांग-पत्र ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों के समस्त छात्र महासंघ के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं यूनानी के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु तथा इस पद्धति को प्रतिष्ठित स्थान देने हेतु अधोलिखित मांगों को जिनमें लगभग सभी मांगों को पिछले कई वर्षों से स्वीकार करते आ रहे हैं, कार्यरूप में परिणित करने की कृपा करें—

1—भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

2—केन्द्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले बजट का 50 प्रतिशत बजट आयुर्वेद एवं यूनानी को दिया जाय ।

2—जिला स्तर पर 250 शैय्याओं से युक्त आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय एलोपैथिक के समानान्तर बजट के साथ खोले जायं । ऐसी व्यवस्था प्रत्येक जिला मुख्यालयों में न होने तक प्रत्येक एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में 50 प्रतिशत स्थान आयुर्वेद एवं यूनानी के लिए आरक्षित किया जाय ।

4—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की नियुक्तियां की जायं ।

5—प्रदेश के समस्त आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में समस्त छात्र-छात्राओं के छात्रावास का निर्माण कराया जाय ।

6—केन्द्रीय सेवाओं में आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की नियुक्तियां की जायें ।

7—केन्द्रीय पाठ्यक्रम में डा0 सम्पूर्णानन्द कमेटी के अनुसार आधुनिक ज्ञान को सम्मिलित किया जाये ।

8--प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों में सी0 सी0 आई0 एम0 की रिपोर्ट के अनुसार 12 विभागों की स्थापना, पूर्ण सुविधाओं के साथ की जाय तथा इसी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों की नियुक्तियां रिक्त स्थानों पर शीघ्र की जायें। सी0 सी0 आई0 एम0 की रिपोर्ट के अनुसार ही महाविद्यालयों में सम्बन्धित चिकित्सालयों में छात्रों की प्रवेश क्षमता का 5 गुना (1:5) शय्याओं की वृद्धि उनकी पूर्ण सुविधाओं के साथ की जायें।

9--प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में सी0 सी0 आई0 एम0 की रिपोर्ट के अनुसार 13 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं 15 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की सुविधा, उचित सीटों के साथ उपलब्ध करायी जाय।

10--प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में परीक्षाओं के लिए सेमेस्टर-सिस्टम लागू किया जाय तथा इन्टर्नशिप की अवधि छः माह के स्थान पर 1 वर्ष की जाय एवं इनके बाद हाउस जाब की व्यवस्था की जाये तथा प्रथम वर्ष के अध्ययन काल को छः महीने का करके, पूरे पाठ्यक्रम के अवधि 5 वर्ष के बजाय साढ़े चार वर्ष की जाये।

11--आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की नियुक्तियां जो सन् 1978 के बाद नहीं हुई हैं शीघ्र की जाय।

12--आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के प्रशासन को मुख्यालय स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर विकेन्द्रीयकरण की नीति के अनुसार पुर्नगठन शीघ्र किया जाय। आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य एवं प्रसाशन हेतु 4 अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर, आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग को विकसित किया जाय।

नोट--श्रीमान् जी छात्रों की उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में 28-2-1983 तक शासन द्वारा छात्रों की समस्याओं का निराकरण न किया गया तो समस्त छात्र अगला कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शासन पर होगा।

(1) 1-3-1983 को मौन जुलूस विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

(2) 2-3-1983 को प्रदर्शन।

भवदीय,

महामंत्री,

अखिल उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक

एवं यूनानी छात्र महासंघ,

उ0 प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

2--माननीय प्रधान मंत्री महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

3--माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, भारत सरकार दिल्ली ।

4--माननीया स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5--माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

6--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली ।

7--महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

8--माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9--माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10--माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

11--माननीय वित्त मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

12--श्रीमान् वित्त सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

13--श्रीमान् स्वास्थ्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

14--श्रीमान् स्वास्थ्य उप सचिव महोदय, (आयुर्वेद), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

15--श्रीमान् निदेशक महोदय, राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा, उ0 प्र0, लखनऊ ।

16--श्रीमान् उप निदेशक महोदय, राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा, उ0 प्र0, लखनऊ ।

17--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ ।

18--माननीय कुलपति महोदय, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी (संस्कृत) विश्वविद्यालय ।

19--जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ ।

20--अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ ।

21--समस्त विधायक गण ।

महामंत्री,
अखिल राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी छात्र
महासंघ, उ0 प्र0, लखनऊ ।

पी0 एस0 यू0 पी0--18 वि0 सभा--24-8-84--813-पी0 डी0) ।